–:: प्राकथन ::–

1– सरकारी विभागो के सम्बन्ध में अब तक सूचनायें गुप्त रखी जाती थी, ये नियम ब्रिट्रिश शासन काल से बने हुए थे। जनता सूचना से वंचित रहती थी। इस बावत संविधान संशोधन द्वारा जनता को सूचना का अधिकार देकर बहुत पुराने समय से बने सरकारी नियमों को बदला गया तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम से 2005 से जनता को लाभ होने की आशा है।

2– इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न विशयों की जानकारी को एक निर्देशिका में समेटा जायेगा। जिससे सम्बन्धित सूचनायें जनता को उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।

3– यह निर्देशिका समस्त जनता/जन प्रतिनिधि/कार्यालय /मण्डलीय कार्यालय/निदेशालय/ मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी स्तर पर सूचनायें मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने में सहयोगी और उपयोगी होगी।

4– हस्त पुस्तिका के प्रारूप में जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्व किया जा रहा है।

5– परिभाषायें/षब्दावली के विषय में जानकारी विभिन्न अवसरों पर सूचना अधिनियम के लागू होने के बाद समय के साथ–साथ प्राप्त होती जायेगी। क्योकि किसी नई चीज के लागू होने पर शुरूआत में कुछ कठिनाइया आती है और समय आगें बड़ने पर परिभाषायें और शब्दावली स्वतः स्पष्ट होती जायेगी।

6– हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क व्यक्ति का नाम – श्रीमती लतिका सिंह,मुख्य कृषि अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद देहरादून स्तर की सूचना के सम्बन्ध में ।

7– हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क – इस सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण 10.00 रूपया प्रति सूचनां निर्धारित प्रपत्र पर जमा कर मांगा जा

सकता है। तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने विषयक जानकारी निदेशालय स्तर से प्राप्त होने पर सूचना निर्देशिका में समायोजित की जायेगी।

–:: मैनुअल–1 ::–

(संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य)

2.1:– लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्य:– कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के समस्त कृषकों को अनुमन्य अनुदान पर यथा– बीज, रसायन कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराना तथा साल भर खरीफ तथा रबी में विभिन्न फसलों की जानकारी देना, कृषकों को कृषि समबन्धी समस्याओं का निराकरण कराना तथा नई कृषि तकनिकी की जानकारी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।

2.2:– लोक प्राधिकरण/संगठन का मिशन/विजन:– जनपद स्तर पर कृषि कार्यो में कृषकों को बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में जनपद को आत्मनिर्भर बनाना संगठन का मिशन है तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा0 कलाम, के अनुसार सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन है, उसी विजन को हकीकत में तब्दील करने को कृषि विभाग द्वारा सन् 2020 तक कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना तथा उपलब्ध कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा जनपद को जैविक जनपद बनाने का विजन है।

2.3:– लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्य:– शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जनपद में कृषि कार्यकमों को संचालित कर जनता और कृषकों की सहायता करना, उनको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खेती की जानकारी देना, सरकारी कार्यकमों का जनता/कृषकों में प्रचार–प्रसार करना संगठन का मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ कृषि विभाग में जनपद स्तर पर कार्य कर कर्मचारियों के हितो की देखभाल करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना तथा उनके देयको का भुगतान करना भी संगठन का कर्तव्य है।

2.4:– लोक प्राधिकरण/संगठन के मुख्य कृत्य:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गतसरकार /विभाग द्वारा प्राप्त बजट पर संचालित विभिन्न कार्यकमों जैसें, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग कार्यकम,जल संभरण, कृशक महोत्सव, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रमाणित तथा आधारीय खरीफ/रबी/जायद के बीजो का वितरण आतमा योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण,भ्रमण, प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार कार्यक्रम, जिला योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, मिनिकिट वितरण आदि कर कृशकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को सफल बनाना मुख्य कृत्य हैं।

2.5:– लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका संक्षिप्त विवरण:–
कृषि विभाग द्वारा जनपद में कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान की जा रही है।

1–नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन – धान्य फसलें, दलहनी तथा तिलहनी फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढाने के उददेश्य से योजना लागू है। क्लस्टर प्रदर्शनों पर रू0 9,000.00 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधारित प्रदर्शन पर रू0 12,500.00 अथवा रू0 15,800.00 प्रति की दर (जो भी अनुमन्य हो) पर अनुदान उपलब्ध है।

चयनित क्षेत्रों में गेहूँ, मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) तिलहनी एवं दलहनी फसलों की नवीनतम प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन गेहूँ की अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों के क्रय पर 10 वर्श से अधिक की प्रजतियो पर रू0 1000.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजतियो पर रू0 2000.00 प्रति कु0 दलहनी फसलों में अधिक अवधि की प्रजतियों पर रू0 2500.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्श से कम की प्रजतियो पर रू0 5000.00 प्रति कु0,तिलहनी फसलों में सोयाविन एवं तोरिया पर रू0 4000,00प्रति कु0 तथा तिल के बीजो पर रू0 8000,00 प्रति कु0 ,मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) फसलों में रू0 1500.00 प्रति कु0, तथा संकर धान एवं संकर मक्का बीजों के क्रय पर रू0 1000.00 प्रति कु0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की राज सहायत अनुमन्य है ।

सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों एवं जैव रसायनों के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500.00 प्रति हैक्टेयर फसल चक्र आधारित कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं कृषि यंत्र वितरण तिलहनी फसलों के अन्तर्गत ब्लाक कय कृषक प्रशिक्षण एवं आधिकरियो के प्रशिक्षण का प्रपिधान है।

2–नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर:–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– वर्षा अधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एंव विकास करना है। इस घटक के दो उप घटक है– (1) एकीकृत कृषि पद्धति एंव (2) मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण।

एकीकृत कृषि पद्धति योनजा के अन्तर्गत उद्यान आधारित, पशुधन उत्पादन आधारित, दुग्ध उत्पादन आधारित, वृक्ष उत्पादन आधारित एवं कृषि वानिकी आधारित फ़सल प्रणाली सम्मिलित है। जबकि मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनहाउस/लो टन पॉलीहाउस निर्माण, मौन पालन, साइलेज इकाई निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, वाटर हार्वेस्ट टैंक, कम्यूनिटी टैंक, टैंक्स रैस्टोरेसन, वाटर एप्लीकेसन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण, कृषक प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट आदि पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुसार अनुदान की सुविधा देय है।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

क्षेत्र विशेष के आधार पर एकीकृत कृषि प्रणालियों का प्रयोग करके कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभप्रद, उत्पादक एवं मौसम के अनुसार लचीला बनाना। मृदा व नमी सरंक्षण के उचित उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का सरंक्षण करना। समग्र मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा परीक्षण मानचित्रों के आधार पर पोषक तत्वों का उपयोग करना, उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग इत्यादि। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पहले से चल रहे कार्यक्रमों के सहयोग से जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करते हुये किसानों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की क्षमता का विकास करना।

योजनान्तर्गत देय अनुदान निम्नवत् है–

क्र0सं0	घटक	व्यय के मानक
(अ) समेकित कृषि प्रणालीः–		
1	उद्यान आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 25000.00 प्रति हैक्टेयर।
2	पशुधन उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	कापिंग सिस्टम के मूल्य एवं पशुओं/पक्षी के मूल्य साथ–साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड फूड के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25000.00/हैक्टेयर है। (10 पशु/50 पक्षी, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम) ।
3	दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	पशु लागत सहित फसल प्रणाली के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसमें कि पशुओं के साथ–साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड का मूल्य सम्मिलित हो, अधिकतम रू0 40000.00/हैक्टेयर (02 दुधारू पशु, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम)।
4	मत्स्यिकी आधारित कृषि प्रणाली	पिष फार्मिंग को सम्मिलित करते हुये कापिंग/वेजेटेविल सिस्टम के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिषत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25000.00/हैक्टेयर है।
5	वृक्ष उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम रू0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।
6	कृषि वानिकी आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत या जिसकी अधिकतम सीमा रू0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय के मानकः–

(ब) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः–

1	मौन पालन	मूल्य का 40 प्रतिशत या रू0 800.00 प्रति कालोनी
2	साइलेज इकाई	मूल्य का शत–प्रतिशत अधिकतम रू0 125000.00 प्रति फार्म फैमिली
3	पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 4000.00 प्रति वर्ग मी0
4	जल सम्भरण टैंक (व्यक्तिगत)	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 90000.00 प्रति टैंक जो भी कम हो
5	सामुदायिक टैंक (एक है0 कमांड क्षेत्रफल)	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 250000.00 प्रति टैंक
6	टैंक रिस्टोरेशन	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 15000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो
7	जल प्रयोग एवं वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 10000.00 प्रति है0 जो भी कम हो
8	मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत– प्रतिशत अधिकतम रू0 24000.00 प्रति इकाई
9	लोवर रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत– प्रतिशत अधिकतम रू0 40000.00 प्रति इकाई।
10	ससाधन संरक्षण/आई0 एफ0 एस0 प्रषिक्षण (20 प्रति समूह)	रू0 10000.00 प्रति प्रशिक्षण

11	शैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट (50 प्रति समूह)	रू0 20000.00 प्रति भ्रमण/विजिट

(ब) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना– मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता एंव आवश्यकता तथा मृदा उर्वरता बढाने के उददेश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार मॉडल विपेज प्रोग्राम हेतु जी0पी0एस0 पद्धति से खरीफ 2019 में मृदा नमूनें एकत्रित किये गये। नमूना विश्लेषण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई संस्तुतियों के आधार पर चयनित प्रत्येक विकासखण्ड से एक ग्राम (कुल 6 ग्राम) में रबी 2019–20 में कलस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे है। 2141 कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना :– वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है जो कि 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है वर्ष 2017–18 तक योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 585 कलस्टर स्वीकृत किये गये है, प्रत्येक कलस्टर का क्षेत्रफल 20 हैक्टयर है । इस अवधि में योजना का संचालन 11 पर्वतीय जनपदों एवं एक मैदानी जनपद में किया गया। सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0 के0 वी0 वाई0) योजना में भारत सरकार द्वारा 3900 नये कलस्टर आवंटित किये गये है। योजनान्तर्गत कलस्टर/समूह में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत–प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं।

परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तर पर 3900 समूहों (155 कलस्टरों) एवं जनपद स्तर पर 200 समूहों का (कृषि विभाग–7, उद्यान विभाग –100 एवं उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद –25) का चयन किया गया है। योजना अर्न्तगत एक कलस्टर/समूह में 20 है0 क्षेत्रफल एवं 50 कृषक आच्छादित किया जाना है।

कलस्टर आधारित चयनित ग्रामों में सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0) के अर्न्तगत जैविक कृषि को प्रोत्साहन।

पारम्परिक तकनीकों और प्रोद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक, सिन्थैटिक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा।

प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढावा देना एवं मिटटी की प्रजनन क्षमता बढाना।

टिकाऊ एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करते हुए कृषकों की आय में वृद्वि करना।

उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण प्रबन्धन द्वारा किसानों को सषक्त बनाना।

मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौस्टिक उत्पाद का स्थायी रूप से उत्पादन करना।

स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ प्रत्यक्ष बाजार सम्बन्धों के माध्यम से किसान उद्यमियों को तैयार करना।

क0 सं0	कार्यमद	व्यय के मानक (रू0/है0)			
		2018–19	2019–20	2020–21	कुल
अ	सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से योजना का कियान्वयन				
1.	कलस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण	1000,00	1000,00	1000,002	3000,00
2.	प्रक्षेत्र कार्मिकों का तैनाती एवं योजना कियान्वयन के प्रबन्धन हेतु व्यय	1500,00	1500,00	1500,00	4500,00
ब	प्रादेशिक परिषद के माध्यम से पी0 जी0 एस0 प्रमाणीकरण				
3.	भौतिक सत्यापन ,प्रमाणीकरण प्रकिया एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेवा शुल्क	700.00	700.00	700.00	2100.00
4.	क्षेत्रीय परिषद /विभाग के माध्यम से एन0ए0बी0एल0अधिकृत प्रयोगशालाओं में रसायन अवषिश्ट	0,00	300,00	300,00	600,00
	विश्लेषण (द्वितीय वर्ष से 3 नमूना /एल0आर0पी0 क्षेत्र)				
स	डी0 बी0 टी0 के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि				
5.	डी0बी0टी0 के माध्यम से जैविक में परिवर्तन, ऑन फार्म एवं ऑफ फॉर्म निवेषों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि	12000,00	10000,00	9000,00	31000,00
द	मूल्य संवर्धन ,मार्केटिंग एवं प्रचार –प्रसार				
6.	मार्केटिंग पैकेजिंग ,ब्राडिंग किराया, परिवहन आदि हेतु वित्तीय सहायता	0,00	500,00	1000,00	1500,00
7.	कृषक समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन ,संरचना निर्माण	0,00	1000,00	1000,00	2000,00
8.	ब्रांड ब्यूल्डिंग मेले , प्रदर्शनी ,प्रचार –प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग	1300,00	2000,00	2000,00	5300,00
	योग	16500.00	17000.00	16500.00	50000.00

(स) <u>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</u> :– प्रदेश में जल के उपयोग को बढाने और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के उददेश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 90 प्रतिशत भारत सरकार का अंश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश फंडिग पैर्टन पर संचालित की जा रही है। योजना 04 घटकों में संचालित है। (अ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यकम (ए0आई0बी0पी0) (ब) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (स) हर खेत को पानी एंव (द) जलागम विकास।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के (पर ड्रॉप मोर कॉप) घटक के अन्तर्गत माइक्रो इरिगेषन (स्प्रिंकलर सेट स्थापित करना इत्यादि) एंव जल संचयन हेतु बहुददेश्यीय टैंक, चैक डेम, कच्चे एंव पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्त्रोंतों का पुनरूद्धार तथा विस्तार आदि कार्य सम्मिलित है।

योजना के उददेश्य –

खेत में जल की पहुँच को बढाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत कृषि भूमि को बढ़ाना।

फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्रदान करना।
उचित प्रौद्योगिकी ओर पद्धतियों के मध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का समेकन, वितरण और इसका दक्ष उपयोग।

मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भराव, प्रवाह बढ़ाना, आजीविका विकल्प प्रदान करना और अन्य एनआरएम गतिविधियों की ओर पनधारा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्शा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करना।
जल संचयन, जल प्रबन्धन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

घटक की कार्यमद, अनुदान मानक का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	कार्यमद	योजना में अनुदान के मानक	व्यय के मानक
1	जल संग्रहण संरचनायें		
क.	जल संरक्षण संरचनायें	एन0एम0एस0ए0	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 2.50 लाख/संरचना 01 है0 कमांड क्षेत्रफल
ख.	चैक डैम	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1.80 लाख/इकाई जो भी कम हो।
ग.	वर्षा जल संग्रहण/ संरचनायें	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.10 लाख/ इकाई।
घ.	कच्चा तालाब	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.15 लाख/इकाई जो भी कम हो।
2	जल संवहन यंत्र		
क.	सिंचाई नालें (सामुदायिक)	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.50 लाख/है0 जो भी कम हो।
ख.	एच0डी0पी0ई0 पाइप	एन0एम0एस0ए0	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 50/मी0 या अधिकतम रू0 0.12/है0।
3	पूरक सिंचाई व्यवस्था		
क.	जल पम्प	एन0एम0एस0ए0	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.15 लाख/इकाई।
ख.	ट्यूब वेल		
अ.	गहरी एंव उथली ट्यूब वेल	एन0एम0एस0ए0	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.25 लाख/इकाई।
ब.	गहरी ट्यूब वेल	आई0डब्ल्यू0एम0पी0	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1.00 लाख/इकाई।
4	जल संरक्षण संरचनाओं का पुनरूद्धार एंव मरम्मत	एन0एम0एस0ए0	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 0.15 लाख/इकाई।
5	संरचनाओं का सुदृढीकरण		

क.	बाइय भ्रमण	एस0ए0एम0ई0	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 400 प्रति दिन प्रति।
ख.	जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एस0ए0एम0ई0	मूल्यका 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 250 प्रति दिन प्रति।

क) खेत में जल की पहूँच को बढाना और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत कृषि भूमि को बढ़ाना।

ख) फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेष का अभिसरण प्रदान करना।

ग) उचित प्रौद्योगिकी ओर पद्धतियों के मध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का समेकन, वितरण और इसका दक्ष उपयोग।

घ) मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्भराव, प्रवाह बढ़ाना, आजीविका विकल्प प्रदान करना और अन्य एनआरएम गतिविधियों की ओर पनधारा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास को सुनिश्चित करना।

ड) जल संचयन, जल प्रबन्धन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

4–नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी एस0ए0एम0ई0 अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम।

(अ) सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एस0ए0एम0ई0 एवं जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी–आतमा (केन्द्रपोषित) के अन्तर्गत कृशि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित है, विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक
1	कृषक प्रशिक्षण	अर्न्तराज्यीय प्रशिक्षण हेतु रु0 1250, राज्यन्तर्गत रु0 1000, एवं जिलान्तर्गत रु0 400/250 प्रति कृषक प्रतिदिन
2	प्रदर्शन	कृषि उद्यान, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि द्वारा आयोजित प्रति एकड़ रू0 4000.00
3	कृषक अध्ययन भ्रमण	अर्न्तराज्यीय भ्रमण हेतु रु0 800, राज्यन्तर्गत रु0 400, एवं जिलान्तर्गत रु0 300 प्रति कृषक प्रतिदिन
4	कृषक समूह को सहायता	क्षमता विकास हेतु रु0 5000, सीड मनी हेतु रू0 10000 एवं फूड सिक्योरिटी हेतु 10000 प्रति समूह प्रतिवर्ष
5	सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार	रु0 20000 प्रति समूह
6	किसान पुरस्कार	राज्यस्तरीय रु0 50000, जनपदस्तरीय रु0 25000, एवं ब्लाक स्तरीय रु0 10000 प्रति कृषक
7	फार्म स्कूल	ब्लाक स्तर पर प्रतिफार्म स्कूल रु0 29414 (प्रत्येक विकासखण्ड में 3 फार्म स्कूल का आयोजन)

(ब) सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटिरियल (बीज ग्राम योजना):– उत्पादन को बढाने एंव कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बीज ग्राम योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे कृषकों द्वारा स्वंय के खेतो में ही गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करते हुए उपयोग में लाया जा सके। योजनान्तर्गत कृषकों को एक एकड क्षेत्रफल हेतु 50 प्रतिषत अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज वितरित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के स्तर पर उत्पादित बीजों की गुणवत्ता को सुदृढ़ कर कृषकों को बीज उत्पादन तकनीक में प्रशिक्षित करते हुए उत्पादित बीज का सुरक्षित भण्डारण करना है।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत देय सुविधायें–

क0स0	मद	देय अनुदान
1	बीजों पर देय अनुदान	योजनान्तर्गत कृषकों को 01 एकड़ क्षेत्रफल हेतु प्रमाणित एंव आधारीय बीजों यथाः धान्य फसलों में बीज के मूल्य का 50 प्रतिषत अनुदान तथा दलहन एंव तिलहन फसलों में 60 प्रतिषत अनुदान अनुमन्य है।
2	प्रशिक्षण कार्यकम	योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु कृषकों को एक–एक दिवसीय तीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिस पर रू0 15000 का व्यय प्रस्तावित है। प्रथम प्रशिक्षण बुवाई के समय, द्वितीय प्रशिक्षण पुष्पावस्था के समय तथा तृतीय प्रशिक्षण फसल कटाई के समय प्रदान किया जाता है।
3	भण्डारण व्यवस्था–टिन की बुखारियों का वितरण	पर्वतीय विकासखण्डों में 02.00 कुं0 की क्षमता वचाली बुखारी एवं मैदानी जनपदों के विकासखण्डों में 10 कुं0 क्षमता वाली बुखारी अनुदानित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है। 10.00 कुं0 क्षमता वाली बुखारी पर, सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 1000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिषत अधिकतम रू0 1500 प्रति बुखारी अनुदान देय है।

(स) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (एस0एम0ए0एम0)

- कृषि के आधुनिकरण में शस्य कियाओं का समय पर सम्पादन करने, कृषि आगातों का प्रभावपूर्ण प्रयोग, मानव श्रम को कम करने तथा कम लागत पर अधिक उत्पादन लेने में कृषि यन्त्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि में यंत्रीकरण का अर्थ है "फसल उत्पादन के लिये कृषि भूमि पर अधिक खाद्यान्न हेतु नवीनतम सुयोग्य प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करना।
- जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव श्रम तथा खेती में काम करने वाले पशुओं की संख्या दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है। जिस कारण कृषि कार्य में कठिनाई हो रही है, साथ ही इस क्षेत्र के कृषकों की क्रय क्षमता भी न्यून है, इसके दृष्टिगत कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष के अनुसार यन्त्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
- आधुनिक एवं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने वाले कृषि यंत्रों को फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा राहा है। इस हेतु इनकी स्थापना पर्वतीय कृषकों के लिये

अधिक लाभप्रद सिद्ध हो रही है। उन्नत व सुविधाजनक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये इस क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जा राहा है।

- योजना द्वारा लागू एवं सीमन्त कृषकों ,महिला कृषकों के माध्य कृषि यन्त्रीकरण की पहुँच बढाना ,फार्म मशीन की बैकों की स्थापना हेतु रू 8,00 लाख अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो ,राज सहयता उपब्लध है, जिससे सीमन्त एवं लधु कृषको कों भी उपयोगी आवश्यक कृषि यन्त्र उपलब्ध हो सकें

5–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:–

- एन0एफ0एस0एम0:– चावल, कार्यक्रम से अनाच्छादित जनपद देहरादून में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –फसल उत्पादन क्लस्टर प्रदर्शन तथा बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों पर राज सहायता।
- पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीज की कार्यो की पूर्ति के उददेश्य से कृषि विभाग, उत्तराखण्ड ने स्वंय ही प्रमाणित बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया, इस वर्ष धान हेतु 11.16 है0 क्षेत्रफल, मक्का 3.01 है0 तथा गेंहू 100 है0 क्षेत्रफल के अन्तर्गत आच्छादित है।
- एडोप्शन एंड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एडोप्शन एंड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग कार्यक्रम के अन्तर्गतजैविक खाद संरचनायें यथा वर्मी पिट, नाडेप पिट के निर्माण एवं जैविक कृषि निवेशों का वितरण 50 प्रतिषत अनुदान पर किया जाता है। जनपद के 06 विकासखण्डों (डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी, चकराता) के 110 ग्रामों का जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत संतृप्तीकृरण किया जा रहा है। साथ ही योजनान्तर्गत जैविक कलस्टरों में जैविक उत्पादों का वितरण, कृषकों का एक्सपोजर विजिट एवं जैविक कृषि सम्बन्धित ग्राम स्तरीय प्रषिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के साथ ही प्रमाणीकरण कार्यक्रम को बढावा दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत जैविक प्रमाणीकरण का कार्य उत्तराखण्ड आर्गेनिक स्टेट सर्टीफिकेशन एजेन्सी द्वारा उ0जै0उ0प0 के माध्यम से कराया जा रहा है।

जैविक कृषि कार्यक्रम के मुख्य उददेश्य:–

- उत्तम गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थो का अधिक मात्रा में उत्पादन करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग।
- पौधों एवं जन्तुओं का उपयोग कर जैवकीय चक्र को गति प्रदान करना।
- मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता बनाये रखना।
- कृषि तकनीकों से होने वाले सभी प्रदूषणों से बचाव।
- कृषकों को सुरक्षित वातावरण के साथ–साथ अधिकतम उत्पादन द्वारा संतुष्टि।

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :–

अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों का कृषि विकास कार्यक्रमों से संतृप्तिकरण करते हुए पूर्ण विकास करना। वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ यह योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के लाभार्थ विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। वर्ष 2019–20 हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के अन्तर्गत जनपद देहरादून में 02 ग्रामों को अनुसूचित जाति तथा 02 ग्रामों को अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत समूहों में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत–प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं। विवरण निम्न प्रकार है –

- कृषको की उपयुक्तता को संज्ञान में लेते हुये उन्नत प्रजाति के बीजों के मिनिकिट किसानो को निःशुल्क वितरित किये जाते है।

• पौध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले कीटनाशी रसायनों जैव रसायन के साथ–साथ सूक्ष्म तत्वो लाइट ट्रेप वितरण किया जाता है ।

• सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण समय –समय पर कराये गये मृदा परिक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है

• कृषि यंत्र वितरण – थ्रेसर , पावर टिलर ,पावर विडर , जल पंप जैसे अधिक लागत वाले यत्रों को यदि विगत वर्षा के दौरान वितरित न किया गया होते समूह की आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है तथा समूह से अनुबन्ध कराने उपरान्त यत्र का उपयोग एवं रखरखाव सामूहिक रूप से करेगे

• मानव/बैल चालित यंत्र, अन्न भडांरण की बुखारी, चैफ कटर एवं 500 लीटर की टंकियों एवं एच0डी0पी0ई0 किसानों को निःशुल्क वितरित किये जाते है।

• छतवर्षा जल संभरण टैकों का निर्माण कराया जाता हैं ताकि वर्षा जल का समुचित उपयोग हो सके।

• चयनित ग्राम में उपलब्ध जल स्रेत को ध्यान में रखते हुये सिंचाई टैक संपादित किये जाते है, जिसका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है।

• सिंचाई गूल का निमार्ण कृषि उत्पादन में वृद्वि हेतु समूह के उपयोंग के लिए किया जाता है

• मृदा एवं जल संरक्षण संबन्धी स्थायी प्रकति के कार्य ही संपादित किये जाए वानस्पतिक घेरबाड चारा/फल प्रजाति के पौधों का वितरण एवं घास रोपण का कार्य किया जाता है। बीज मिनिकिट में दस वर्ष के अन्तर्गत अधिसूवित नवीन तक फसल प्रजातियों का ही वितरण किया जाऐ।

8– जिला योजनाः–

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यो को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यकम संचालित किये जाते हैं।

9– राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना):–

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक–पृथक एस0सी, एस0 टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। 2017–18 में विकास खण्ड खटीमा में भगचुरी एवं बनकटिया, विकास खण्ड सितारगंज में खुन्सरा एवं बलखेडा चयनित हैं।

2.6:– लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रंसगः–

संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृशि विपणनु अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिगंल विण्डो सिस्टम के रुप में में पुर्नगठित किया गया।

सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत मैनुअल (1 से 17 तक)

कार्यालय

मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून

वर्ष– 2021–22

Email ID- cao.deh.uk@gmail.com
Phone No.- 8979270239

2.7:– लोक प्रधिकरण संगठन के विभिन्न स्तरो पर संगठन का ढॉचाः–

1– जिला स्तर परः–

अ– मुख्य कृषि अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी।

ब– कृषि रक्षा अधिकारी ।

स–प्रभारी, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला।

द– ज्येष्ठ कृषि विपणन निरिक्षक।

2– इकाई स्तर परः–

अ–कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर।

ब– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

स– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता ।

3– ब्लॉक स्तर परः–

अ– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विकासखण्ड प्रभारी)

ब– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (बीज भण्डार प्रभारी)

4–न्याय पंचायत स्तर पर–

अ–सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (न्याय पंचायत प्रभारी)

2.8:– लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें :– कृषि विभाग जनपद स्तर पर शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमो के सफल कियान्वयन में जन सहयोग की अपेक्षा करता है। क्योकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असम्भव है। और जन सहयोग के आभाव में कार्यक्रमों की गुणवत्ता संदेहास्पद रहने की संभावना है।

2.9:– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्थाः– जनपद स्तर पर जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिवर्ष रबी, खरीफ प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय गोष्ठियॉ आयोजित की जाती है। जिसमें जनपद के समस्त कृषकों से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

2.10:– जन सेवाओ के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्थाः– जनता से शिकायतें प्राप्त होने के लिए जनपद स्तर कृशि एवं भूमि संरक्षण इकाई एवं विकासखण्ड स्तर पर भी कृषको की शिकायतें प्राप्त की जाती है तथा उनके निराकरण के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में मोबाईल/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/जनपद हैल्प लाइन पर विभिन्न इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी षिकायतें प्राप्त होने पर उनका ऑनलाइन ही निराकरण किया जाता है।

–:: मैनुअल– 2 ::–

(अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य)
पदनाम– मुख्य कृषि अधिकारी
शक्तियाँ:–

1– जनपद में अधिकारियों / कर्मचारियो के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबन्ध में।

2– लघु दण्ड निन्दा, टाइम स्केल में वेतन वृद्वि रोकना, असावधानी या आज्ञाओं का उल्लघंन किये जाने के कारण सरकार को पहुँचायी गई आर्थिक क्षति को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वेतन से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

3– जनपद के बाहर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति करना।

4– अपने अधीनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों का 42 दिनों तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक को प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत करना।

5– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की दण्ड एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना तथा कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के दण्डन का अधिकार, संबन्धित सेवा के नियमों के अर्न्तगत।

6– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की वार्षिक चरित्र प्रविष्ठी पर संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना।

7– लिपिक वर्गीय / वैयक्तिक सहायक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि स्वीकर्ता प्राधिकारी।

कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला स्तर पर पूर्व की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए कृषि विभाग के समस्त अनुभागों में जिला स्तर पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य कृषि अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा गया हैं। जिला स्तर पर कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों योजनाओं के सफलातापूर्वक कियान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न अनुभागों के विभागीय अधिकारियों यथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उपरोक्त कृत्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी के निम्नलिलिखत दायित्व निष्चित किये गये हैं।

1– मुख्य कृषि अधिकारी जिले में कृषि विभाग का नोडल अधिकारी होगा।

2– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर कृषि विभाग का आहरण वितरण अधिकारी होगा।

3– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेषो यथा उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की उपलब्धता विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।

4– कृषि विभाग भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों को कियान्वित करायेगा।

5– जिले में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि हेतु कार्य योजना बनायेगा एवं उसको कियान्वित करेगा।

6– उत्तांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 11 एवं उसके अधीन नियमावली के प्रस्तर 4(3), 10, 12 एवं उप प्रस्तरों के प्राविधानों के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी निदेशक, कृषि का नामित अधिकारी होगा एवं निदेषक कृषि के प्रतिनिधि के विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

7– जिला स्तर पर संकलित समस्त योजनाओं की प्रगति, सूचनाओं को संकलित करेगा एवं संयुक्त कृषि निदेशक/निदेशक, कृषि को समय–समय पर प्रेषित करेगा।

8– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार समस्त कच्चे कार्यों का अंतिम तकनीकी अनुमोदन प्रदान करेगा।

9– अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली प्रत्येक भूमि संरक्षण इकाई की प्रतिमाह दो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत प्रतिषत भौतिक सत्यापन करना।

10– अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण करना तथा लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देते हुए रोकड़ बही का सत्यापन करना।

11– रु0 5.00 लाख तक की संरचनाओं की प्राविधिक स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करना तथा उससे अधिक धनराशि की संरचनाओं पर नियमानुसार उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना।

12– अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों का सम्प्रेक्षण कराना।

13– जिला स्तर पर बजट संबन्धी सम्पूर्ण कार्यदायित्व से संबन्धित सूचना संयुक्त कृषि निदेशक/कृषि निदेशक को प्रस्तुत करना।

14– मुख्य कृषि अधिकारी अपने कार्यालय में समस्त तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों तथा अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं कर्मचारियों के देयकों का समय से निस्तारण करना।

15– जिले में कृषि कार्यकमों से संबन्धित योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 20 प्रतिशत सत्यापन करना।

16– जिले के अन्तर्गत बीज/उर्वरक अधिनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य दायित्व का निर्वहन करना।

17– सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0 सं0–107/सी0एस0/कृशि/03/रिट–2(2) 02, दिनांक 3 जनवरी, 2004 के परिशिश्ट–1 के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायित्व का निर्वहन करना।

कृषि रक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्वः–

1– अपने जिले में समस्त कृषि रक्षा कार्यो को दक्षता एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण का कार्य।

2– कीटनाशी दवा एवं कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था तथा कार्यस्थलों पर यथासमय पूर्ति करना।

3– जिले में कीटनाशी रसायन गुणों की रक्षा तथा मिलावट व अनियमित ब्रिकी को रोकना।

4– जनपद में कार्यन्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में यथा–जैविक खाद आदि के संचालन में सक्रिय सहयोग।

5– जनपद में कृषि रक्षा गोदमों का लेखा व अन्य रिकार्ड का माह में एक बार अपने लेखा कर्मचारियों द्वारा जॉच कराना तथा लेखा नियमों के अनुसार रिकार्ड को दुरस्त कराना और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजना।
6– खण्ड के कृषि रक्षा कार्यो का शत प्रतिशत मौके पर निरीक्षण तथा उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
7– जनपद के समस्त कृषि रक्षा योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 50 प्रतिशत सत्यापन करना एवं दी गई अनुदान की राशि का स्वयं सत्यापन करना कृषि रक्षा रसायनों की बैलेंस शीट व अन्य लेखा रिपोर्ट को यथा समय भेजना।
8– कृषि रक्षा रसायनों संबन्धी आय व्ययक का समुचित रूप से हिसाब रखना तथा उसका समय से सदुपयोग करना एवं देय समय में भुगतान की व्यवस्था करना।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्य एवं दायित्व–

प्रत्येक जिले में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के कियान्वयन हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का एक या एक से अधिक पद सृजित किया गया हैं। जिसके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:–
1– उत्तराखण्ड भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है जिसके कारण इकाई स्तर पर सभी कार्यो के लिए कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ही उत्तरदायी हैं।
2– इकाई के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, मुख्य कृषि अधिकारी से उनका अनुमोदन प्राप्त करना।
3– इकाई के समस्त परियोजनाओं के कार्यो का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था कराना एवं समस्त देय धनराषि के अभिलेखों के रख–रखाव का प्रबन्ध कराना।
4– इकाई के प्रत्येक उप इकाई की प्रतिमाह दो–दो परियोजनाओं का शत प्रतिषत भौतिक सत्यापन करना तथा पक्के कार्यो के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना।
5– इकाई स्तर पर कराये गये कार्यो से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा भुगतान सुनिश्चित कराना।
6– इकाई के समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो को विभागीय निर्देशानुसार पूर्ण कराना तथा सभी कर्मचारियों के स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रख–रखाव करना।
7– इकाई स्तर पर कराये गये समस्त कार्यो का प्रगति विवरण तथा अन्य सूचनांए मुख्य कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करना।
8– इकाई को आवंटित समस्त धनराशि को वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।
9– भूमि संरक्षण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि का अभिलेख तैयार कराना एवं लाभार्थी से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित करना।

सिंगल विण्डो सिस्टम

सिंगल विण्डो सिस्टम के उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें है। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनो क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी अन्तर है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानो तक पहुँचाने के लिए प्रयास किये जाते रहे है, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यो के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य , कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण /जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यो का पृथक–पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कमियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहें थें। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1. वर्तमान परिदृष्य में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश की कृषि का एक नवीनकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।

2. पूर्व ढॉचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढॉचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सकें।

3. क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहें थें , उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया है।

4.कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे–बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर समान्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।

5. पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है।, जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपकमों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।

6. आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।

7. उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।

8. कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं कियान्वयन सुनिश्चित करना।

9. कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

10. प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानो की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराया जाना।

11. जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।

12. कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों , कृषि शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा। ताकि लैव टू फील्ड एवं फील्ड टू लैव के पैर्टन पर तथा ट्रैनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सकें। इसके लिए न्याय पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुद्वढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नही कर पायेगा उनके लिए विकासखण्ड इकाई जनपद अथवा निदेशालय से सम्पर्क समस्याओं का समाधान करेगा। जा` समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पर्क कर करेगा। जिसके लिए न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा किसान कॉल सेन्टर / टॉलफ्री नम्बर के माध्यम से भी कृषकों के समस्याओं का समाधान करेगा।

13. न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवो का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिक आदि के कियाकलापों के कियान्वयन में दक्षता तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एक्सन ओरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप सें लागू हो सकें। इसके लिए न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।

14. न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, बीज शोधन एवं उर्वरक टेस्टिंग की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।

15. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग– 2 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषकों के मध्य सम्पर्क कृषक/प्रचार–प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।

16. प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रो द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी निश्चित तिथि को कृषि

विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा जहां आवश्यकतानुसार कृषि से सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों /अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

कृषि विभाग के मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियो के आकस्मिक अवकाश यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण संबन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति अधिकारी	यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं यात्रा बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण अधिकारी
1	2	3	4
1	अपर कृषि निदेशक	कृषि निदेशक	कृषि निदेशक
2	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक	मण्डलायुक्त	कृषि निदेशक
3	मुख्य कृषि अधिकारी	जिला पंचायत अध्यक्ष/ जिलाधिकारी /मण्डलीय कार्यालयाध्यक्ष	यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन जिला पंचायत अध्यक्ष/जिलाधिकारी
4			यात्रा भत्ता बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक करेंगे।
5	जनपद मुख्यालय स्तर पर/तहसील/विकास खण्ड स्त र पर कृषि विभाग के समस्त श्रेणी–2 के अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी।

नोटः समूह–ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबन्ध में आकस्मिक अवकाश/यात्रा कार्यक्रम अनुमोदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।

2 समूह–क एवं ख के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश की सूचना निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी।

कृषि विभाग के मण्डल स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबन्धी अधिकार।

क्र0 सं0	पदनाम	स्थानान्तरण के स्तर	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के मण्डलान्तर्गत समूह ग एवं घ के समस्त कर्मचारी।	मण्डलान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक स्थानान्तरण नीति के आधार पर अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण के सक्षम प्राधिकारी	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण कृषि निदेशक,उत्तरांचल के स्तर से किये जायेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि/भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत/वाहन/कम्प्यूटर क्रय/साईकिल क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

कृ0 सं0	श्रेणी	स्वीकृता अधिकारी	अभिलेख के रख रखाव का स्तर
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी	कृषि निदेशक	वित विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमोंके अधीन विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर।

अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकारः–

कृ0 सं0	वर्ग का नाम	परिसीमायें (अर्जित/चिकित्सा अवकाश)	स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी
1	2	3	4
1	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	सम्पूर्ण, देय अवकाष की सीमा तक	कार्यालयाध्यक्ष
2	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
3	अधीनस्थ कृषि । सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
4	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक
5	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	विभागाध्यक्ष
6	राजपत्रित अधिकारी	1. 60 दिन तक का अर्जित अवकाश	विभागाध्यक्ष
		2. 90 दिन तक का चिकित्सा अवकाश	
		3. सेवानिवृत्ति/सेवारत मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश लेखे में संचित पूर्ण अवकाश की स्वीकृति	
7	निदेशालय में कार्यरत समूह ग, घ के अधिकारी/कर्मचारी	सम्पूर्ण देय अवकाश	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी
8	सहायक लेखाकार/प्रधान लिपिक	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक

9	लेखाकार/प्रषासनिक अधिकारी	6 सप्ताह तक	मण्डलीय संयुक्त कृशि निदेषक
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	निदेषक विभागाध्यक्ष
10	अधीनस्थ कर्मचारियों में कार्यरत अन्य समस्त समूह ग व घ के कर्मचारी	सम्पूर्ण अवकाष	कार्यालध्यक्ष

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य सहायक, का जॉब चार्ट

मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारीः–

1. अधिष्ठान के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ अनुभाग में बैठकर कार्य निष्पादन कराना।
2. पर्यवेक्षीय उत्तरदायित्व के साथ–साथ मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी संसद, विधान मण्डल के प्रश्न कर्मियों के लम्बित पावनों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें, कोर्ट कैसेज एवं अन्य विशेष रूप में सौपें गये प्रकरणों को स्वयं देखेंगें।
3. अनुभाग में डाक प्राप्त होने पर तात्कालिक संदर्भो को समान्य से पृथक कर उनमें पताका लगाकर निस्तारण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
4. अनुभाग में कार्यरत अपने सहायकों को कार्यो की नियंत्रित रूप से जॉच करते हुए देखेगें कि संन्दर्भो का समय से निस्तारण हो जाय।
5. वह कार्य में गति लाने के उद्देश्य से सहायकों के पटल पर लम्बित प्रकरणों की सूची बनायेंगे। तथा समय–समय पर अनुसार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
6. कार्य की महत्ता को देखते हुये यह किसी भी सहायक को चाहे प्रकरण उससे संबन्धित भी न हो तो कार्य के निस्तारण हेतु निर्देश दे सकते हैं।
7. कर्मियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराना तथा पंजिका रख–रखाव।
8. अवकाश वार्षिक वेतन वृद्वि, समयमान वेतनमान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे एवं कर्मचारियों के अन्य सेवा संबन्धी मामलों का संबन्धित पटल सहायक से त्वरित निस्तारण कराना।
9. लिपिकीय कर्मियों के कार्य निस्पादन में बाधा उत्पन्न न हो। बाहरी सरकारी या अशासकीय व्यक्ति केवल शासकीय कार्य हेतु अनुभाग में आने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर प्रवेश करने देना।
10. अनुभाग में लिपिक संवर्गीय कर्मियों के पुनर्निर्धारण के संबन्ध में सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव कर्मी की वरिष्ठता एवं कार्य दक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना।
11. डाक टिकट पंजिका की जॉच एवं अवशेष टिकटों की सत्यता सत्यापन।
12. सामान्य प्रशासन में सहयोग देना।
13. अनुभाग में कार्यरत प्रत्येक पटल सहायकों की कर्तव्य सूची बनाना तथा अनुभागाध्यक्ष से अनुमोदित कराकर अद्यतन रूप से पटल पर रखना।

14. सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूचियों को अपनी देख–रेख में तैयार कराना एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराना।
15. सम्वर्गवार पदोन्नतियों के प्रकरणों को तैयार कराना एवं उनको निस्तारित कराने का कार्य।
16. स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कराना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
17. अनुभाग की उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव।
18. अभिलेखों के समुचित रख–रखाव तथा अभिलेखागार में पत्रावलियों को समयावधि तक अभिरक्षित एवं निदान की व्यवस्था बनाये रखना।

लेखाकार/सहायक लेखाकार–

क0 सं0	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों का पदनाम जिसके संरक्षण में अभिलेख हैं	अभिलेख का विवरण
		सहायक लेखाकार	पत्रावलियाँ एवं पँजिकायें
	मुख्य कृषि अधिकारी		विभिन्न केन्द्रपोशित व राज्यपोशित योजनाओं से सम्बन्धित बजट पत्रावलियाँ एवं पंजिकायें (वर्श–2008–09 से वर्तमान तक) महालेखाकार/विभागीय सम्प्रेक्षण सम्बन्धित पत्रावलियाँ। तुलन पत्र सम्बन्धी पत्रावलियाँ।

प्रवर सहायक/वरिष्ठ सहायकः–

मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी अधिष्ठान में कार्यरत प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक के मध्य कार्य के औचित्य के दृश्टिकोण से पटलों का गठन करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जॉब चार्ट बनाकर संबन्धित सहायको को पटल विभाजित करेगें। जैसे पेंशन, सामान्य भविष्य निधि प्रकरण, प्रतिपूर्ति दावें, डाक प्राप्ति प्रेशण, भण्डार, कैश एवं जमानत, वेतन बिल, अधिकारियों से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना संबन्धी कार्य, कार्यालय के अन्य अनुभागों में लिपिक के कर्मचारियों की तैनाती तथा अनुभागों में टाइप/कम्प्यूटर टाइप कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिदिन पूर्ण करने का दायित्व संबन्धित सहायकों को सौंपे गये कार्यदायित्व के अनुकूल रहेगा। अनुभाग में कार्यरत प्रवर एवं कनिष्ठ सहायक अपने कृत्यों के निवर्हन हेतु प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारियों

के प्रति उत्तरदाई रहेगें तथा पटल सहायकों की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान कराने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा।

आशुलिपिक ग्रेड–1/ग्रेड–2/वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकः–

1. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का रख–रखाव एवं उनके संबन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।
2. अति गोपनीय अनुशासनात्मक एवं जांच प्रकरणों की पत्रावलियों का रख–रखाव।
3. अधिकारियों द्वारा दिये गये श्रुतलेख को संक्षिप्त लिपिबद्व करते हुये यथावत टाइप का कार्य
4. अर्द्वशासकीय पत्रों/शीलबन्द लिफाफों, गोपनीय एवं अतिगोपनीय पत्रों को डाक से पृथक कर अधिकारी के सम्मुख पृष्ठादेश हेतु प्रस्तुत करना।
5. उच्च स्तरीय बैठकों से सम्बन्धित ऐजेण्डे, दूरभाश,फैक्स से वाछित सूचना को अधिकारी के सज्ञांन में लाते हुये त्वरित कार्यवाही करना।
6. अधिकारी के आवश्यक निर्देश पर डाक मार्क करना।
7. अधिकारी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्तिम अनुमोदित भ्रमण पत्रावली का रख–रखाव।
8. अधिकारी को आवंटित वाहन की लॉग बुक का अद्यतन रूप से वाहन चालक से पूर्ण कराना तथा वाहन द्वारा मासिक तय की गई दूरी एवं पेट्रोल, डीजल के औसत का रख–रखाव कराना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीः–

कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदनाम से पदों का सृजन हुआ है अतः कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनाती पद विशेष के आधार पर यथा चौकीदारी, अर्दली, हलवाह कार्यालय चपरासी, लैब परिचारक, क्षेत्र परिचारक, क्लीरनर के कार्यदायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ अधिकारियों एवं कार्यालय सहायकों द्वारा मौखिक/लिखित में शासकीय कार्यहित में दी गई आज्ञा का पालन शालीनता के साथ सुनिष्चित करेगें।

–:: मैनुअल–3 ::–

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम् सम्मिलित हैं)

विभागाध्यक्ष/निदेशालय से प्राप्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती हैं।

3.1 1. वित्तीय मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं एवं शासनादेश, वित्तीय आवंटन में दिये गये निर्देशो के आधार पर वित्त एवं लेखा नियंत्रक के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता हैं।

2. नियोजन/स्थापना मामलों में प्रचलित सेवा नियमावलियों/ग्रेडेशन लिस्ट/सेवा के संवर्ग के कर्मियों के मामलो के निस्तारण में शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण में कार्यालय स्तरों से प्रस्तुत प्रस्तावों के समुचित परीक्षण हेतु समिति गठित करते हुए समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है।

3. प्रशासनिक मामलों में शासन की समय–समय पर प्रचलित नीति एवं शासनादेशों, में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाता हैं।

4. गुणवत्ता नीति के अधीन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, नियम 1968 एवं बीज अधिनियम 1983 कीट पादप रोग अधिनियम 1968, खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को परखने के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1937 में प्रदत्त व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है।

3.2 किसी विशेष विषय जिस विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्षों को निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है तो ऐसे विषयों पर विभागाध्यक्ष शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लेते हैं तथा अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यलयाध्यक्ष किसी विशेष विषय पर अपने मण्डलीय अधिकारियों /निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तद्नुसार निर्णय लेते हैं। विधि–विषयों में प्रकरण शासन को संदर्भित कर न्याय विभाग की सहमति पर निस्तारित किये जाते है तथा वित्त सम्बन्धी जटिल प्रकरणों पर शासन के वित्त विभाग से प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

3.3 विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी अपने विभागीय कर्मचारियों एवं सूचना तंत्र के माध्यम से विभागीय कार्यकलापों पर लिये गये निर्णय एवं शासन की जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं एवं विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हैं तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्रपंचायत की बैठकों में भी इस आशय की जानकारी सुलभ कराते हैं।

3.4 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी विभागीय स्तर पर कृषि निदेशक है।

3.5 मुख्य विषय पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

मैनुअल–3(ए)

कृषि विभाग में वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया

वित्तीय प्रकिया में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–2, प्रोक्यूरमैंट नियमावली तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य–मुख्य निर्णय निम्नप्रकार प्रस्तरवद्व किये जा सकते है।

बजट आबंटन तथा उपयोग की प्रकिया:

आयोजनागत मद में शासन से परिव्यय स्वीकृत होता है परिव्यय व बजट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपदों को विभागीय कार्ययोजना के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य दिये जाते है। इन वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष बजट का योजनावार ऑवटन जनपदों व अन्य कार्यालयों (यथा सांख्यिकी हेतु जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत कृषि कार्मिकों के अधिश्ठान से सम्बन्धित) को ऑवटन किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट मैनुअल परक्यूरमैन्ट नियमावली वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का संज्ञान लेते हुए बजट का उपयोग किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का पूर्ववर्ती माह का व्यय विवरण निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–8 पर निदेशालय को आगामी माह में उपलब्ध कराया जाता है। आहरण वितरण अधिकारियें से प्राप्त व्यय विवरण बी0एम0–8 को योजनावार संकलित कर संकलित सूचना प्रारूप बी0एम0–12 तैयार कर महालेखाकार को एवं प्रारूप बी0एम0–13 पर तैयार कर शासन को प्रेषित की जाती है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण:

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं में उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

सम्प्रेक्षण (आडिट) की प्रकिया:

आबंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुकूल किया गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जाती हैं। सम्प्रेक्षण महालेखाकार, विभाग तथा बाहय एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है। विभागीय सम्प्रेक्षण में प्रकाश में आयी आपत्तियों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं तथा आडिट/प्रस्तर रिपोर्ट कृषि निदेशालय, को भी भेजी जाती है।

–:: मैनुअल–4 ::–

(कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान)

नीति निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता है। तद्सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाता है वर्ष 2015–16 के कृषि गणना के अनुसार कुल 1.44 लाख हैक्टेयर जातों में से 0.04 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति तथा 0.27 लाख हैक्टैयर अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जोत है तथा इसमें से 0.53 लाख हैक्टैयर जोत लघु सीमान्त कृषकों के पास उपलब्ध है।

अधिकांश जोतों का आकार लघु सीमान्त श्रेणी में आने के कारण एक ही विकल्प रह जाता है कि प्रति इकाई उत्पादन को जहाँ तक संभव हो सके अधिकतर किया जाय। इस संदर्भ में निम्नांकित नीति अपनाई गई है।

अनुसूचित जाति बहुल महत्वपूर्ण ग्रामों का चयन।
चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन।
विभिन्न कार्यक्रमों को अलग–अलग प्रस्तावित न करते हुये चयनित क्षेत्र का सर्वांगीण विकासं कार्ययोजना को लाभार्थी उन्मुख बनाते हुये प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक परिवारों की संख्या सुनिश्चित करना।
अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा कृशि विविधीकरण।

1–नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन

धान्य फसलें, दलहनी तथा तिलहनी फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढाने के उददेश्य से योजना लागू है। क्लस्टर प्रदर्शनों पर रू0 9,000.00 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधारित प्रदर्शन पर रू0 12,500.00 अथवा रू0 15,800.00 प्रति (की दर (जो भी अनुमन्य हो) पर अनुदान उपलब्ध है।
चयनित क्षेत्रों में गेहूँ, मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) तिलहनी एवं दलहनी फसलों की नवीनतम प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन।
गेहूँ की अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों के क्रय पर 10 वर्ष से अधिक की प्रजतियो पर रू0 1000.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजतियो पर रू0 2000.00 प्रति कु0 दलहनी फसलों में अधिक अवधि की प्रजतियों पर, रू0 2500.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से कम की प्रजतियो पर रू0 5000.00 प्रति कु0,तिलहनी फसलों में सोयाविन एवं तोरिया पर रू0 4000,00प्रति कु0 तथा तिल के बीजो पर रू0 8000,00 प्रति कु0 ,मोटे अनाज (मक्का एवं छोटे धान्य) फसलों में रू0 1500.00 प्रति कु0, तथा संकर धान एवं संकर मक्का बीजों के क्रय पर रू0 1000.00 प्रति कु0 या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की राज सहायत अनुमन्य है । सूक्ष्म पोषक तत्वों, कृषि रक्षा रसायनों एवं जैव रसायनों के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिषत अथवा रू0 500.00 प्रति हैक्टेयर।
फसल चक्र आधारित कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं कृषि यंत्र वितरण।
तिलहनी फसलों के अन्तर्गत ब्लाक कय कृषक प्रशिक्षण एवं आधिकरियो के प्रशिक्षण का प्राविधान है।

2–नेशनल मिशन फार सरटेनेबल एग्रीकल्चरः–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– वर्षा अधारित क्षेत्र विकास कार्यकम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एंव विकास करना है। इस घटक के दो उप घटक है– (क) एकीकृत कृषि पद्धति एंव (ख) मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण।

एकीकृत कृषि पद्धति योनजा के अन्तर्गत उद्यान आधारित, पशुधन उत्पादन आधारित, दुग्ध उत्पादन आधारित, वृक्ष उत्पादन आधारित एवं कृषि वानिकी आधारित फसल प्रणाली सम्मिलित है। जबकि मूल्यवर्धन एंव संसाधन संरक्षण कार्यकम के अन्तर्गत ग्रीनहाउस/लो टनल पॉलीहाउस निर्माण, मौन पालन, साइलेज इकाई निर्माण, पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज, वाटर हार्वेस्ट टैंक, कम्यूनिटी टैंक, टैंक्स रैस्टोरेसन, वाटर एप्लीकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूषन, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण, कृषक प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट आदि पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के अनुसार अनुदान की सुविधा देय है।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

क्षेत्र विशेष के आधार पर एकीकृत कृषि प्रणालियों का प्रयोग करके कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभप्रद, उत्पादक एवं मौसम के अनुसार लचीला बनाना।

मृदा व नमी सरंक्षण के उचित उपाय अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों का सरंक्षण करना।

समग्र मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा परीक्षण मानचित्रों के आधार पर पोशक तत्वों का उपयोग करना, उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग इत्यादि।

जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पहले से चल रहे कार्यकमों के सहयोग से जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करते हुये किसानों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की क्षमता का विकास करना।

योजनार्न्गत देय अनुदान निम्नवत् है–

क्र.सं.	घटक	व्यय के मानक
(अ) समेकित कृषि प्रणाली –:		
1	उद्यान आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 25000.00 प्रति हैक्टेयर।
2	पशुधन उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	कापिंग सिस्टम के मूल्य एवं पशुओं/पक्षी के मूल्य साथ–साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड फूड के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25000.00/हैक्टेयर है। (10 पशु/50 पक्षी, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम) ।
3	दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	पशु लागत सहित फसल प्रणाली के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिषत जिसमें कि पशुओं के साथ–साथ 1 वर्ष हेतु कन्सन्ट्रेड का मूल्य सम्मिलित हो, अधिकतम रू0 40000.00/हैक्टेयर (02 दुधारू पशु, 01 हैक्टेयर कापिंग सिस्टम)।

4	मत्स्यकी आधारित कृषि प्रणाली	फिश फार्मिंग को सम्मिलित करते हुये कार्पिंग/वेजेटेबिल सिस्टम के उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 25000.00/हैक्टेयर है।
5	वृक्ष उत्पादन आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत जो कि अधिकतम रू0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।
6	कृषि वानिकी आधारित कृषि प्रणाली	उत्पादन लागत के मूल्य का 50 प्रतिशत या जिसकी अधिकतम सीमा रू0 15000.00 प्रति हैक्टेयर।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम –:

(ब) मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षण :–		
1	मौन पालन	मूल्य का 40 प्रतिशत या रू0 800.00 प्रति कालोनी
2	साइलेज इकाई	मूल्य का शत–प्रतिशत अधिकतम रू0 125000.00 प्रति फार्म फैमिली
3	पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड स्टोरेज	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 4000.00 प्रति वर्ग मी0
4	जल सम्भरण टैंक (व्यक्तिगत)	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 90000.00 प्रति टैंक जो भी कम हो
5	सामुदायिक टैंक (एक है0 कमांड क्षेत्रफल)	मूल्य का 100 प्रतिशत या अधिकतम रू0 250000.00 प्रति टैंक
6	टैंक रिस्टोरेशन	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 15000.00 प्रति इकाई जो भी कम हो
7	जल प्रयोग एवं वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 10000.00 प्रति है0 जो भी कम हो
8	मिडिल रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत–प्रतिशत अधिकतम रू0 24000.00 प्रति इकाई
9	लोवर रीच गली नियंत्रण संरचनायें (सामुदायिक)	मूल्य का शत–प्रतिशत अधिकतम रू0 40000.00 प्रति इकाई।
10	ससाधन संरक्षण/आई0 एफ0 एस0 प्रशिक्षण (20 प्रति समूह)	रू0 10000.00 प्रति प्रषिक्षण
11	शैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट (50 प्रति समूह)	रू0 20000.00 प्रति भ्रमण/विजिट

(ब) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना– मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता एंव आवश्यकता तथा मृदा उर्वरता बढाने के उददेश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार डवकमस टपससंहम च्तवहतंउउम हेतु जी0पी0एस0 पद्धति से खरीफ 2019 में मृदा नमूनें एकत्रित किये गये। नमूना विश्लेषण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई संस्तुतियों के आधार पर चयनित प्रत्येक विकासखण्ड से एक ग्राम(कुल 6 ग्राम) में रबी 2019–20 में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे है। 2141 कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना :– वर्श 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है जो कि 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है वर्ष 2017–18 तक योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 585 कलस्टर स्वीकृत किये गये है, प्रत्येक कलस्टर का क्षेत्रफल 20 हैक्टयर है । इस अवधि में योजना का संचालन 11 पर्वतीय जनपदों एवं एक मैदानी जनपद में किया गया। सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0 के0 वी0 वाई0) योजना में भारत सरकार द्वारा 3900 नये कलस्टर आवंटित किये गये है। योजनान्तर्गत कलस्टर/समूह में कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि निवेश शत–प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये जाते हैं।

- परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तर पर 3900 समूहों (155 कलस्टरों) एवं जनपद स्तर पर 200 समूहों का (कृषि विभाग–7, उद्यान विभाग –100 एवं उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद –25) का चयन किया गया है।

- योजना अर्न्तगत एक कलस्टर/समूह में 20 है0 क्षेत्रफल एवं 50 कृषक आच्छादित किया जाना है।

कलस्टर आधारित चयनित ग्रामों में सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0) के अर्न्तगत जैविक कृषि को प्रोत्साहन।

- पारम्परिक तकनीकों और प्रोद्योगिकियों को अपनाकर खतरनाक, सिन्थैटिक अकार्बनिक रसायनों से पर्यावरण की रक्षा।
- प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढावा देना एवं मिटटी की प्रजनन क्षमता बढाना।
- टिकाऊ एकीकृत जैविक कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करते हुए कृषकों की आय में वृद्वि करना।
- उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रमाणीकरण प्रबन्धन द्वारा किसानों को सषक्त बनाना।
- मानव उपभोग के लिए रसायन मुक्त और पौस्टिक उत्पाद का स्थायी रूप से उत्पादन करना।
- स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों के साथ प्रत्यक्ष बाजार सम्बन्धों के माध्यम से किसान उद्यमियों को तैयार करना।

4–नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी (एन0एम0ए0ई0टी0) अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम।

(अ) सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (एस0एम0ए0ई0) एवं जनपद स्तर पर एग्रीकल्चर टैक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी–आतमा (केन्द्रपोषित) के अन्तर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, गन्ना आदि रेखीय विभागों के समन्वित प्रयास सम्मिलित है, विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक
1	कृषक प्रशिक्षण	अर्न्तराज्यीय प्रशिक्षण हेतु रु0 1250, राज्यन्तर्गत रु0 1000, एवं जिलान्तर्गत रु0 400/250 प्रति कृषक प्रतिदिन
2	प्रदर्शन	कृषि उद्यान, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि द्वारा आयोजित प्रति एकड़ रु0 4000.00
3	कृषक अध्ययन भ्रमण	अर्न्तराज्यीय भ्रमण हेतु रु0 800, राज्यन्तर्गत रु0 400, एवं जिलान्तर्गत रु0 300 प्रति कृषक प्रतिदिन
4	कृषक समूह को सहायता	क्षमता विकास हेतु रु0 5000, सीड मनी हेतु रू0 10000 एवं फूड सिक्योरिटी हेतु 10000 प्रति समूह प्रतिवर्ष
5	सर्वश्रेष्ठ कृषक समूह पुरस्कार	रु0 20000 प्रति समूह
6	किसान पुरस्कार	राज्यस्तरीय रु0 50000, जनपद स्तरीय रु0 25000, एवं ब्लाक स्तरीय रु0 10000 प्रति कृषक
7	फार्म स्कूल	ब्लाक स्तर पर प्रतिफार्म स्कूल रु0 29414 (प्रत्येक विकासखण्ड में 3 फार्म स्कूल का आयोजन)

(ब) सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटिरियल (बीज ग्राम योजना):– उत्पादन को बढाने एंव कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बीज ग्राम योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे कृषकों द्वारा स्वंय के खेतो में ही गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करते हुए उपयोग में लाया जा सके। योजनान्तर्गत कृषकों को एक एकड क्षेत्रफल हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर गुणवत्ता युक्त बीज वितरित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों के स्तर पर उत्पादित बीजों की गुणवत्ता को सुदृढ़ कर कृषकों को बीज उत्पादन तकनीक में प्रशिक्षित करते हुए उत्पादित बीज का सुरक्षित भण्डारण करना है।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत देय सुविधायें–

क0 सं0	मद	देय अनुदान
1	बीजों पर देय अनुदान	योजनान्तर्गत कृषकों को 01 एकड क्षेत्रफल हेतु प्रमाणित एंव आधारीय बीजों यथा: धान्य फसलों में बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान तथा दलहन एंव तिलहन फसलों में 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

• कृषि यंत्र वितरण – थ्रेसर , पावर टिलर ,पावर विडर , जल पंप जैसे अधिक लागत वाले यन्त्रों को यदि विगत वर्षा के दौरान वितरित न किया गया होते समूह की आवश्यकता अनुसार दिया जा सकता है तथा समूह से अनुबन्ध कराने उपरान्त यत्र का उपयोग एवं रखरखाव सामूहिक रूप से करेगे

• मानव/बैल चालित यंत्र, अन्न भडांरण की बुखारी, चैफ कटर एवं 500 लीटर की टंकियों एवं एच0 डी0 पी0 ई0 किसानों को निःशुल्क वितरित किये जाते है।

छतवर्षा जल संभरण टैकों का निर्माण कराया जाता हैं ताकि वर्षा जल का समुचित उपयोग हो सके।

चयनित ग्रम में उपलब्ध जल स्त्रोत को ध्यान में रखते हुये सिंचाई टैक संपादित किये जाते है, जिसका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है।

• सिंचाई गूल का निमार्ण कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु समूह के उपयोंग के लिए किया जाता है

• मृदा एवं जल संरक्षण संबन्धी स्थायी प्रकति के कार्य ही संपादित किये जाए वानस्पतिक घेरबाड चारा/फल प्रजाति के पौधों का वितरण एवं घास रोपण का कार्य किया जाता है। बीज मिनिकिट में दस वर्श के अन्तर्गत अधिसूवित नवीन तक फसल प्रजातियों का ही वितरण किया जाऐ

8– जिला योजनाः–

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यो को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मिलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

9– राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना):–

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक–पृथक एस0सी, एस0 टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। 2017–18 में विकास खण्ड खटीमा में भगचुरी एवं बनकटिया, विकास खण्ड सितारगंज में खुन्सरा एवं बलखेडा चयनित हैं।

2.6:– लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रंसगः– संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणनु अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिगंल विण्डो सिस्टम के रुप में में पुर्नगठित किया गया।

जनपद एक दृष्टि :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड	विधानसभा
1	देहरादून	रायपुर	रायपुर
2		डोईवाला	डोईवाला
3		सहसपुर	विकासनगर
4		विकासनगर	विकासनगर
5		चकराता	चकराता
6		कालसी	चकराता

जनपद के विभिन्न विकास खण्ड एवं उनके अन्तर्गत न्याय पंचायत

क्र0 सं0	नाम विकास खण्ड	नाम न्याय पंचायत
1	रायपुर	रायपुर
2		थानो
3		सरोना
4		अजबपुर खुर्द
5		सेवला कलां
6		गुजराड़ा
7	डोईवाला	मारखम ग्रान्ट
8		श्यामपुर
9		भानियावाला
10		रानीपोखरी
11		मियावाला
12	सहसपुर	सहसपुर
13		झाझरा
14		आमवाला
15		भाऊवाला
16		भगवन्तपुर
17		ईस्टहॉपटाऊन
18	विकासनगर	धर्मावाला
19		सोरना
20		सभावाला
21		एन्फील्ड

22		लाँघा
23	चकराता	रंगेऊ
24		काण्डोई बोन्दर
25		जाड़ी
26		बेगी
27		दसऊ
28		भुनाड़
29		भन्द्रोली
30		मिन्डाल
31		बृनाड
32	कालसी	कोटी
33		उत्पाल्टा
34		नराया
35		भंजरा
36		कोरुवा
37		डागुरा
38		मुन्धान
39		कालसी
40		खाड़ी

–:: मैनुअल– 5::–

(अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेशन निर्देशिका और अभिलेख)

संगठनो के पास शासकीय दस्तावेजो की जानकारी देने हेतु निर्धारित रूपपत्रो की ही प्रयोग किया जायेगा और निदेशालय स्तर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजो का पालन किया जायेगा। विभाग में निम्न अधिनियम/अधिसूचनाओं के प्राविधानानुसार तथा समय–समय पर संशोधित अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

क–

क0 सं0	विवरण
	जनपद में बीज अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1.	बीज अधिनियम 1966
2.	बीज नियम 1968
3.	बीज नियंत्रण आदेश 1983
	जनपद में कीटनाशी अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1	कीटनाशी अधिनियम 1968
2	कीटनाशी नियम 1971
3	कीटनाशी आदेश 1986
4	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी रसायन विनिर्माण हेतु लाइसेन्स जारी करने विषयक अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 13 फरवरी 2001
5	कीटनाशी अधिनियम के अर्न्तगत अपील अधिकारी नियुक्ति विषयक सूचना सं0–343 13 फरवरी, 2001
6	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी निरीक्षक नियुक्ति विषयक अधिसूचना सं0 344 दिनांक 13फरवरी,2001
7	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अर्न्तगत कीटनाशी के उपयोग या हाथ लगने से उत्पन्न विशाक्तता सम्बन्धी अधिसूचना संख्या –345 13 फरवरी 2001
8	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन अभियोजन संस्थित करने विषयक अधिसूचना संख्या –346 13 फरवरी 2001
9	उत्तरांचल (उ0प्र0) कृषि रोग व कीट अधिनियम 1954 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश दिनांक 8.11.2002
10	कीटनाशी अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003
11	कीटनाशी अधिनियम 1968 के सन्दर्भ में कीटनाशी विष्लेशक की अधिसूचना संख्या– 1528 दिनांक 19 मार्च, 2003
12	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी नियमावली 1971 के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी नियुक्ति विषयक अधिसूचना संख्या–1441 दिनांक 5 दिसम्बर, 2003
13	एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शासनादेश संख्या–1265 दिनांक 18 मई, 2005
14	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग फरीदाबाद, हरियाणा का पत्रांक 115–6/2007 दिनांक 16/18.7.2007
15	कार्यालय ज्ञाप अपील का प्राधिकार पत्रांक 2526 दिनांक 13 अगस्त, 2007
16	कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 6476 दिनांक 13 मार्च, 2008

17 कार्यालय ज्ञाप संयत्र/उपकरण विषयक टास्क फोर्स समिति पत्रांक 6140 दिनांक 18 फरवरी, 2009

कृषि उत्पादन मण्डी

28. कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964
29. कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965
30. उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972
31. उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1984
32. उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अधिकारी एवं कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984
33. अधिनियम के अर्न्तगत सर्कुलर एवं अधिसूचनायें

कृषि उत्पाद एक्ट

34. कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग – मार्किंग) एक्ट 1937

जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) रूल्स

35. जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) रूल्स 1988

स्थानान्तरण नीति/कार्यालय ज्ञाप/शासनादेश

36. सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2008, 2009 एवं 2010
37. कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप–1340 दिनांक 07 नवम्बर, 03
38. कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप–1341 दिनांक 07 नवम्बर, 03
39. मृदा परीक्षण शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना सं0–1472दिनांक 17.11.05
40. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक जैव कीटनाशी, खर–पतवारनाशी, हरीखाद के बीजों पर किसानों को अनुदान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–905 दिनांक 20 जून, 2007

विनियमितीकरण

41. उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002
42. उत्तरांचल सचिवालय से इतर च0श्रे0 कर्मचारियों/राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सं0–1706 दि0 2.11.04

ख–

क0 सं0	विवरण
	फर्टीलाइजर
1.	फर्टीलाइजर कन्ट्रोल एक्ट 1985
2.	फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आदेश 1973
3.	उर्वरक नियन्त्रण संशोधित अधिसूचना संख्या 1673 दिनांक 5.03.2003
4.	उर्वरक (नियन्त्रण) 1985 के अर्न्तगत संशोधित फरवरी, 2019
	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम
5.	उत्तरांचल (उ0प्र0 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
6.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963
7.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के अधीन नियमावली 1963
8.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण (संशोधन) नियमावली 1971
	विभागीय पुर्नगठन अधिसूचनाएं
9.	अधिसूचना संख्या 680 दिनांक 4 अक्टूबर 2001
10.	अधिसूचना संख्या 782 दिनांक 27 अक्टूबर 2001
11.	अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 2 अगस्त 2003
12.	संशोधित अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 28 फरवरी 2004
13.	कृषि विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रीयल सम्वर्ग के संगठनात्मक ढ़ाचें के पुर्नगठन के सम्बन्ध में शा0 सं0

720 दिनांक 22.10.2008 शा० सं० 570 दिनांक 20.08.2008 शा० सं० 277 दिनांक 24.11.2006

14. शा० सं० 411 दिनांक 28.07.2009 उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
15. शा० सं० 648 दिनांक 17.09.2009 24 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य समयमान वेतनमान सम्बन्धी
16. शा० सं० 860 दिनांक 17.11.2009 प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित मूल्य पर यंत्र वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली का निर्धारण
17. 24 वर्ष की सेवा अनुमन्य विषयक समयमान वेतनमान सम्बन्धी शा० सं० 899 दिनांक 30.09.2009
18. वाहन चालक के सम्वर्गीय ढाचें के सम्बन्ध में शा० सं० 978 दिनांक 30.12.2009
19. एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश
20. लिपिक वर्गीय स्टाफिंग पैर्टन विषयक शा०सं० 183 दिनांक 11.02.2010
21. आशुलिपिक सेवा (संशोधित) नियमावली 2010 शा०सं० 215 दिनांक 10.03.2010
22 पुर्नगठन संशोधित अधिसूचना संख्या 225 दिनांक 11.03.2010
23. सिंगल विन्डों विषयक अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 28.05.2010

सेवा नियमावलियां

24. उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क') सेवा नियमावली 1992
25. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि समूह 'क' पद सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
26. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995
27. उत्तरांचल (उ०प्र०कृषि समूह 'ख' पद सेवा नियमावली 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
28. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993
29. उत्तरांचल (उ०प्र० अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
30. वेतन विसंगति (1997–99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति
31. कार्यालय ज्ञाप सं० 1333 दिनांक 06.09.2005
कनिष्ठ अभियन्ता पद कृषि सेवा नियमावली 1993 के परिशिष्ठ 'ख' में सूचीबद्ध विषयक
32. वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान 4500–7000 के स्थ. [illegible] 5000–8000 के वेतनमान की स्वीकृति
33. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा ([illegible]पत्रित) सेवा नियमावली 1982
34. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित, [illegible] संशोधन नियमावली 1983
35. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) [illegible] नियमावली 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
36. समता समिति (1989) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में लेखा सम्वर्ग के वेतनमानों का निर्धारण
37. द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा सम्वर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति
38. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982 (उत्तरांचल संशोधन) नियमावली 2005
39. कार्यालय ज्ञाप संख्या 436 दिनांक 27 मार्च 2006 सहायक लेखाकार/लेखाकार 80:20
40. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992
41. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
42. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000
43. उत्तरांचल (उतार प्रदेश कृषि विभाग ड्राइंग इस्टेबलिसमेन्ट सेवा नियमावली 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

44. उत्तराखण्ड कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान (संशोधन) सेवा नियमावली 2008
45. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983
46. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
47. उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
48. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984
49. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
50. समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 2004
51. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993
52. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
53. उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 2003
54. सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974
55. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली 1993
56. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1994
57. उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
58. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2004 (प्रथम संशोधन)2004

मैनुअल –6

जनपद स्तर पर मैनुअल –6 की सूचनाः–

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून, रायपुर स्थित किसान भवन।

क0 सं0	नाम पत्रावली	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जॉच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक /नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सम्पादित पटलः–				
वर्तमान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई भी पटल सम्पादित नहीं किया जा रहा है।				
2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सम्पादित पटलः–स्थापना,,जी0पी0एफ0,पेन्शन,वेतन निर्धारण नकदीकरण जी0आई0एस0सम्बन्धित कार्य				
3. अपर सहायक अभियन्ता के द्वारा सम्पादित पटलः–कार्यालय /जनपद के समस्त अभियंत्रण से सम्बन्धित कार्य				
1	परियोजना अनुमोदन पत्रावली	जनता द्वारा जॉच के लिऐ उपलब्ध।	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर।	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2	कार्य दर पत्रावली जल सम्भरण/ संचय से सम्बन्धित पत्रावली			
3	सामग्री ढुलान स्वीकृती से सम्बन्धित पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4	कास्तकार/जनप्रतिनिधि से प्राप्त पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5	निर्देश/निरीक्षण पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6	भवन निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7	मनरेगा से सम्बन्धित पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
8	आई0डब्लू0एम0पी0से सम्बन्धित पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (कृषि विपणन) के द्वारा सम्पादित पटलः–				
1.	केन्द्र देहरादून की विपणन परिज्ञान पत्रावली 2018–19	जनता द्वारा जॉच के लिऐ उपलब्ध।	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक देहरादून के माध्यम से	ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक देहरादून।
2.	जनपद स्तररीय विपणन एम0पी0आर0 पत्रावली 2018–19	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3.	एगमार्क वर्गीकरण एम0पी0आर0 पत्रावली2018–19	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4.	साप्ताहिक स्टॉक रिटर्न पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5.	भाव–आवक संचालन पँजिका केन्द्र देहरादून	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6.	एगमार्क पैकर पत्रावलियाँ	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7.	पत्र प्रेषण–प्राप्ति पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में धारित पँजिकायें/पत्रावलियाँ) के द्वारा सम्पादित पटलः–				
1.	नमूना प्रति पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
2.	डाटा पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–

3.	उपस्थिति पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4.	भ्रमण पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5.	मासिक प्रगति पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6.	स्थापना पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7.	माँग पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
8.	परिणाम पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
9.	वेतन माँग पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
10.	डी 2 रशीद बुक	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
11.	स्टोर रशीद	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
12.	बिल बुक	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
13.	कैश रजिस्टर	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
14.	चालान पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
15.	अवकाश पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
16.	चार्ज पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
17.	भण्डार पँजिका डी–11, डी–52, डी–42,	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 राजकीय जैविक कृषि बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र ढ़करानी, देहरादून के द्वारा सम्पादित पटलः–				
1.	डी0ए0डी0– 39	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
2.	डी0ए0डी–0 40	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3.	डी0ए0डी0– 02	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4.	डी0– 42	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5.	रोकड़ा बही	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6.	राजकीय पत्र पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7.	राजकीय प्रेषित पत्र पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
8.	प्रक्षेत्र कार्य स्वीकृति पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
9.	फसल उत्पादन पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
10.	चालान पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
11.	छानस पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
12.	चालान पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
13.	ड्राई डेरी पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
14.	वाद ओमार बनाम राज्य पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
15.	वाद जिशान बनाम राज्य पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
16.	विद्युत एवं पेयजल पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
17.	निरीक्षण पत्र पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
18.	चार्ज सूची पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
19.	प्रक्षेत्र सुदृढ़ीकरण पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
20.	बुवाई पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
21.	ट्रैक्टर लॉगबुक पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
22.	चारा वितरण पँजिका (पशु)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
23.	प्रक्षेत्र बिल पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
24.	नीलामी पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
25.	पत्र प्रेषण पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
26.	पेड़ पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
27.	फसल उत्पादन पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7. सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (प्रा0अनु0) के द्वारा सम्पादित पटलः–				

1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पत्रावली 2018–19	जनता द्वारा जॉच के लिऐ उपलब्ध।	पत्रावलियाँ मेरे द्वारा तैयार की गई हैं। इससे पूर्व वित्तीय वर्षों की पत्रावलियाँ मुझे चार्ज में प्राप्त	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कॉप प्रोंडक्शन पत्रावली 2018–19			
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज उत्पादन		लिखित चार्ज में प्राप्त की गई हैं।	
4.	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पत्रावली 2018–19	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5.	मृदा सवास्थ्य कार्ड पत्रावली 2018–19			
6.	एस0एम0ए0एम0 पत्रावली 2018–19			
7.	आइ0एम0ए0 विलेज कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रावली 2018–19			
8.	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (प्रा0अनु0) के द्वारा सम्पादित पटलः–			
1.	परम्परागत कृषि विकास योजना पत्रावली	जनता द्वारा जॉच के लिऐ उपलब्ध।	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2.	नमामि गंगे परियोजना पत्रावली			
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम–उपयोजना पत्रावली			
4.	मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय एंव वी0आई0पी0 स्तर से प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही सदंर्भित पत्रावली			
5.	डा0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी (रूर्बन योजना) पत्रावली			
8.	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 (प्रा0अनु0) के द्वारा सम्पादित पटलः–			
1.	बीज ग्राम योजना	जनता द्वारा जॉच के लिऐ उपलब्ध।	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर।	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2.	राष्ट्रीय कृषि सत्त विकास मिशन			
3.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
4.	विधान सभा सत्र प्रश्न पत्रावली			
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (जैविक कार्यक्रम) पत्रावली			
6.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पत्रावली			
7.	वित्तमान निर्धारण पत्रावली			
8.	कृषक आय दोगुनी कार्यक्रम पत्रावली			
9.	डी0बी0टी0 कार्यक्रम पत्रावली			
9.	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–2 के द्वारा सम्पादित पटलः–			
1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम/छात्रवृत्ति सत्यापन पत्रावली	–तदैव–	क0सं0 1 से 22 तक चार्ज मे प्राप्त। कसं0 23 से 26 एवं 30 से 31 तक की पत्रावलियों सम्बन्धित द्वारा दस्ती दी गई है, अभी तक विधिवत् रूप से चार्ज में हस्तगत नही करायी गई है,	मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
2	वैदर वाच पत्रावली			
3	वार्षिक भौतिक सत्यापन पत्रावली			
4	जिला योजना पत्रावली			
5	बीज विक्रय दर पत्रावली			
6	प्रगति सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रावली			
7	विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्राप्त होने वाले बीजों के बिल की प्रतिहस्ताक्षर से सम्बन्धित पत्रावली			
8	निरीक्षण सम्बन्धी पत्रावली			

9	सरकार जनता के द्वार पत्रावली		महोदय के मौखिक निर्देशों के क्रम में कार्य सम्पादित किया जा रहा है।	
10	नलकूप खण्ड विभाग से सम्बन्धित पत्रावली			
11	सूचना का अधिकार पत्रावली			
12	ग्राम स्वराज पत्रावली			
13	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पत्रावली			
14	यू0जी0वी0एस0–आई0एल0एस0पी0 पत्रावली			
15	कृषक बन्धू बैठक पत्रावली			
16	डी0एल0आर0सी0 पत्रावली			
17	निगरानी समिति– मा0 सांसद से सम्बन्धित पत्रावली			
18	विभिन्न स्तरीय बैठक सम्बन्धी पत्रावली			
19	विविध पत्रावली			
20	कृषि आंकड़े सम्बन्धित पत्रावली			
21	मु0वि0अ0/जि0अ0स0अ0 कार्या0को प्रेषित की जानी वाली प्रगति सूचना से सम्बन्धित पत्रावली			
22	बीज मांग/आवंटन सम्बन्धित पत्रावली–खरीफ/रबी			
23	कीटनाशी अधिनियम सम्बन्धित पत्रावली			
24	कीटनाशी नमूने आहरण सम्बन्धित पत्रावली			
25	उर्वरक एंव बीज निरीक्षक नामित पत्रावली			
26	उर्वरक नमूने आहरण/विश्लेषण पत्रावली			
27	कृषि रक्षा/सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक मांग/कय आदेश पत्रावली			
28	कृषि रक्षा/सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक दर पत्रावली			
29	जोनल कान्फ्रेन्स पत्रावली–उर्वरक/कृषि रक्षा रसयान			
30	उर्वरक नमूना आहरण पत्रावली			
31	कीटनाशी अधिनियम/शासनादेश पत्रावली			
32	बीज नमूने आहरण/विश्लेषण पत्रावली			
33	बीज अधिनियम पत्रावली			
34	उर्वरक अधिनियत पत्रावली			
10.	प्रधान सहायक श्री जितेश पन्त द्वारा योगदान करने के उपरान्त कार्यालय में पुनःयोदान नही किया गया व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अभी तक अप्राप्त।			
11.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सम्पादित पटल:– कार्यालय के समस्त कार्मिकों की मूल सेवापुस्तिकायें	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कार्यालय के समस्त कार्मिकों की व्यक्तिगत पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कार्यालय आदेश पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कार्यालय के समस्त कार्मिकों की स्थानान्तरण अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

12. सहायक लेखाकार के द्वारा सम्पादित पटलः–

क्र0सं0	नाम पत्रावली	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
	2018–19 पत्रावली सूची			
1	एस0एम0ए0एम	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
2	सामान्य अधिष्ठान	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
3	बजट समर्पण	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
4	एन0एफ0एस0एम0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
5	जिला योजना	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
6	डी0डी0ओ0 रीकैंसिलेशन	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
7	विविध	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
8	4401–00107–00 4401–00–107–00	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
9	एन0एफ0एस0एम0 का ऑडिट यू0 / सी0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
10	ऑर्गेनिक फार्म ढ़करानी	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
11	विभिन्न प्रयोगशाला	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
12	यू0 / सी0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
13	सी0टी0आर0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
14	बजट डिमांड	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
15	सूचना सलाह केन्द्र	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
16	भुगतान आदेश	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
17	29– अनुरक्षण कोटेशन पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
18	कृषि निवेश भण्डार	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
19	सी0ए0 ऑडिट यू0 / सी0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
20	आर0के0वी0वाई0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
21	कालातीत	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
22	एन0एफ0एस0एम0 2	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
23	एन0एम0एस0ए0 एस0एच0एम0 / एसएचसी / रैड	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
24	पी0के0वी0वाई0 आवंटन पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
25	एस0एम0ए0एम0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
26	एम0पी0आर0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	2019– 2020 पत्रावली सूची			
1	एस0एम0ए0एम0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
2	तुलन पत्र	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
3	एम0ओ0यू0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
4	विभिन्न प्रयोगशाला	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
5	सूचना सलाह केन्द्र	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
6	संप्रेक्षण पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
7	थर्ड पार्टी बैंक डिटेल	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
8	कालातीत बिल	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

9	एम0पी0आर0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
10	टैक्स डिडक्सन डिटेल लैटर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
11	भुगतान आदेश	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
12	पी0एम0एस0एन0वाई0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
13	एन0एफ0एस0एम0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
14	सीड रेट	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
15	यू0/सी0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
16	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
17	विविध	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
18	पी0एम0के0एस0वाई0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
19	आर0के0वी0वाई0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
20	बुलान टैक्टर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
21	डी0डी0ओ रीकैंसीलेशन	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
22	पी0के0वी0वाई0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
23	सी0टी0आर0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
24	जिला योजना	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
25	बजट समर्पण	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
26	सामान्य अधिष्ठान	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
27	एन0एम0एस0ए0 एस0एच0एम0/एसएचसी	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
28	4401–00107–00 4401–00–107–00	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

12. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सम्पादित पटलः– चरित्र प्रविष्टि सम्बन्धी पत्रावलियां

1.	श्री लतिका सिंह वर्क एण्ड वर्थ पत्रावली	गोपनीय	सू0अधिकार अधि0 के तहत	मुख्य कृषि अधिकारी
2.	चरित्र प्रविष्टि पत्राचार पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
3.	कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों की चरित्र प्रविष्टि सम्बन्धी पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

13. न्यायालयी वाद सम्बन्धी पत्रावलियां–वरिष्ठ सहायक/भण्डार सहायक

4	न्यायालयी वाद विविध पत्रावली	गोपनीय	सू0अधिकार अधि0 के तहत	मुख्य कृषि अधिकारी
5	श्री बृजपाल सिंह कोर्ट केश पत्रावली			तदैव
6	श्री विजय पाल सिंह त्यागी, कोर्ट केश	तदैव	तदैव	तदैव
7	श्री रमेश चन्द्र चौहान कोर्ट केश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
8	श्री नेमपाल सिंह कोर्ट केश पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

13. वरिष्ठ सहायक (कैशियर) के द्वारा सम्पादित पटलः–

1	2	3	4	5
1.	रोकड़ बही (मैन कैश बुक)	–	क्र0सं0–1 से 7 तक चार्ज में प्राप्त क्र0सं0–8 से 14 तक की पत्रावली सम्बन्धित द्वारा दस्ती दी गई है, अभीतक विधिवत् रूप से चार्ज में हस्तगत नहीं कराये गये हैं। महोदय के मौखिक निर्देशों के क्रम में कार्य सम्पादित किया जा रहा है।	मुख्य कृषि अधिकारी
2.	विभागीय रसीद बुक डी0–2	–		—तदैव—
3.	शासकीय भुगतान प्राप्ति रसीद (कोषागार प्रपत्र सं0–385)	–		—तदैव—
4.	कार्यालय में विभाग वार संचालित योजनाओं की पैटी कैश बुक	–		—तदैव—
5.	कार्यालय में विभाग वार संचालित योजनाओं की चैक बुक	–		—तदैव—
6.	सूचना का अधिकार पोस्टल आर्डर से सम्बन्धित पत्रावली	–		—तदैव—
7.	कोषागार एवं अन्य से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट एवं चैकों की पंजिका	–		—तदैव—
8.	परम्परागत कृषि विकास योजना एवं पी0एस0आर0 सम्बन्धी पत्रावली	–		—तदैव—
9.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना एवं पी0एस0आर0 सम्बन्धी पत्रावली	–		—तदैव—
10.	राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (मृदा स्वास्थ्य कार्ड/प्रबन्धन/ नमसा रेड आदि, पी0एस0 आर0 सम्बन्धी पत्रावली	–		—तदैव—
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं पी0एस0आर0 सम्बन्धी पत्रावली	–		—तदैव—
12.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (एडोप्शन एण्ड सर्टीफिकेशन अंडर आर्गेनिक फार्मिंग/हिल सीड्स बैंक (बीज उत्पाद कार्यक्रम) एवं पी0एस0आर0 सम्बन्धी पत्रावली	–		—तदैव—
13.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार (क्रॉप प्रोडक्शन) (आर0के0वी0वाई0)एवं पी0एस0आर0 सम्बन्धी पत्रावली	–		—तदैव—
14	पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना से सम्बन्धित पत्रावली	–		—तदैव—

14. वरिष्ठ सहायक के द्वारा सम्पादित पत्रावलीः–

1.	सूचना के अधिकार से सम्बन्धित पत्रावलियाँ	गोपनीय	लिखित रुप में प्राप्त	मु0प्र0अ0/मु0कृ0अ0
	सूचना अधिकार आवेदन सम्बन्धी पँजिका			
	सूचना अधिकार अपील सम्बन्धी पँजिका			
2.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3.	पत्र प्रेषण पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4.	पत्र प्राप्ति पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
5.	क्षेत्रीय डाक पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
6.	डाक चालान सम्बन्धी पत्रावली	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
7.	कार्यालय डाक वितरण पँजिका	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–

–:: मैनुअल–6::–

(ऐसे दस्तावेजो जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गो का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय तुसज्जित किया गया हैं।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायको को विभिन्न कार्यो को सौंपा गया हैं।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौपे गये कार्यदायित्व	अभियुक्ति
1	श्रीमती मयूरी अग्रवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	समस्त योजनाओं से सम्बन्धित कार्य एवं सत्यापन कार्य।	
2	श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	समस्त योजनाओं से सम्बन्धित कार्य	
3	श्रीमती नीलम वडवाल	अ0सहा0अभि0	भूमि संरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य	
4.	श्री मनोज कुमार	प्रधान सहायक	स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य सूचना अधिकार अधिनियम–2005	
5	श्री गुलजारी लाल	मानचित्रक	मानचित्रक सम्बन्धित कार्य	
6	श्री अर्जुन सिह नेगी	वरिष्ठ सहायक	लेखाकार, बिल सहायक,	
7	श्री लक्खूराम	कनिष्ठ सहायक	भण्डार पटल से सम्बन्धित समस्त कार्य	
8	कु0सोनाली वर्मा	कनिष्ठ सहायक	कैश, वेतन	
9	विमल कुमार	वाहन चालक		
10	श्रीमती सरस्वती देवी	चतुर्थ श्रेणी		
11	श्रीमती रामादेवी	चतुर्थ श्रेणी		

नाम पत्रावली	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जांच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक / नियंत्रणाधीन
लय में कार्यरत स0कृ0अ0वर्ग–1 के द्वारा सम्पादित पटल			
ष्ट्रीय कृषि विकास योजना पत्रावली	जांच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत जैविक पत्रावली (एडोप्शन एण्ड सर्टिफिकेशन अंडर ऑगेनिक फार्मिंग कार्ययोजना)	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (अदर इंटरवेशन एवं माइक्रो इरिगेशन) सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
मृदा परीक्षण सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम योजना	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बीज सम्बन्धी पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (वर्षा आधा0 क्षेत्र वि0 कार्यक्रम) पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जिला योजना कियान्वयन से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
परम्परागत कृषि विकास योजना पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बीज ग्राम योजना पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय में कार्यरत स0कृ0अ0वर्ग–2 के द्वारा सम्पादित पटल				
2	एन0एफ0एस0एम0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	एस0एम0ए0एम0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	आर0के0वी0वाई0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	एन0एम0एस0ए0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	पी0के0वी0वाई0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	बीजग्राम योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कृषि रक्षा रसायन आवंटन सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कृषि रक्षा रसायन दर सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	बीज दर सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कृषि रक्षा रसायन/बीज अनुदान पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कृषि यंत्रीकरण पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	मासिक प्रगति प्रतिवेदन पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	जिला योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	मासिक बैठक सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	जैविक प्रमाणीकरण सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय में कार्यरत अ0सहायक अभियन्ता के द्वारा सम्पादित पटल				
3	पी0एम0के0एस0वाई0 से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	एन0एम0एस0ए0 से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

एस0सी0पी0 / टी0एस0पी0 योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बीज भण्डार से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जिला योजना से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
किसान भवन से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
मुख्यमंत्री आर्दश ग्राम सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
[illegible] कृषि अधिकारी, से प्राप्त पत्र पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
आर0के0वी0वाई0 / एन0एम0एस0ए0मण्ड............	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
आर0के0वी0वाई0(रायपुर ब्लाक) 06 ग्राम सम्बन्धित पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
आर0के0वी0वाई0 रायपुर योजना टेण्डर पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
परि0मुसलीखाला (अनु0ज0स्पे0कम्पो0)सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
आर0के0वी0वाई0डी0पी0आर0सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
निर्देश / दिशा निर्देश पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
दैवीय आपदा से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
ज[illegible] सम्भरण से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बैठक सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
मापन सत्यापन सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
मनरेगा पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
अटल आर्दश ग्राम योजना सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
अपर कृषि निदे0ग0म0से पत्राचार सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
मुख्य विकास अधिकारी, से पत्राचार सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

बीज गोदाम से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राज्य सेक्टर पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विविध पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

ज्ञान सहायक के द्वारा सम्पादित पटल

समस्त कर्मचारियो की पेंशन पत्रावली	जांच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी
समस्त कर्मचारियो की चरित्र प्रविष्टि सम्बन्धित पत्रावली	गोपनीय	—तदैव—	—तदैव—
कर्मचारियो की उपस्थिति पंजिका	जांच के लिये उपलब्ध	—तदैव—	—तदैव—
आकास्मिक अवकाश पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
उपस्थिति से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
अधिकारियो/कर्मचारियो की भ्रमण पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय के समस्त कार्मिको की मूल सेवा पुस्तिकायें	गोपनीय	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय के समस्त कर्मचारियो की व्यक्तिगत पत्रावलियॉ	गोपनीय	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय की आदेश पंजिका	जांच के लिये उपलब्ध	—तदैव—	—तदैव—
सेवानिवृत कर्मचारियो के देयको से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
स्थापना सम्बन्धित पत्रावली(चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, लिपिक, वर्ग–1,2,3 से सम्बन्धित पत्रावली)	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
समस्त वर्ग की वेतन निर्धारण एवं ए0सी0पी0से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विविध पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विभागीय कोर्ट केश से सम्बन्धित पत्रावलिया	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित पत्रावलियां	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

	50 वर्ष की आयु प्राप्त राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	शासनादेश पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	प्रभार हस्तान्तरण सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	मसिक प्रगति सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	सूचना अधिकार सम्बन्धित पत्रावली एवं पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	अपीलीय अधिकारी से सम्बन्धित पत्रा0एवं पंजिका			
	वेतन सम्बन्धित पत्रावली / पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
रिष्ठ सहायक के द्वारा सम्पादित पटल				
5	बजट पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	आयकर पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कोटेशन पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	उपयोगिता प्रमाण–पत्र पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	जी0एस0टी0 पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	कोषागार–बी0एम0–8 पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	चालान सम्बन्धी पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	समस्त योजनाओं की माप पुस्तिकायें	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	परियोजना मालदेवता–थेवा पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	परियोजना राजीव गाँधी (अस्थल) पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	परियोजना कालीगाड पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	परियोजना नालीकलाँ पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
	NFSM बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

SMAM बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
RKVY बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
NMSA बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
SCP/TSP बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
PKVY बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
rMKSY बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बीज ग्राम बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

लिपिक सहायक के द्वारा सम्पादित पटल

रोकड बही मुख्य कैश बुक	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
रोकड बही पेटी कैश बुक	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कैश रसीद बुक डी0–2	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
चैक रजिस्टर पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
योजनाओ से सम्बन्धित लेजर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कैश रसीद बुक डी0–2 सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विभागीय समस्त मदो से सम्बन्धित बिल पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
ड्राफ्ट प्राप्ति एवं प्रेषण पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विविध कैश पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जमानती पत्रावली/पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कोषागार/अन्य कार्यालयो से प्राप्त चैको की पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कोषागार से सम्बन्धित पत्रावली/पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
11 सी0 पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बजट पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

	–	–	–
मुख्य कैशबुक पी0एस0आर सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
पेटी कैशबुक पी0एस0आर सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
बैंक स्टेटमैन्ट पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
F.D.R पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
निविदा पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
निविदा प्रपत्र बिक्री पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जी0पी0एफ0 सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जी0पी0एफ0 90%सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
ज्येष्ट सहायक के द्वारा सम्पादित पटल			
क्षेत्रीय कर्मचारियो द्वारा मांग पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
सामाग्री कय सम्बन्धित पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विज्ञापन सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
भण्डार कृषि निवेश भवन किराया पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
फोटो स्टेट मशीन रखरखाव पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
चतुर्थ श्रेणी की वर्दी पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
वर्षा जल संरक्षण पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय व्यय पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
फर्नीचर कय पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कृषि सहायकों की नियुक्ति पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
विद्युत संयोजन पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
भण्डार सत्यापन पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

शासकीय डाक टिकट मांग पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राजकीय लिथो प्रेस सम्बन्धित पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कृषि निवेश भवन किराया सम्बन्धित पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जीप गाडी स0— यू0पी0—07ई0—0893 पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
वाहन मरम्मत पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कम्प्यूटर अनुरक्षण पत्रा0	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
डी0—52 पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
डी0—11 पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
लेखन सामग्री पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
डी0—2 सम्बन्धित पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्य दायित्व पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
सामान्य अधिष्ठान बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कृषि निवेश भण्डारों की सुद्धडीकरण योजना पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
डी0—2 प्राप्ति रसीद	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
डी0—39 स्टोर रशीद बुक	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
किसान भवन कार्य दायित्व रजिस्ट्रर/पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
किसान भवन से सम्बन्धित पत्राचार पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
किसान भवन सफाई कर्मचारी से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
किसान भवन आरक्षण से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

निष्ट सहायक द्वारा सम्पादित पटल

डिस्पैच रजिस्ट्रर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

डाक इन्डैक्स रजिस्ट्र	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
एस0पी0एस0पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय डाक पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
स्थानीय डाक पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
डाक चालान पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
कार्यालय में कार्यरत मानचित्रक/अनुरेखक के द्वारा सम्पादित पटल			
परियोजना अनुमोदन पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
आकार पत्र–6 व 9 निर्गत पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
सामान्य निर्देश पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जिला समिति से सम्बन्धित पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
जिला समिति से सम्बन्धित रजिस्टर	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

अध्याय – 6

6.1 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्र0सं0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जाँच के उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5	6
1	प्रशासनिक	1–उपस्थिति पंजिका	पंजिका जाँच के लिये उपलब्ध	लिखित आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी
		2–आदेश पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
		3–आकस्मिक अवकाश पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
2	अधिष्ठान अनुभाग	1–स्थापना/लेखा/कैशियर/प्राविधिक	तदैव	तदैव	तदैव
		2. पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण पंजी, डाक वितरण पंजी, डाक टिकट पंजिका, भंडार क्रय पत्रावली, रजिस्टर आफ रजिस्टर पंजी,	तदैव	तदैव	तदैव
		3. डैड स्टाक, कन्जूमेबिल स्टाक पंजिका, लेखन सामग्री पंजिका,	तदैव	तदैव	तदैव
		4. लघु वाहन से सम्बन्धित पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		5. भूमि एवं जल संरक्षण समिति बैठक पंजिका,	तदैव	तदैव	तदैव
		6. मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति पंजिका/पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		लेखा कक्ष से सम्बन्धित अभिलेख			
		विभिन्न योजनाओं की पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर	तदैव	तदैव	तदैव
		2402–मृदा तथा जल संरक्षण आयोजनागत	तदैव	तदैव	तदैव
		जलागम समितियों से सम्बन्धित पत्र व्यवहार पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत के उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		आई0डब्लू0डी0पी0 की पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		डी0पी0ए0पी0/हरियाली पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		विविध पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव
		आन्तरिक सम्प्रेक्षण पत्रावली	तदैव	तदैव	तदैव

		सम्प्रेक्षण पत्रावली महाले0/विभागीय	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत बिल पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव
		2402–मृदा तथा जल संरक्षण बिल पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
		आई0डब्लू0डी0पी0 बिल पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
		डी0पी0ए0पी0 बिल पंजी	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनागत वी0एम0–8	तदैव	तदैव	तदैव
		2401–फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर वी0एम0–8	तदैव	तदैव	तदैव
		2402–मृदा तथा जल संरक्षण वी0एम0–8	तदैव	तदैव	तदैव
		कैशियर से सम्बन्धित पत्रावली			
		जमानत पंजिका, ड्राफ्ट पंजिका, चैक बुक रजिस्टर, रोकड़ वही, रोकड़ प्राप्ति रसीद बुक, चालान जमा पंजिका, द्वितालक पंजिका,	तदैव	तदैव	तदैव
		स्थापना से सम्बन्धित पंजी/पत्रावलियां			
		स्थापना पंजिका, वेतन बृद्धि पंजिका, कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, मासिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन पत्रावली, जी0पी0एफ0 लेजर, जी0पी0एफ0 पास बुक, आकस्मिक अवकाश पंजिका	तदैव	तदैव	तदैव

–:: मैनुअल–6::–

(ऐसे दस्तावेजो जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गो का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया हैं।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायको को विभिन्न कार्यो को सौंपा गया हैं।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	सौपे गये कार्यदायित्व	अभियुक्ति
1	श्री शैलेन्द्र चौहान	अपर सहायक अभियन्ता	योजनाओं के अभियन्त्रण सम्बन्धी कार्य	–
2	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1	एस0एम0ए0एम0, राज्य सेक्टर, आर0के0वी0वाई0–जैविक एवं यंत्र, पी0के0वी0वाई0,पी0एम0के0एस0वाई0,नीति आयोग, स्मार्ट विलेज, ग्रामोदय से भारत उदय सहित समस्त योजना सम्बधी कार्य मानचित्रक सम्बन्धी समस्त कार्य	–
3	श्री अन्शु काम्बोज	सहायक लेखाकार (संविदा)	समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य	–
4	श्री मनोज विजल्वाण	प्रधान सहायक	स्थापना, वेतन,जी0पी0एफ0,पेन्शन सम्बन्धी कार्य, पत्रप्रेषण/पत्र प्राप्ति एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति कार्य	–
5	श्री आशीष जखमोला	वरिष्ठ सहायक	अवैतनिक अवकाश पर हैं।	–
6	श्री विजय कुमार	वरिष्ठ सहायक	बिल सहायक, सूचना अधिकार सहायक, भण्डार सहायक	–

7	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	कैशियर	–
8	श्री गंगाचरण	अनुसेवक	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	–
9	श्री सुभाष चन्द	अनुसेवक	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी
सहसपुर देहरादून

मैनुअल–06

(ऐसे दस्तावेज जो उसके द्वारा धारितया उसके नियन्त्रणधीन हैं प्रवर्गो का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया है।

उक्त कम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायकों को विभिन्न कार्यों को सौंपा गया है।

क0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्यदायित्व	अभ्युक्ति
1	श्री सतीश चन्द्र जोशी	मु0प0अ0	लोक सूचना अधिकारी	
2	श्री अरूण कमार राणा	व0प0अ0	कार्यालय स्थापना पटल, जी0पी0एफ0, पेंशन से सम्बन्धित कार्य	
3	श्रीमती गरिमा पुनेठा	स0कृ0अ0 वर्ग–1	आर0के0वी0वाई0,रा0स्वा0सु0मि0, यन्त्रीकरण आदियोजनाओं से सम्बन्धी कार्य	
4	श्री राकेश जोशी वर्ग–1	स0कृ0अ0 वर्ग–1	प्रक्षत्र अधीक्षक सम्बन्धी कार्य	
5	डा0 भावना बिष्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–1	नमामि गंगे,पी0के0वी0वाई0 आदि योजनाओं से सम्बन्धी कार्य	
6	श्रीमती अनीता पेटवाल	स0कृ0अ0 वर्ग–1	पी0एम0के0एस0वाई0, बीजग्राम आदि योजनाओं से सम्बन्धी कार्य	
7	सुश्री शिवानी हाण्डा	सहायक लेखाकार	मातृत्व अवकाश पर हैं	
8	श्री सोमपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र ढकरानी में कार्यरत	
9	श्री भानू प्रताप सिंह	चतुर्थ श्रेणी	मा0कृषि मंत्री जी के कार्यालय में कार्यरत	
10	श्री उमरदीन	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय डिस्पैच से सम्बन्धित कार्य	
11	श्री जिशान अली	चतुर्थ श्रेणी	आई0पी0एम0लैब ढकरानी में कार्यरत	
12	श्री देवेन्द दत्त सकलानी	प्लांट चालक	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	
13	श्री दीपक गुसाई	वरिष्ट सहायक	कार्यालय स्टोर/लेखा पटल से सम्बन्धित कार्य	
14	श्री वीरेन्दकुमार,	स0कृ0अ0, वर्ग–1	निरन्जनपुर मण्डी में कृषि विपणन सम्बन्धी कार्य	
15	श्री बालेश्वर कुमार	स0कृ0अ0, वर्ग–2	विकासनगर में कृषि विपणन सम्बन्धी कार्य	
16	श्री अमृतपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र ढकरानी में कार्यरत	
17	श्री जनार्दन प्रसाद डोभाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र/कृषि रक्षा से सम्बन्धित बैलेन्सशीट का कार्य	
18	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	अपर सहा0अभि0	कार्यालय/जनपद के समस्त कृ0एवं भू0स0अधि0 कार्यालयों के अभियंत्रण से सम्बन्धित कार्य	
19	श्री बलबीर सिंह रावत	वरिष्ठ वैय0 सहा0	कार्यालय स्टेनो से सम्बन्धित कार्य	दृष्टिहीन
20	श्री संजय चंदोला	स0कृ0अ0वर्ग–2	प्रभारी बकर गोदाम एवं बीज उर्वरक रसायन लाइसेन्स से सम्बन्धी कार्य	
21	श्री मनीष चौधरी	कनिष्ट सहायक	चिकित्सा प्रतिपूर्ति/वेतन बिल से सम्बन्धी कार्य	
22	श्री ललितमोहन उनियाल	वाहन चालक	मु0कृ0अधि0 के साथ कार्यरत	
23	श्री अमर सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	निरन्जनपुर मण्डी में कृषि विपणन में कार्यरत	
24	श्रीमती हेमलता थपलियाल	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	
25	श्री अजय लाल	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	
26	श्री आनन्द सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	प्रभारी मृदा परी0प्रयोगशाला के पद पर कार्यरत	
27	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	च0श्रे0	प्रभारी मृदा परी0प्रयोगशाला के अधीन कार्यरत	
28	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	कृषि वि0सहा0	निरन्जनपुर मण्डी में कृषि विपणन में कार्यरत	
29	श्री महिपाल सिंह	कृ0र0 यान्त्रिक	प्रभारी मृदा परी0प्रयोगशाला के अधीन कार्यरत	
30	श्रीमती शशीबाला रावत	च0श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	
31	श्री नीरज कुमार	उप परि0 निदे0	आतमा योजना सम्बन्धी कार्य	संविदा

32	श्रीमती नीलम पाण्डे	लेखाकार	आत्मा योजना सम्बन्धी कार्य	संविदा
33	कु0 इन्दू लटवाल	तकनीकी सहायक	खाद्य सुरक्षा मिशन योजना सम्बन्धी कार्य	संविदा
34	श्री शैलेन्द्र उनियाल	तकनीकी सहायक	खाद्य सुरक्षा मिशन योजना सम्बन्धी कार्य	संविदा
35	श्रीमती भारती नेगी	डाटा एन्ट्री आपरेटर	आत्मा योजना/तकनीकी कक्ष सम्बन्धी कार्य	संविदा
36	श्रीमती शीला देवी	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	संविदा
37	श्रीमती संतोष उनियाल	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	संविदा
38	श्री साकेत गुप्ता	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	संविदा
39	कु0 काजल	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	संविदा
40	श्री विनीत कुकसाल	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	संविदा
41	श्री जितेन्द्र प्रसाद	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय से सम्बन्धित कार्य	संविदा
42	श्री अजय कुमार	चतुर्थ श्रेणी	विकासखण्ड प्रभारी डोईवाला के अधीन कार्यरत	संविदा
43	श्री ओमबीर	चतुर्थ श्रेणी	प्रभारी मृदा परी0प्रयोगशाला के अधीन कार्यरत	संविदा
44	श्री प्रवीण	चतुर्थ श्रेणी	कृ0एवं भू0सं0अधि0 रायपुर के अधीन कार्यरत	संविदा

आतमा परियोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार धनराशि रू0 135.84 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 91.9672 का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसका शतप्रतिशत उपयोग कर लिया गया है।

S. No.	Activities/गतिविधिया	प्रतिभागी कृषकों की सं0
1	**Training of farmers** /प्रशिक्षण	
	a) Inter state	72
	b) Within State	150
	c) Within District	1200
2	Demonstrations	1050
3	**Exposure visits (EV)**/भ्रमण	
	a) Inter state	60
	b) Within State	180
	c) Within District	200
4	**Mobilization of farmer groups**/समूह क्षमता विकास	
	a) Capacity building, skill development and support services	60
	a) Food security Groups for Women	12
5	**Rewards and incentives**/पुरूस्कार	
	Best organized group representing different enterprises	5
6	**Farmer Awards (Numbers)**/पुरूस्कार	
	District Level	5
	Block level	30
7	Farmers Scientist Interactions at district level/कृषक वैज्ञानिक संवाद	100
8	Farm Schools	18
9	Field Days/ Kisan Gosthies organized	1200

–:: मैनुअल–7 ::–

(किसी व्यवस्था की विषिश्टयां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं)

1– लोक प्राधिकारी/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें:–

संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत/क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रपंचायत एवं जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यकमों का अनुश्रवण किया जाता हैं तथा कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैठकों में अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता हैं।

2– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था:–

कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कियान्वयन हेतु जिला जलागम समिति/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रभाव में हैं। पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अधीन इन संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के प्रति लिया जाता हैं। जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था विधि सम्मत हैं।

3– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारंण की व्यवस्था:–

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय कार्यकमों का कियान्वयन जिला जलागम समिति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से होता हैं, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता हैं। विभिन्न योजनाओं के संबन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील दिवसों में उठायें गये प्रश्नों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के प्रति विभागीय अधिकारी बैठकों में भाग लेकर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि किसी शिकायत का निस्तारण तत्काल सभंव न हो तो ऐसे शिकायती प्रकरणों पर जॉच सुनिश्चित कराई जाती हैं जॉचोंपरान्त गुणदोष के आधार पर शिकायती प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाता हैं।

राज्य स्तरीय अन्तर कार्यान्वयन समिति के कार्य :–

1. भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की तकनीकी विस्तार प्रबन्धन समिति के साथ जो कि मानव संसाधन विभाग के कार्य कलापों का दिशा निर्देशन जनपद स्तरीय तकनीकी विस्तार कार्यकम का अनुश्रवण करेगी।

2. आत्मा द्वारा अधिग्रहित किए गए कृषि प्रसार शोध के कार्य कलापों की देखरेख साथ–साथ सहयोग भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति अन्तर विभागीय मामलों जिसमें कृषि एवं सहभागिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करेगी।

3. समिति राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्य एवं सम्बन्धित विभागों के तकनीकी हस्तान्तरण में समेकित प्रयास को बढ़ावा देना व सामंजस्य स्थापित करेगी।

4. सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा विपणन, निवेश एवं ऋण प्रदाय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी/सहकारिता क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार से सम्बन्धित आवश्यक सुधार प्रकिया को बढ़ावा देगी साथ ही आपसी तालमेल को भी प्रभावी रूप से स्थापित करेगी।

5. आत्मा के द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित नए सिद्वान्तों एवं संस्थागत व्यवस्था को आत्मसात करेगी।

6. परियोजना के सफल संचालन से सम्बन्धित अन्य नीतियॉ जो कि यथा समय आवश्यक हो, को कार्य रूप से परिणित करेगी।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि

संख्या : (एक)/एक्स एक्स एक्स-1/2005 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उत्तरांचल शासन।
2. समिति के समस्त सदस्य।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री उत्तरांचल शासन।
5. कुलपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
6. सचिव, वित्त, समाज कल्याण, पंचायतीराज, कृषि, उद्यान, मत्स्य, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, कृषि, उद्यान, मस्य, पशुपालन, रेशम, पंचायतीराज, समाज कल्याण, निबन्धक, सहकारी समितियॉ, दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
9. संयुक्त कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल।
10. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

(ओम प्रकाश)
सचिव, कृषि

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः 1250/एक्स एक्स एक्स –1/2005
देहरादून दिनांकः 18 अगस्त 2005

कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अर्न्तगत दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में प्रसार निदेशालय, गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को घोषित करने एवं जनपद देहरादून, उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा के लिए जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय तथा इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समितियॉ निम्न अनुसार गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह संस्थान के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन के लिए शीर्ष स्तरीय मार्गदर्शी एवं सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि प्रसार कर्मियों की क्षमता का उन्नयन।
2. परियोजना नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्श प्रदान करना एवं तत्सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिर्पोट निर्मित करना।
3. मानव एवं भौतिक संस्थान के बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं की प्रभाववत्ता में सुधार हेतु का विकास एवं इनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
4. मध्य कम एवं निम्न कम के कृषि प्रसार कर्मियों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
5. प्रशिक्षण, कार्यक्रमों के संचालन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर आदि के का विकास।

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का शासी निकाय

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक–पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ–साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी। शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगा।

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. संयुक्त कृषि निदेशक	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य

9. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि — सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि — सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी — सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि — सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि — सदस्य
14. मत्स्य/रेशम पालन का एक प्रतिनिधि — सदस्य
15. मुख्य कृषि अधिकारी सदस्य/सचिव सह — कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन हेतु निर्धारित शर्ते :–

1. शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यतः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।
2. दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।
3. महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलापः–

1. रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्ष एवं अनुमोदन करना।
2. विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिविदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।
3. प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।
4. फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुपएवं कृषक संघो का त्वरित संगठन एवं विकास।
5. निजी क्षेत्र एवं जिनी फर्मो की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें, उपलब्ध कराने हेतु सहभगिता सुनिश्चित करना।
6. ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
7. प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ–साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।
8. कृषि विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मो/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।
9. आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाउ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।

10. प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढे एवं एक समय सीमा के अर्न्तगत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सके।
11. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।
12. कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तद्नुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगा:–

1. शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2. मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3. अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6. कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7. जिला उद्यान प्राधिकारी	सदस्य
8. जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9. जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10. कृषि सम्बन्धी कार्य से संबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य

उपरोक्त कमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप :–

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :–

1. विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय–समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य करना।

2. जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (SREP) का निर्माण करना । इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताऐं भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।

3. वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संसोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

4. उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना।

5. वार्षिक कार्य योजना के कार्यन्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ट्रेस्ट ग्रुप कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।

6. ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण क्रियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।

7. शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध, प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यो के लक्ष्यों के विरूद्ध वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हों।

8. शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देशों पर सम्यक कार्यवाही करना

प्रत्येक कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अर्न्तगत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अर्न्तगत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों)एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ–साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं कियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीम :– यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा:–

1. सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2. सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3. पशुधन प्रसार अधिकारी।
4. मत्स्य विकास अधिकारी।
5. सहायक विकास अधिकारी कृषिरक्षा।
6. सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।

2. ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यकम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।

3. शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।

4. ब्लाक स्तर पर प्रत्येक कियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसकों सुझाव देगी।

5. कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।

6. ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर परएवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

संख्याः (1)/एक्स एक्स एक्स –1/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. कुलपति, गोविन्द बल्लंभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।
2. सचिव, वित्त/समाज कल्याण/कृषि/उद्यान/मत्स्य/सहकारिता/ग्राम्य विकास/पशुपालन, उत्तरांचल शासन।
3. निदेशक, कृषि/उद्यान/मत्स्य/पशुपालन/रेशम/जड़ी बूटी/निबन्धक, सहकारी समितियॉ/दुग्ध आयुक्त, उत्तरांचल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
6. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद देहरादून/उधनसिंहनगर/अल्मोड़ा।

(ओम प्रकाश)
सचिव

–:: मैनुअल–8 ::–

(ऐसे बोर्डो/परिषदों/समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया हैं किस क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी)

8.1– संगठन से समबृद्व बोर्ड/परिशद/समितियों निकायों का संक्षिप्त विवरण

1. कृषि विभाग सामान्य पाखा में कोई बोर्ड, परिषद, समिति निकाय समबद्व नही है।

।। कृषिर्धन्यः कृषिर्मृदाः जन्तुनाम जीवमन् कृषि ।
हिन्सारिदोष युक्तौपि मुच्यते तिथि पूजनात् ।।– ऋषि पराधर जी
अर्थ– कृषक का जीवन मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवाणुओं से हैं। कृषक जब फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है तब वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता हैं परन्तु उसे इस 'दोष' से मुक्त माना गया है, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई हेतु भोजन पैदा करता हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ अवश्य मिलांए जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन एवं ऊर्जा का स्रोत है जिससे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ सकें, गुणित हो सके और पोषक तत्व प्रदान कर सकें।

"जैविक कृषि वह पद्वति है, जहाँ प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाये रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता हैं।
इस पद्वति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता हैं।

मनुष्य आदिकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार, मांस एवं दूध के लिए पशुपालन तथा स्थानान्तरी कृषि (झूम कृषि) करता चल आ रहा था। धीरे–धीरे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ने से स्थायी कृषि करने लगा। मनुष्य परम्परागत कृषि को ज्ञान के पीढ़ियों से अनुसरण करके, पिछली भूलों को सुधारते हुऐ अनुभवों के आधार पर कृषि को स्थायी बनाता रहा। इसमें वांछित फसलों को कृषि में उगाना, अवांछित फसल के पौधें को हटाना, भूमि की जुताई कर मौसम के अनुसार फसल बोना, भूमि को परती छोड़ना, फसल चक्र अपनाना, गोबर तथा कृषि अवशेष एवं राख को खाद के रूप में अपनाना सम्मिलित थां। इस प्रकार बढ़ते ज्ञान के अनुरूप फसल उत्पादन, बढती आबादी की भूख मिटाने का साधन बनता गया।

कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनियोजित करने के लिए वर्ष 1871 में देश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। वर्ष 1889 में कृषि अनुसंधान नीति, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग तथा वर्ष 1926 में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर की अनुशंसाओं पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गये।

भारत में कृषि परम्परा एवं सभ्यता ऐतिहासिक रूप से 10,000 साल पुरानी है। प्राचीन ग्रन्थों (वृक्ष, आयुर्वेद, ऋगवेद) से पता लगता है कि 1000 ई0पू0 वैदिक सभ्यता में धान का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 60 कुन्तल तक लिया जाता था। सदियों से की जाने वाली कृषि पद्धतियां टिकाऊ, ठोस व आधुनिक तकनीकें थी। प्राचीन कृषि सभ्यता में विभिन्न कृषि कियाओं के सिद्धान्त आज के आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धान्तों के रूप में एक तरह से दोहरायें ही जा रहे है।

आधुनिक काल में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू–राजनैतिक बदलावों के कारण पहले भुखमरी का दौर चला फिर युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् अचानक विश्व की जनसंख्या में असीमित वृद्धि हुई। भारत, चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दैविक आपदाएं जैसे अकाल, भुखमरी आदि महामारियों के साथ सामने आयीं।
वर्ष 1941–42 में आधारभूत खद्यानों की कमी की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत एवं समन्वित नीति तैयार की गयी। बंगाल के अकाल (1942) के बाद वर्ष 1942–43 में खाद्य उत्पादन कान्फ्रेंस में "अधिक अन्न उपजाओं अभियान" चलाने का निर्णय हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 तक खाद्यानों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा

अनुसंधान केन्द्र खोले गए। देश भर में कृषि विस्तार सेवा का गठन, भूमि सुधार कार्य, सिंचाई विकास के कार्यक्रम, उत्तम बीजों की पूर्ति, कृषि आदानों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त साख (ऋण व अनुदान) उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जाने लगें। इनके साथ ही साथ स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर खाद, गोबर गैस, कम्पोस्ट खाद) हरी खादें, खली की खादें, तालबों के तलहटी में जमा हुई मिट्टी के अलावा वनस्पतियों एवं जानवरों के त्याज्य एवं मरणोपरान्त जीवांश पदार्थो (पौधे–पत्तियों, अड्डी,रूधिर, सड़े–गले मांस इत्यादि) से बने खादों के उपयोग के कार्यक्रम चलाए गये । इन खादों के बनाने की उन्नत विधियां विकसित की गयी और इनके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन एवं अनुदान दिए गये।

अधिक अन्न उपजाओं अभियान के कार्यक्रम चलाए जाने के साथ–साथ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी अनेकों कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों से जैविक कृषि का आरम्भ अधिक अन्न उपजाओं अभियान के काल में ही हो चुका था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे "अधिक अन्न उपजाओं" अभियान से भी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहीं 1960 के दशक में दो बार सूखा पड़ने के कारण अकाल ने देश को गंभीर खाद्य संकट में डाला। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दीनतापूर्ण याचना करनी पड़ी एवं पी.एल.ओ.–64 पर निर्भरता बढ़ी। इस विकट भयानक एवं निर्दयी संकटों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्वाभिमान एवं विश्वसनीयता को रखने के लिए देश के योजनाकार एवं वैज्ञानिक, इस चुनौती के लिए, तीव्रगामी व्यूह रचना बनाने हेतु प्रोत्साहित व कटिबद्ध हुए।

देश में 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिकन गेहूं के विश्वसनीय विपुल उत्पादक किस्मों तथा बाद में फिलीपीन्स से धान के उन्नतिशील बीजों को आयात कर अनुसंधान केन्द्रों पर, स्थानीय अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई साथ ही साथ उन्नतिशील कृषि प्रौद्योगिकी भी फसलवार विकसित की गयी।

उद्यमी कृषकों ने, तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों को अपनाने के अवसर को टर्निंग प्वाइंट समझ कर पकड़ लिया। सिंचाई क्षमता में विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख उपलब्धता के बहाव ने उन्नतिशील बीज, रसायनिक उर्वरक, कीट नाशक, फफूंदी नाशक तथा खरपतवारनाशकों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इससे खाद्यानों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ा। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सघन जिला कृषि विकास तथा प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली चलाई गयी। इसके साथ ही साथ देश में हरित कांति आयी जो सहाहनीय एवं चिरस्मरणीय है।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपुल उत्पादक बीजों उर्वरक, कीट एवं खरपतवारनाशक के उच्च उपयोग कर सघन कृषि से मिट्टी के स्वास्थ्य गुणवत्ता में कमी, विपुल उत्पादक किस्मों की उत्पादकता में ठहराव, उपयोग होने वाले आदानों की दक्षता में आ रही कमी तथा भूजल के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट ने उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति कृषक भूमि के क्षेत्रफल में आ रही कमी, अच्छी कृषि वाली भूमि कटाव तथा समस्यामूलक भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, असंतुलित व अन्यायिक पौध पोषक तत्वों का भूमि से निरन्तर शोषण तथा भूमि में उनकी आपूर्ति न होना तथा सिंचाई जल की कमी ने गंभीर विचारणीय समस्या उत्पन्न कर दी है। किसानों में कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों) के उपयोग की बढ़ती प्रवृति ने बैल एवं पशुपालन में कमी ला दी है तथा वनों से जलाऊ लकड़ी की अनुपलब्धता होने से गोबर के उपले बनाकर जलाने से भूमि में जीवांश खादों के उपयोग से वंचित कर दिया है। परिणाम स्वरूप भूमि में कार्बनिक पदार्थ (ह्यूमस) की कमी होती जा रही है। हरित कांति के पहले

हमारी भूमि में 3 से 4 प्रतिशत् जीवांश कार्बन थे, जो धीरे–धीरे घटकर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक के स्तर पर आ गया हैं। जबकि भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर (0.8 प्रतिशत से अधिक) से होना आवश्यक हैं।
ब्राजील के शहर रियो डिजनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के चैप्टर–13 में ऐजेन्डा–21ए में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष प्रारूप बनाने पर सहमति हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा से है। इसके लिए शिक्षा; आर्थिक प्रोत्साहन और नवीन तथा उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना आवश्यक हैं। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य सभी के लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, गरीबी दूर करने के लिए बाजार, रोजगार और आयोत्पादक उपाय लागू करना तथा संसाधन प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण भी है।

टिकाऊ कृषि / जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों–पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती हैं। जैविक कृषि में सर्वप्रथम "कृषि" या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन के रूप में देखा गया हैं। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पशु, उद्यान, जड़ी–बूटी, मोम, मित्र–कीट और स्वयं मनुष्य। सभी अंग मिलकर "कृषि" का संतुलन बनाये रखते हैं। यदि इन सभी अंगों में से किसी एक को भी स्थान न दिया गया तो समन्वय बिगड़ता स्वाभविक हैं। जिस प्रकार एक जीवित संगठन में विभिन्न प्रकार के रसायनिक तत्वों एवं यौगिकों के संयोजन से अंग, अंगों के संयोजन से अंग तन्त्र एवं कई अंग तन्त्रों के संयोजन से शरीर की रचना होती और किसी भी एक अवयव के असंतुलित होने से पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है उसी प्रकार से जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाये रखने के लिये इसके समस्त घटकों यथा पशु, मृदा, उद्यान, आदि का साम्य बनाये रखना अति आवश्यक हैं।

इसकी तुलना में 1940 से विश्व में प्रचलित आधुनिक कृषि के रूप में प्रसिद्व औद्योगिक कृषि, कृषि को पुनर्परिभाषित करती है जहाँ कृषि सम्यता न होकर, उद्योग का रूप लेती है। परन्तु इस दिशा में मूल मंत्र केवल उत्पादन होता हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक–चक, सहभागिता, वनस्पति एवं कीट इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता हैं।
औद्योगिक कृषि के नकारात्मक एवं हारिकारक पहलुओं को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि के कृषकों ने पहचाना। सन् 1923 ई0 में डा0 रूडोल्फ स्टीनर जो कि एक आस्ट्रियन वैज्ञानिक व दार्शनिक थे ने सर्वप्रथम बताया कि रासायनिक कृषि सम्पूर्ण कृषि के साथ–साथ मनुष्य की वैचारिक शक्ति को भी नष्ट करती हैं। सन् 1925–1930 ई0 में सर अल्बर्ट हावर्ड ने कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रथम वैज्ञानिक शक्ति पद्वति को जन्म दिया यह पद्वति "इन्दौर खाद" के नाम से भारत के इन्दौर जनपद में सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। सन् 1920 के दशक में लेडी ई0 बालफोर ने "स्वाइल एसोसिएशन" की स्थापना की तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में पर्यार्वरणीय प्रदूषण एवं कृषि में रसायनों के उपयोग से होने वाली हानियों पर वाद विवाद शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप सन् 1972 ई0 में [illegible] (जैविक कृषि आन्दोलन का अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशन) की स्थापना हुई। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार 15–20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा हैं।

भारत में जैविक कृषि
8 मई, 2002 को प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों द्वारा "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यकम का आरम्भ हुआ। एन0पी0ओ0पी0 के प्रथम चरण (1998–99) में राष्ट्र स्तरीय "टास्क फोर्स" का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने राष्ट्र में विभिन्न जैविक गतिविधियों का जायजा लिया एवं कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वर्तमान जैविक कृषि पर आंकड़ों के साथ इसको बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये। इसके साथ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानकों को प्रस्तुत किया गया। एपीडा द्वारा राष्ट्र में

कार्यरत चार प्रमाणीकरण संस्थाओं को भारत में स्थानीय बाजार के लिये कार्य करने के लिये मान्य किया गया।

भारत में वर्तमान में प्रमाणित जैविक कृषि, चाय या कॉफी के बडे बागानों तक सीमित हैं, परन्तु कई राज्यों में मसालें, चीनी, बासमती इत्यादि क्षेत्रों में छोटे–छोटे प्रयास प्रगति पर हैं। अब तक मध्य प्रदेश व उत्तरांचल ने अपने अपने राज्यों की जैविक कृषि नीति स्पष्ट कर ली हैं।

वर्ष 2001–02 में देश से लगभग 9238 टन जैविक उत्पाद का विदेशों में निर्यात हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र, केरल एवं बंगाल ने राज्य स्तरीय जैविक कृषि कमेटी का गठन कर लिया हैं। कृषि मंत्रालय केज्ञापन संख्या 5–13/2001–मैन्योर्स के अनुसार राष्ट्र को वर्तमान रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया हैं। इन भागों में श्रेणियों के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। प्रथम श्रेणी में उततरांचल, झारखण्ड, राजस्थान एवं समस्त उत्तर–पूर्वी राज्य, द्वितीय श्रेणी में उड़ीसा, हिमाचंल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिसमें मध्यम से अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग होता हैं।

वर्तमान में लगभग तीन राष्ट्र स्तरीय जैविक कृषि एसोसिएशन गठित हैं। भारतीय जैविक व बायोडायनैमिक कृषि संगठन, इन्दौर, बायोडायनैमिक कृषि संगठन, बैंगलोर एवं भारतीय जैविक कृषक संगठन, बंगलौर। यद्यपि स्थानीय जैविक बाजार नगण्य हैं, फिर भी बड़े शहरों में छोटे स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

उत्तरांचल में जैविक कृषि

भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल मूलतः पहाड़ी क्षेत्र है। प्रदेश के 58 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हो रहा हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इसमें 9 जनपद पूर्णतः पर्वतीय एवं 2 जनपद पूर्णतः मैदानी तथा शेष 2 जनपदों में पर्वतीय एवं मैदानी भू–भाग सम्मिलित हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55.66 लाख हैक्टेयर हैं। जिसमें 34.66 लाख हैक्टेयर (62.27प्रतिशत) वनाच्छादित हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि 7.93 लाख हैक्टेयर, 2.23 चारागाह तथा अन्य वृक्षों, झाड़ियों बागों आदि के अर्न्तगत 2.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। प्रदेश में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 3.47 लाख हैक्टेयर (50.06 प्रतिशत) हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र 14 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 86 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं। उत्तरांचल राज्य में कुल उर्वरक खपत 101 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक खपत मात्र 5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा मैदानी भूभागों में लगभग 200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हैं। राज्य के मैदानी जनपदों में सामान्य कृषि पद्वति में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से जहाँ खाद्यानों की पौष्टिकता एवं वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं। जनपद उधमसिंहनगर के अधिकांश विकास खण्डों में मृदा नमूनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि भूमि में जीवांश कार्बन न्यून स्तर (0.4 से 0.5 प्रतिशत) पर पहुँच गया हैं। इस परिस्थितियों को देखते हुए जैविक कृषि ही वर्तमान की आवश्यकता हैं। प्रदेश के गठन के पश्चात् यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि वन एवं ग्राम विकास दो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रदेश में एक दूसरे के पूरक है। हां एक ओर पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में ग्रामवासी कृषि के लिए वन पर पूरी तरह निर्भर हैं वहीं पौराणिक काल से ग्रामवासियों द्वारा जंगल को धरोहर का स्थान दिया गया हैं।

पहाड़ो में विकट भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, कृषि क्षेत्र में "हरित कान्ति" का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। कृषि मात्र भरण पोषण के लिए रह गई। इस प्रकार कृषि में आय न होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ भारी मात्रा में मनुष्यों का पलायन होता रहा जिससे कृषि के घटकों यथा उद्यान, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। पारम्परिक उद्यान के क्षेत्रों में जहां बड़ी मात्रा में आलू, सब्जी व फल के बगीचे हैं वहां भी किसी भी प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास नहीं हो पाये हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते रसायनिक उर्वरक के प्रयोग से जहां एक ओर उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही हैं, वही बीमारियों व कीटों की समस्याएं बढ रहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि किसी भी प्रकार की तकनीकी विकास (आधुनिक या जैविक) से वंचित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में लगातार रसायनिक पदार्थो के प्रयोग से कृषि भूमि का जीवांश स्तर तेजी से गिरता चला जा रही है।

उत्तरांचल में जैविक या टिकाऊ कृषि को महत्वपूर्ण बल देना भले ही नया मंत्र लग रहा हैं, परन्तु 1992 में रियो डिजनेरों में हुए यू0एन0सी0इ0डी0 में भारत ने 189 देशों के साथ मिलकर एजेण्डा–21 पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसमें अध्याय 13 के अर्न्तगत पहाड़ों में टिकाऊ कृषि व विकास के बारे में विवरण दिया गया हैं, इसमें कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। साथ ही टिकाऊ कृषि व ग्राम्य विकास के आदर्श क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें, तो बाहर से भारी कीमत पर आयातित रसायनिक खाद, परिवहन व ढुलान पर आने वाले खर्च, रसायनिक उर्वरक, के प्रयोग के दूरगामी दुष्प्रभावों व कृषि कार्य में आवश्यकतानुसार रसायनिक खाद की कई कारणों से अनुपलब्धता ही जैविक खाद के पूर्णतयः विकेन्द्रीकृत, अर्थात ग्राम–स्तर पर ही उत्पादन तथा भरपाई की जा सकेगी। जैविक खाद के सार्वभौमिक और विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उसके व्यापक उपयोग से ही उत्तरांचल को एक कृषि –आधारित, प्रदूषण–विहीन, स्वास्थ्यवर्धक और स्वावलम्बी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वन–केन्द्रित होने के साथ–साथ जैविक खाद उत्पादन को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में वन विभाग, डेयरी विकास विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विकास विभाग को ग्राम्य विकास के द्वारा गांवों में गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंध समितियों, कृषक समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी गन्ना समितियों, महिला डेरी समितियों, स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कियान्वित करने के वृहद प्रयास किये जायेंगें।

जैविक कृषि विकास की नजरों से अगर पहाड़ों की कृषि देखी जाए तो हम पाते है कि प्रदेश के वनों से लगभग 10 मिलियम मैट्रिक टन जैव–अवशेष विभिन्न जंगली पेड़ जैसे बांस, चीड़, देवदार, साल इत्यादि से पाये जाते है। यह महत्वपूर्ण जैव–अवशेष पौराणिक काल से पारम्परिक खाद बनाने के प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इस परम्परा को उन्नत एवं उपयुक्त तकनीक से बेहतर बनाने की बहुत अधिक संभवानाएं पायी गयी है। वर्ष 2001 से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चल रही टी0टी0डी0सी0 (तकनीकी स्थानान्तरण व विकास केन्द्र) योजना में पाया गया है कि बेहतर तकनीकी से न केवल खाद की गुणवत्ता बढ़ती हैं, साथ ही जैव अवशेष के पूर्ण सड़न से कीड़े व भूमि सम्बन्धी बीमारियों में भी कमी पायी जाती हैं। महिलाओं के लिए पारम्परिक खाद की तुलना उच्च गुणवता के कम्पोस्ट खेतों तक पहुंचाने के समय में व ढुलान में लगने वाली मेहनत मे भी महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया हैं।

उत्तरांचल के कृषि विकास क्षेत्र में जैविक की उन्नत तकनीकों से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सीमान्त कृषक लाभान्वित रहेंगें। साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन होने की सम्भवना भी अधिक है। कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण की क्रियाओं को पार करके जैविक बाजारों तक पहुंचने की क्षमता होने से कृषक को अपने उत्पाद का यथोचित मूल्य मिलने की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने से कृषकों की लागत कम किये जाने की आशा हैं, एवं यह कृषि भूमि को सुधारने का एक सरल उपाय भी हैं।

जैविक ग्राम में जैविक कृषि प्रबन्धन

2.1. जैविक ग्रामः परिभाषा

" ऐसे ग्राम जहॉ कृषक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, तथा कृषि रसायनों के दुष्प्रभाव को देखते हुये जैविक कृषि की महत्ता को अंगीकार कर लिये हैं, और जहां विभिन्न जैविक कृषि सम्बन्धी गतिविधियॉ अपनाई जा रही हैं।"

2.2. जैविक कृषि के अर्न्तगत क्या करें, क्या न करें:

2.2.1 कृषि एवं उद्यान

क्या करें :

1. मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता को जानने के लिए मृदा परीक्षण कराएं।
2. कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत्त जैव–अवशेष तथा बायो एजेन्ट के प्रयोग से निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का प्रयोग करें।
3. केंचुए की खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें।
4. जैव उर्वरकों (राइजोबियम, ऐजेटोबैक्टर, ऐजोस्पाइरिलम, पी0एस0बी0 आदि) का प्रयोग संस्तुति के आधार पर करें।
5. रासायनिक तत्वों से मुक्त जल से फसलों की सिंचाई करें।
6. हरी खाद का प्रयोग करें।
7. वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।
8. गर्मी की गहरी जुताई करें।
9. फसलों/औद्योगिक वृक्षों की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करें।
10. फसलों/फल वृक्षों के रोग कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीटनाशी, एन0पी0वी0, बायो–पेस्टीसाइड, जैविक–बीजोपचार (सूर्यकिरण, गर्मजल उपचार आदि) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें।
11. बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।
12. खरपतवार नियंत्रण हेतु समय पर निराई–गुड़ाई, स्टेल फार्मिंग, समय पर बुवाई/रोपण, बुवाई की सही पद्धति का चयन, अन्तः फसल पद्धति को अपनाएं।
13. मल्चिंग हेतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। इससे नमी संरक्षण के साथ–साथ खरपतवारों पर भी नियंत्रण होगा।
14. कृषि वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री) को अपनाएं।
15. नाइट्रोजन स्थिरकारी पौधों, यथा एकेसिया जैसी प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दें।
16. जल संचयन (वाटर हारवेस्टिंग) को बढ़ावा दें।
17. फसलों/फसलों की कटाई/तुड़ाई भौतिक परिपक्वन अवस्था पर करें। जिससे अगली फसल की बुवाई हेतु खेत की तैयारी एवं अन्य शस्य क्रियाओं हेतु पर्याप्त समय मिल सकें।
18. फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिला दें।
19. उत्पाद की समुचित सफाई, छटनी एवं प्रसंस्करण करें।

20. उत्पाद को परम्परागत जैविक विधि से भंडारित करें।
21. विविधीकृत कृषि को बढ़ावा देना। जैसे फसलोत्पादन के साथ–साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, जड़ी–बूटी उत्पादन आदि को अपनाएं।
22. जैविक बाढ़ को बढ़ावा दें।
23. मधुमक्खी पालन इकाई की प्रक्षेत्र पर स्थापना करें। जिससे फसलों/फलों के परागगण को बढ़ावा मिलें।
24. जल एवं भूमि संरक्षण की प्राकृतिक पद्धतियों को अपनायें।

क्या न करें

1. रासायनिक उर्वरकों/कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।
2. फसल अवशेष/जैव अवशेष को न जलायें।
3. कारखानों के प्रदूतिषत जल/सीवेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।
4. खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की सरंचना को कम से कम हानि पहुँचाएं।
5. पर्यावरण (जल, भूमि एवं वायुमण्डल) प्रदूषित करने वाली पद्धतियों को न अपनायें।
6. मित्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुंचायें।
7. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न कि पौधों को जड़ से उखाड़ें।
8. प्रतिवर्ष एक ही फसल न लगाएं।
9. बिना मार्ग दर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लाएं।

जैविक ग्राम एवं कृषक के मानक, चयन एवं पंजीकरण

2.3. जैविक ग्राम का चयन :
भविष्य में जैविक ग्रामों का चयन प्रत्येक योजना के क्षेत्रीय कार्यकर्ता (मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, विकास खण्ड के सहयोग से, स0वि0अ0 (कृषि) तथा मुख्य कृषि अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

2.4. जैविक ग्राम के मानक :
2.4.1. जैविक ग्रामों के कृषक जैविक कृषि से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी में रूचि रखते हों।
2.4.2. ऐसे ग्राम जहां बाजारोन्मुख उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा हों। जैविक ग्राम में जैविक बाजार की अपार संभावना हो, विपणन के लिए विशेष उत्पाद के उत्पादन की संभावना हो तथा ऐसे ग्रामों में परम्परागत फसलें, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकती हों, तथा यातायात की व्यवस्था समुचित हों।
2.4.3. ऐसे ग्राम जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि की उपलब्धता हो।
2.4.4. ऐसे ग्राम जो पर्यटन मार्ग पर, पर्यटन स्थल के निकट अथवा भौगोलिक सौन्दर्य स्थल के निकट हों, को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाय।

2.5. जैविक कृषि का चयन :
2.5.1. कृषक अपनी कृषि भूमि पर जैविक कृषि के लिए समर्पित हो।
2.5.2. कृषक के पास कम से कम दो–गोवंशीय पशु हों।
2.5.3. लघु/सीमान्त एवं प्रगतिशील कृषकों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

2.6. जैविक कृषकों की पंजीकरण प्रकिया :
2.6.1. विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित जैविक कृषि कार्यक्रम के अर्न्तगत चयनित जैविक कृषकों के सम्यक प्रशिक्षण के उपरान्त उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
2.6.2. जैविक कृषक का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.13.7. राज्य स्तर पर "जैविक कृषि पण्डित" पुरस्कार हेतु उन्नतिशील जैविक कृषकों की सूची का संकलन करना।

2.13.8. प्रदेश स्तर पर जैविक कृषि, पशुपालन,/डेयरी, उद्यान एवं अन्य घटकों के लिए निर्धारित जैविक प्रकिया को प्रोत्साहित कर गतिशील बनाना।

2.13.9. प्रदेश स्तरीय गोष्ठी, सेमीनार, उपभोक्ता मेले आदि का आयोजन कराना।

2.13.10. मोटे अनाज जैसे मंडुवा तथा स्थानीय दलहनी फसलों यथा गहत, कालाभट्ट आदि की अलग से कार्य योजना बनाना। इन फसलों हेतु उन्नतिशील बीज, नवीन जैविक कृषि तकनीकी को अपना कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। फसलों में गुणवत्ता के निर्धारण हेतु पोषक तत्वों का परीक्षण कराना तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

2.13.11. जैविक कृषि से सम्बन्धित अन्य सहयोगी घटक जैसे जैविक भण्डारण के बेहतर उपाय, कृषि उपकरण, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट बनाने की विधियां, वर्मी कम्पोस्ट, सी0पी0पी0 इत्यादि के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना।

2.14. उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद :

2.14.1. समस्त जैविक ग्रामों की विकासखण्ड सूची संकलित करना।

2.14.2. समस्त मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सूची को संकलित करना।

2.14.3. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।

2.14.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त मासिक प्रगति आख्या का संकलन करवाना।

2.14.5. जैविक उत्पादों एवं कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूचना का संकलन करना।

2.14.6. विभिन्न जैविक कृषि योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।

2.14.7. जैविक उत्पादों के विपणन सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2.14.8. जैविक उत्पादों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण रखना।

2.14.9. प्रदेश में चल रही विभिन्न जैविक परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थान स्तरीय कार्यक्रम एवं निजी संस्थाओं के कार्य एवं प्रयासों को एकबद्ध करना।

2.14.10. इन प्रयासो की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करना।

2.14.11. जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं को कृषक तक योजनाओं के माध्यम से पहुँचाना।

2.14.12. नीतिगत विषयों पर विचार करना।

2.15. मण्डी परिषद :

2.15.1. प्रदेश की समस्त मण्डियों में जैविक कृषि उत्पाद के लिए विशेष स्थान प्रावधान करना।

2.15.2. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित नारे बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार एवं कार्यक्रम को प्रदर्शित करना।

2.16. उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :

2.16.1. जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण हेतु कृषक डायरी का रूप पत्र तैयार करना, एवं सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना।

2.16.2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शीघ्र कियान्वित करना।

2.16.3. जैविक कृषकों एवं जैविक कृषि उत्पाद का लेखा जोखा से सम्बन्धित रिकार्ड रखना।

जैविक कृषि कैसे अपनायें – कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

भारत में हरित क्रान्ति के आगमन के पूर्व लगभग सर्भ, कृषक एक तरह के जैविक कृषि कार्य प्रणाली में ही अपने विभिन्न कृषि कार्य कलापों को सम्पन्न करते थे। उत्तरांचल जैसे अन्य असिंचित प्रदेश के क्षेत्रों में अभी

भी जैविक पद्धति (बिना रसायन के प्रयोग) से कृषि कार्य किया जाता है परन्तु आधुनिक काल में जैविक कृषि की परिभाषा के अनुसार केवल रसायनों के प्रयोग को निषेध करना मात्र जैविक कृषि नहीं कहलाता हैं। रसायनों के प्रयोग को पूर्णत' प्रतिबन्धित कर अन्य कई कार्य जो हर प्रकार से संतुलित रखते हैं जैसे पशुओं का रख रखाव, फसल चक्र, सहभागी फसल, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, कृषि में उद्यान, पशुपालन, महिला वर्ग की सहभागिता, भण्डारण व विपणन में पारदर्शक गतिविधियां आदि समस्त कार्यो के संयुक्त सम्मिलन से जैविक कृषि मानी गई हैं।

पौराणिक काल में शायद यहीं कृषि अपनाई जाती थी जब कृषि मात्र खाद्यान पैदा करने के लिए नहीं, एक संस्कृति के रूप में अपनाई जाती थी।

ठीक इसी प्रकार विश्व में खाद्यान उत्पादन के स्रोत की जानकारी से उपभोक्ता को अवगत कराना भी जैविक कृषि विपणन का महत्वपूर्ण अंग है। डिब्बा बन्द खादय पदार्थो के इस युग में यह जानना संभव नहीं कि प्रातः का भोजन विश्व के किस कोने से है तथा रात्रि का भोजन कहां से प्रकट हुआ हैं। इस प्रकार स्थानीय बाजार में खाद्यान की उपलब्धता व उपभोक्ता हेतु ताजे उत्पादों की उपलब्धता भी जैविक कृषि विपणन का एक अंग हैं।

एक आम छोटा कृषक शीघ्र व कम कष्ट से जैविक में रूपांतरित हो सकता हैं अब्वल यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैविक बाजार के लिए पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि संरक्षण, पशु प्रबन्धन एवं पर्यावरण संतुलन को सुधारना है। जब कृषक दो–तीन फसल चक्रों को जैविक पद्धति से पूर्ण कर लेते हैं तब प्रमाणीकरण की औपचारिक को पूर्ण करने के पश्चात् बाजार में अपना उत्पाद सरल हो जाता हैं।

जैविक कृषि का प्रबन्धन अवशेष प्रबन्धन है जब कृषक को जैविक अवशेष से खाद बनाने की तकनीकों का ज्ञान हो तो उसे स्थानीय रूप से प्राप्त कृषि अवशेष, गोबर, जंगल के पत्ते आदि के बेहतर उपयोग से कम्पोस्ट में प्रयोग करने से लागत धीरे–धीरे कम होती चली जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में यह रूपांतरण समयावली की कुछ संस्तुतियों से संभव है जिन क्षेत्रों में पूर्व में रसायनों में अत्याधिक प्रयोग हो रहा है वहां 2 से 3 वर्ष की अवधि में बिना उत्पादन क्षमता में गिरावट के जैविक उत्पाद लिया जाना संभव हैं।

एक आम कृषक को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष का उचित प्रबन्धन कृषि उपयोग हेतु करता है तो बिना रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का प्रयोग किये ही स्थायी उत्पाद प्राप्त कर सकता है जैविक कृषि कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि कृषि क्षेत्र में कृषक को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय जो कि हमारी पर्वतीय कृषि के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा।

पारम्परिक रूप से कृषि करने वाला कृषक एवम् वह कृषक जो नाम मात्र की मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते है, उनके लिए जैविक कृषि में रूपान्तरण आसान है परन्तु प्रमाणीकरण हेतु कृषि की दैनिक गतिविधियां का लेखा रखने के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता हैं। यहां पर यह बताना भी आवश्यक है कि पारम्परिक कृषि पद्धति, जैविक कृषि प्रमाणीकरण हेतु मान्य है परन्तु पारम्परिक कृषि को बिना रसायनों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकी से बेहतर बनाया जा सकता हैं।

उदाहरणतः हम उत्तरांचल में फसल उत्पादन व भरण पोषण के परिप्रेक्ष्य में पारम्परिक अनाजों के उत्पादन को ले तो हम देखते है कि इनका उत्पादन इतना नहीं है जिससे कृषक अपना भरण पोषण भी करें और अतिरिक्त अनाज को बाजार में विक्रय कर आय का साधन भी जुटा सकें। इन क्षेत्रों में यदि पारम्परिक अनाज का उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो तो असिंचित क्षेत्र की भूमि पर रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है और अवैज्ञानिक भी हैं। इस कृषि कार्य में उन्नत जैविक निवेशों का प्रयोग कर अच्छे उत्पाद लेना सम्भव हैं। जैविक कृषि निवेश स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करके किया जा सकता हैं। ये निवेश बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये पारम्परिक पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र है और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं हैं। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियों के कहज एक सुधार मात्र हैं और ग्राम

की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं है। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियां, असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिये आधुनिक जैविक कृषि का रूप ले लेती है।

इस प्रकार जैविक कृषि में रूपान्तरण हेतु सबसे पहले

कृषक वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों को अपनाएं। इन्हें अपनी दिनचर्या व सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में लाएं।
उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों के निम्नलिखित लाभ जानें–

(1) परम्परागत रूप से उपलब्ध कृषि अवशेषों, पत्तों गोबर, इत्यादि में पोषक तत्वों का संतुलित विधियों से सुधार होता हैं।
(2) पौधों को पूर्णतया सड़ी खाद उपलब्ध होती हैं।
(3) पूर्ण रूप से सड़ी खाद का प्रयोग करने से अपूर्ण रूप से सड़ी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पन्न अनेकों प्रकार की बीमारियों, कीटों से खेत बचे रहते हैं।
(4) पूर्ण रूप से सड़ी खादें हल्की होती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता हैं।
(5) कृषि अवशेष, गोबर जैसे अनमोल प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से उचित प्रबन्धन होता हैं।
(6) पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा से पारम्परिक फसलों, फल, सब्जियों में अधिक उत्पादकता मिलती हैं।
(7) भूमि में पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता से पौधों में भी संतुलन आता हैं तथा उनमें रोग व कीटों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता का भी विकास होता हैं।
(8) नाईट्रोजन (नत्रजन), फास्फोरस (स्फुर) तथा पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम व्यय में कृषि अवशेष, खरपतवार के कम्पोस्ट में प्रयोग से खेत तक पहुंचाय जा सकता हैं।
(9) निर्देशित उचित फसल चक्र, हरी खादों का प्रयोग, परम्परागत कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें कम खर्चीली होने के साथ–साथ पर्यावरण के लिए हानिरहित भी होती हैं।
(10) आलू, गोभी जैसी उच्च पोषक तत्व मांग वाली फसलों को खेत में उगाते समय उचित फसल चक्र व अन्तरवर्तीय फसलों को उगाने का प्रयास करें।
(11) कम्पोस्ट खाद बनाने को कृषक अपने लिए "खाद उद्योग" का दर्जा दे सकता हैं। कम्पोस्ट खाद का निर्माण करते समय विभिन्न पदार्थ जैसे हड्डी का चूरा, नीम की खली, हरा पदार्थ इत्यादि मिलाने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती हैं।
इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कृषक नीम, बकैन, सिसुणा, लैण्टाना, अखरोट आदि के पत्ते, सड़ा मट्ठा गौ–मूत्र जैसे पदार्थ के प्रयोग से मित्र कीटों को हानि पहुंचाए बिना शत्रु कीटों को दूर भगाते हैं और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे कृषक विभिन्न जैविक क्रिया कलापों को अपनाते जाते हैं वैसे वह संतुलित कृषि की ओर बढ़ते जाते हैं।

जैविक कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पशु भी हैं। पशु को उचित चारा, उचित रख रखाव तथा प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे मुक्त भ्रमण दिया जाना चाहिए। पशु सदन में स्वच्छ वायु संचार, सूर्य की रोशनी, बन्धन की उन्नत विधियां, अनावश्यक रूप से कार्य दोहन पर रोक व मानवीय अत्याचार से मुक्ति आदि सभी जैविक कृषि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि गतिविधियों का सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण। प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया की चुनौती व सुविधापूर्ण रूप से सामना करने के लिये कृषक यदि प्रारम्भ से

ही एक छीटी सी पुस्तिका में अपने कृषि कार्यो की समस्त गतिविधियों को जिनमें बीज का स्रोत, बोने की तिथि, कम्पोस्ट निर्माण व खेत में फसल की तिथि य विधि, निवेश का लेखा जोखा, फसल कटान की जानकारियां, भण्डारण का लेखा जोखा इत्यादि शामिल हैं को सरल भाषा में लिखते जाएं तो प्रमाणीकरण की प्रकिया अत्यन्त सरल हो जाती हैं।

जैविक कृषि अपनाते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता हैं।
जो निम्न प्रकार से हैं–

1. ग्राम के समस्त कृषक सामूहिक तरीके से एक जुट होकर चयनित जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाकर जैविक कृषि करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1–1.50 हेक्टेयर तक की बड़ी जोत मिलाने का प्रयास करे। इससे जैविक उत्पादन भी बढ़ेगा तथा जैविक प्रक्षेत्र को पारम्परिक व रसायनिक कृषि प्रक्षेत्रों से अलग रखने हेतु बफर जोन बनाने में सरलता रहती है फलस्वरूप पानी के स्रोत, वायु, पशु, आवागमन इत्यादि से संकमण कम हो जाती हैं।
2. सामूहिक रूप से छिड़काव यंत्रों, प्रसंस्करण यंत्रों यथा थ्रैशर अत्यादि का प्रयोग करें जिससे व्यय में कमी होगी और कार्य में सरलता रहेगी इन यंत्रों को रसायनों हेतु कदापि प्रयोग न करें और चिन्हित अवश्य करें।
3. सामान्तर उत्पादन के लिय प्रमाणीकरण संस्थाएं सदैव से ही संवेदनशील रहती हैं। कृषक एक प्रकार की फसल को जैविक तथा रसायनिक दोनों पद्धतियों से एक साथ न उगाएं। इस सावधानी को अपनाने से समानान्तर उत्पादन सम्बन्धित आपत्ति जैविक प्रमाणीकरण में रूकावट नहीं बनती हैं।

इस प्रकार कृषक, जैविक कृषि की पद्धतियों व विभिन्न कियाकलापों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर एवं लघु कृषक डायरी में लेखा जोखा रखकर अत्यन्त सरलता से सफल जैविक कृषक बन सकता हैं।
यथा फसल की कटाई, छटनी, प्रसंस्करण, भण्डारण इत्यादि प्रत्येक अवस्था में इस बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि जैविक उत्पाद में किसी भी प्रकार से अन्य उत्पादों का सम्मिश्रण न हों।

जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण अति आवश्यक है यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद रसायनमुक्त व जैविक है साथ ही साथ यह सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में भी सहायक होता है।
लघु व सीनान्त कृषकों के लिए यूँ तो प्रमाणीकरण प्रकिया काफी मंहगी है परन्तु वे सभी जैविक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करके एवं समूह में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लागू कर प्रमाणीकरण की प्रकिया को काफी सस्ता एवं सुलभ बना सकते हैं।
पर्वतीय कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करने लिए जैविक कृषि कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं तथा जैविक गुणवत्ता उत्पाद के निर्यात की भी व्यापक संभावनाऐं विद्यमान हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे खेतों में जैविक गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पर्वतीय कृषि बाजारोन्मुखी बनाया जा सकता हैं। जिसमें कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र पर उत्पादित जैविक खाद कम्पोस्ट तरल खाद, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता उत्पाद का उत्पादन ले सकता है जिससे हमारी कृषि लागत एवं कृषकों की दूसरों पर निर्भरता घटेगी तथा हमारे राज्य का पर्यावरण भी अच्छा होगा।

–:: मैनुअल–8 ::–

(ऐसे बोर्डो/परिषदों/समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है किस क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी)

8.1– संगठन से समबृद्व बोर्ड/परिशद/समितियों निकायों का संक्षिप्त विवरण

1. कृषि विभाग सामान्य षाखा में कोई बोर्ड, परिषद, समिति निकाय समबद्ध नही है।

जैविक कृषि – एक परिचय

।। कृषिर्धन्यः कृषिर्मृदाः जन्तुनाम जीवमन् कृषि ।
हिन्सारिदोष युक्तौपि मुच्यते तिथि पूजनात् ।।– ऋषि पराषर जी

अर्थ– कृषक का जीवन मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवाणुओं से हैं। कृषक जब फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है तब वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता हैं परन्तु उसे इस 'दोष' से मुक्त माना गया है, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई हेतु भोजन पैदा करता हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ अवश्य मिलांए जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन एवं ऊर्जा का स्रोत है जिससे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ सकें, गुणित हो सके और पोषक तत्व प्रदान कर सकें।

"जैविक कृषि वह पद्वति है, जहॉ प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाये रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता हैं।

इस पद्वति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता हैं।

मनुष्य आदिकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार, मांस एवं दूध के लिए पशुपालन तथा स्थानान्तरी कृषि (झूम कृषि) करता चल आ रहा था। धीरे–धीरे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ने से स्थायी कृषि करने लगा। मनुष्य परम्परागत कृषि को ज्ञान के पीढ़ियों से अनुसरण करके, पिछली भूलों को सुधारते हुऐ अनुभवों के आधार पर कृषि को स्थायी बनाता रहा। इसमें वांछित फसलों को कृषि में उगाना, अवांछित फसल के पौधें को हटाना, भूमि की जुताई कर मौसम के अनुसार फसल बोना, भूमि को परती छोड़ना, फसल चक्र अपनाना, गोबर तथा कृषि अवशेष एवं राख को खाद के रूप में अपनाना सम्मिलित थां। इस प्रकार बढ़ते ज्ञान के अनुरूप फसल उत्पादन, बढती आबादी की भूख मिटाने का साधन बनता गया।

कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनियोजित करने के लिए वर्ष 1871 में देश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। वर्ष 1889 में कृषि अनुसंधान नीति, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग तथा वर्ष 1926 में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर की अनुशंसाओं पर विभिन्न कार्यकम चलाए गये।

भारत में कृषि परम्परा एवं सभ्यता ऐतिहासिक रूप से 10,000 साल पुरानी है। प्राचीन ग्रन्थों (वृक्ष, आयुर्वेद, ऋगवेद) से पता लगता है कि 1000 ई0पू0 वैदिक सभ्यता में धान का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 60 कुन्तल तक

लिया जाता था। सदियों से की जाने वाली कृषि पद्धतियां टिकाऊ, ठोस व आधुनिक तकनीकें थी। प्राचीन कृषि सभ्यता में विभिन्न कृषि कियाओं के सिद्धान्त आज के आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धान्तों के रूप में एक तरह से दोहरायें ही जा रहे है।

आधुनिक काल में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू–राजनैतिक बदलावों के कारण पहले भुखमरी का दौर चला फिर युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् अचानक विश्व की जनसंख्या में असीमित वृद्धि हुई। भारत, चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दैविक आपदाएं जैसे अकाल, भुखमरी आदि महामारियों के साथ सामने आयीं।

वर्ष 1941–42 में आधारभूत खद्यानों की कमी की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत एवं समन्वित नीति तैयार की गयी। बंगाल के अकाल (1942) के बाद वर्ष 1942–43 में खाद्य उत्पादन कान्फेंस में "अधिक अन्न उपजाओं अभियान" चलाने का निर्णय हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 तक खाद्यानों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा अनुसंधान केन्द्र खोले गए। देश भर में कृषि विस्तार सेवा का गठन, भूमि सुधार कार्य, सिंचाई विकास के कार्यकम, उत्तम बीजों की पूर्ति, कृषि आदानों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त साख (ऋण व अनुदान) उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जाने लगें। इनके साथ ही साथ स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर खाद, गोबर गैस, कम्पोस्ट खाद) हरी खादें, खली की खादें, तालबों के तलहटी में जमा हुई मिट्टी के अलावा वनस्पतियों एवं जानवरों के त्याज्य एवं मरणोपरान्त जीवांश पदार्थो (पौधे–पत्तियों, अड्डी,रूधिर, सड़े–गले मांस इत्यादि) से बने खादों के उपयोग के कार्यकम चलाए गये । इन खादों के बनाने की उन्नत विधियां विकसित की गयी और इनके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन एवं अनुदान दिए गये।

अधिक अन्न उपजाओं अभियान के कार्यकम चलाए जाने के साथ–साथ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी अनेकों कार्यकम चलाये गये। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों से जैविक कृषि का आरम्भ अधिक अन्न उपजाओं अभियान के काल में ही हो चुका था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे "अधिक अन्न उपजाओं" अभियान से भी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहीं 1960 के दशक में दो बार सूखा पड़ने के कारण अकाल ने देश को गंभीर खाद्य संकट में डाला। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दीनतापूर्ण याचना करनी पड़ी एवं पी.एल.ओ.–64 पर निर्भरता बढ़ी। इस विकट भयानक एवं निर्दयी संकटों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्वाभिमान एवं विश्वसनीयता को रखने के लिए देश के योजनाकार एवं वैज्ञानिक, इस चुनौती के लिए, तीव्रगामी व्यूह रचना बनाने हेतु प्रोत्साहित व कटिबद्ध हुए।

देश में 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिकन गेहूं के विश्वसनीय विपुल उत्पादक किस्मों तथा बाद में फिलीपीन्स से धान के उन्नतिशील बीजों को आयात कर अनुसंधान केन्द्रों पर, स्थानीय अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई साथ ही साथ उन्नतिशील कृषि प्रौद्योगिकी भी फसलवार विकसित की गयी।

उद्यमी कृषकों ने, तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों को अपनाने के अवसर को टर्निंग प्वाइंट समझ कर पकड़ लिया। सिंचाई क्षमता में विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख उपलब्धता के बहाव ने उन्नतिशील बीज, रसायनिक उर्वरक, कीट नाशक, फफूंदी नाशक तथा खरपतवारनाशकों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इससे खाद्यानों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ा। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सघन जिला कृषि विकास तथा

प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली चलाई गयी। इसके साथ ही साथ देश में हरित कांति आयी जो सहाहनीय एवं चिरस्मरणीय हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपुल उत्पादक बीजों उर्वरक, कीट एवं खरपतवारनाशक के उच्च उपयोग कर सघन कृषि से मिट्टी के स्वास्थ्य गुणवत्ता में कमी, विपुल उत्पादक किस्मों की उत्पादकता में ठहराव, उपयोग होने वाले आदानों की दक्षता में आ रही कमी तथा भूजल के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट ने उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति कृषक भूमि के क्षेत्रफल में आ रही कमी, अच्छी कृषि वाली भूमि कटाव तथा समस्यामूलक भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, असंतुलित व अन्यायिक पौध पोषक तत्वों का भूमि से निरन्तर शोषण तथा भूमि में उनकी आपूर्ति न होना तथा सिंचाई जल की कमी ने गंभीर विचारणीय समस्या उत्पन्न कर दी हैं। किसानों में कृषि यंत्रीकरण (ट्रैक्टर व अन्य यंत्रों) के उपयोग की बढ़ती प्रवृति ने बैल एवं पशुपालन में कमी ला दी है तथा वनों से जलाऊ लकड़ी की अनुपलब्धता होने से गोबर के उपले बनाकर जलाने से भूमि में जीवांश खादों के उपयोग से वंचित कर दिया हैं। परिणाम स्वरूप भूमि में कार्बनिक पदार्थ (हयूमस) की कमी होती जा रही हैं। हरित कांति के पहले हमारी भूमि में 3 से 4 प्रतिशत् जीवांश कार्बन थे, जो धीरे–धीरे घटकर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक के स्तर पर आ गया हैं। जबकि भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर (0.8 प्रतिशत से अधिक) से होना आवश्यक हैं।

ब्राजील के शहर रियो डिजनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के चैप्टर–13 में ऐजेन्डा–21ए में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष प्रारूप बनाने पर सहमति हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्वि तथा खाद्य सुरक्षा से है। इसके लिए शिक्षा; आर्थिक प्रोत्साहन और नवीन तथा उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना आवश्यक हैं। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य सभी के लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, गरीबी दूर करने के लिए बाजार, रोजगार और आयोत्पादक उपाय लागू करना तथा संसाधन प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण भी है।

टिकाऊ कृषि/ जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों–पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्वि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती हैं। जैविक कृषि में सर्वप्रथम "कृषि" या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन के रूप में देखा गया हैं। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पशु, उद्यान, जड़ी–बूटी, मोम, मित्र–कीट और स्वयं मनुष्य। सभी अंग मिलकर "कृषि" का संतुलन बनाये रखते हैं। यदि इन सभी अंगों में से किसी एक को भी स्थान न दिया गया तो समन्वय बिगड़ता स्वाभविक हैं। जिस प्रकार एक जीवित संगठन में विभिन्न प्रकार के रसायनिक तत्वों एवं यौगिकों के संयोजन से अंग, अंगों के संयोजन से अंग तन्त्र एवं कई अंग तन्त्रों के संयोजन से शरीर की रचना होती और किसी भी एक अवयव के असंतुलित होने से पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है उसी प्रकार से जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाये रखने के लिये इसके समस्त घटकों यथा पशु, मृदा, उद्यान, आदि का साम्य बनाये रखना अति आवश्यक हैं।

इसकी तुलना में 1940 से विश्व में प्रचलित आधुनिक कृषि के रूप में प्रसिद्व औद्योगिक कृषि, कृषि को पुनर्परिभाषित करती है जहॉ कृषि सभ्यता न होकर, उद्योग का रूप लेती है। परन्तु इस दिशा में मूल मंत्र केवल उत्पादन होता हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक–चक्र, सहभागिता, वनस्पति एवं कीट इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता हैं।

औद्योगिक कृषि के नकारात्मक एवं हारिकारक पहलुओं को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि के कृषकों ने पहचाना। सन् 1923 ई0 में डा0 रूडोल्फ स्टीनर जो कि एक आस्ट्रियन वैज्ञानिक व दार्शनिक थे ने सर्वप्रथम बताया कि रासायनिक कृषि सम्पूर्ण कृषि के साथ–साथ मनुष्य की वेचारिक शक्ति को भी नष्ट करती हैं। सन् 1925–1930 ई0 में सर अल्बर्ट हावर्ड ने कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रथम वैज्ञानिक शक्ति पद्वति

को जन्म दिया यह पद्धति "इन्दौर खाद" के नाम से भारत के इन्दौर जनपद में सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। सन् 1920 के दशक में लेडी ई0 बालफोर ने "स्वाइल एसोसिएशन" की स्थापना की तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रदूषण एवं कृषि में रसायनों के उपयोग से होने वाली हानियों पर वाद विवाद शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप सन् 1972 ई0 में IFOAM (जैविक कृषि आन्दोलन का अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशन) की स्थापना हुई। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार 15–20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा हैं।

भारत में जैविक कृषि

8 मई, 2002 को प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों द्वारा "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। एन0पी0ओ0पी0 के प्रथम चरण (1998–99) में राष्ट्र स्तरीय "टास्क फोर्स" का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने राष्ट्र में विभिन्न जैविक गतिविधियों का जायजा लिया एवं कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वर्तमान जैविक कृषि पर आंकडों के साथ इसको बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये। इसके साथ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानकों को प्रस्तुत किया गया। एपीडा द्वारा राष्ट्र में कार्यरत चार प्रमाणीकरण संस्थाओं को भारत में स्थानीय बाजार के लिये कार्य करने के लिये मान्य किया गया।

भारत में वर्तमान में प्रमाणित जैविक कृषि, चाय या कॉफी के बडे बागानों तक सीमित हैं, परन्तु कई राज्यों में मसालें, चीनी, बासमती इत्यादि क्षेत्रों में छोटे–छोटे प्रयास प्रगति पर हैं। अब तक मध्य प्रदेश व उत्तरांचल ने अपने अपने राज्यों की जैविक कृषि नीति स्पष्ट कर ली हैं।

वर्ष 2001–02 में देश से लगभग 9238 टन जैविक उत्पाद का विदेशों में निर्यात हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र, केरल एवं बंगाल ने राज्य स्तरीय जैविक कृषि कमेटी का गठन कर लिया हैं। कृषि मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 5–13/2001–मैन्योर्स के अनुसार राष्ट्र को वर्तमान रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया हैं। इन भागों में श्रेणियों के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। प्रथम श्रेणी में उततरांचल, झारखण्ड, राजस्थान एवं समस्त उत्तर–पूर्वी राज्य, द्वितीय श्रेणी में उडीसा, हिमाचंल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिसमें मध्यम से अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग होता हैं।

वर्तमान में लगभग तीन राष्ट्र स्तरीय जैविक कृषि एसोसिएशन गठित हैं। भारतीय जैविक व बायोडायनैमिक कृषि संगठन, इन्दौर, बायोडायनैमिक कृषि संगठन, बैंगलोर एवं भारतीय जैविक कृषक संगठन, बंगलौर। यद्यपि स्थानीय जैविक बाजार नगण्य हैं, फिर भी बड़े शहरों में छोटे स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

उत्तरांचल में जैविक कृषि

भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल मूलतः पहाड़ी क्षेत्र है। प्रदेश के 58 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हो रहा हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इसमें 9 जनपद पूर्णतः पर्वतीय एवं 2 जनपद पूर्णतः मैदानी तथा शेष 2 जनपदों में पर्वतीय एवं मैदानी भू–भाग सम्मिलित हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55.66 लाख हैक्टेयर हैं। जिसमें 34.66 लाख हैक्टेयर (62.27प्रतिशत) वनाच्छादित हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि 7.93 लाख हैक्टेयर, 2.23 चारागाह

2.4.2. ऐसे ग्राम जहां बाजारोन्मुख उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा हों। जैविक ग्राम में जैविक बाजार की अपार संभावना हो, विपणन के लिए विशेष उत्पाद के उत्पादन की संभावना हो तथा ऐसे ग्रामों में परम्परागत फसलें, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकती हों, तथा यातायात की व्यवस्था समुचित हों।

2.4.3. ऐसे ग्राम जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि की उपलब्धता हो।

2.4.4. ऐसे ग्राम जो पर्यटन मार्ग पर, पर्यटन स्थल के निकट अथवा भौगोलिक सौन्दर्य स्थल के निकट हों, को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाय।

2.5. जैविक कृषि का चयन :

2.5.1. कृषक अपनी कृषि भूमि पर जैविक कृषि के लिए समर्पित हो।

2.5.2. कृषक के पास कम से कम दो–गोवंशीय पशु हों।

2.5.3. लघु/सीमान्त एवं प्रगतिशील कृषकों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

2.6. जैविक कृषकों की पंजीकरण प्रकिया :

2.6.1. विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित जैविक कृषि कार्यक्रम के अर्न्तगत चयनित जैविक कृषकों के सम्यक प्रशिक्षण के उपरान्त उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

2.6.2. जैविक कृषक का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.6.3. पंजीकरण शुल्क रू0 25.00 (पच्चीस रूपये मात्र) प्रति हैक्टेयर होगा। पंजीकरण धनराशि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कृषकों से वसूल की जायेगी तथा कृषकों को प्राप्ति रसीद (रूपपत्र–7) उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में जमा किया जायेगा।

2.6.4. पशुपालन : जैविक पशु पालन के अर्न्तगत दुधारू पशुओं का भी पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क रू0 2.00 मात्र प्रति पशु होगा। जैविक दुग्ध उत्पादन की आगामी योजना के लिए पूर्ण रूप से जैविक मानकों के आधार पर दूध का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु जैविक डेयरी/दुधारू पशुओं का पंजीकरण किया जाना आवश्यक हैं।

2.6.5. पंजीकरण शुल्क की धनराशि का उपयोग :

जैविक कृषकों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क/धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत समिति की सहमति के उपरान्त केवल जैविक कृषि कार्यो के प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार हेतु ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तरदायित्व .

2.7. मुख्य विकास अधिकारी :

2.7.1. जैविक ग्रामों के चयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अनुमोदन।

2.7.2. जैविक ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यो/योजनाओं का प्राथमिकता केआधार पर कियान्वयन।

2.7.3. जैविक ग्रामों में कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा मासिक समीक्षा और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर शासन को समय पर उपलब्ध कराना।

2.8. मुख्य कृषि अधिकारी :

2.8.1. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर की सहायता से जैविक ग्रामों का चयन करना।

2.8.2. जैविक गामों में कियान्वित विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तकनीकी समन्वयकों से सामजस्य स्थापित कर जैविक कृषि कार्यक्रम में गति लाना।

2.8.3. मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना।

2.8.4. योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को गति प्रदान करना।

2.8.5. जैविक कृषि कार्यक्रमों की मासिक समीक्ष एवं निरीक्षण कर आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना।

2.12.6. जैविक कृषकों का प्रोत्साहन एवं समय–समय पर मार्गदर्शन करना।
2.12.7. जैविक कृषकों की समस्याओं एवं अन्य चुनौतियों से सहायक कृषि विकास अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/तकनीकी समन्वयक को अवगत कराना।

जैविक कार्यक्रम : परामर्श एवं तकनीकी सहयोग

2.13. कृषि निदेशालय

2.13.1. समस्त जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य की रूपरेखा तैयार करना।
2.13.2. जैविक ग्राम की कार्य योजना बनाना।
2.13.3. प्रचार–प्रसार साहित्य, नारे इत्यादि प्रकाशित करने हेतु रूपरेखा तैयार करना।
2.13.4. राज्य स्तर पर जैविक कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
2.13.5. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) तैयार कर प्रस्तुत करना।
2.13.6. जैविक ग्रामों की सफलता की कहानियां का संकलन करना।
2.13.7. राज्य स्तर पर "जैविक कृषि पण्डित" पुरस्कार हेतु उन्नतिशील जैविक कृषकों की सूची का संकलन करना।
2.13.8. प्रदेश स्तर पर जैविक कृषि, पशुपालन,/डेयरी, उद्यान एवं अन्य घटकों के लिए निर्धारित जैविक प्रकिया को प्रोत्साहित कर गतिशील बनाना।
2.13.9. प्रदेश स्तरीय गोष्ठी, सेमीनार, उपभोक्ता मेले आदि का आयोजन कराना।
2.13.10. मोटे अनाज जैसे मंडुवा तथा स्थानीय दलहनी फसलों यथा गहत, कालाभट्ट आदि की अलग से कार्य योजना बनाना। इन फसलों हेतु उन्नतिशील बीज, नवीन जैविक कृषि तकनीकी को अपना कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। फसलों में गुणवत्ता के निर्धारण हेतु पोषक तत्वों का परीक्षण कराना तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।
2.13.11. जैविक कृषि से सम्बन्धित अन्य सहयोगी घटक जैसे जैविक भण्डारण के बेहतर उपाय, कृषि उपकरण, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट बनाने की विधियां, वर्मी कम्पोस्ट, सी0पी0पी0 इत्यादि के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना।

2.14. उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद :

2.14.1. समस्त जैविक ग्रामों की विकासखण्ड सूची संकलित करना।
2.14.2. समस्त मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सूची को संकलित करना।
2.14.3. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।
2.14.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त मासिक प्रगति आख्या का संकलन करवाना।
2.14.5. जैविक उत्पादों एवं कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूचना का संकलन करना।
2.14.6. विभिन्न जैविक कृषि योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।
2.14.7. जैविक उत्पादों के विपणन सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2.14.8. जैविक उत्पादों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण रखना।
2.14.9. प्रदेश में चल रही विभिन्न जैविक परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थान स्तरीय कार्यक्रम एवं निजी संस्थाओं के कार्य एवं प्रयासों को एकबद्ध करना।
2.14.10. इन प्रयासो की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करना।
2.14.11. जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं को कृषक तक योजनाओं के माध्यम से पहुँचाना।
2.14.12. नीतिगत विषयों पर विचार करना।

2.15. मण्डी परिषद :

2.15. मण्डी परिषद :

2.15.1. प्रदेश की समस्त मण्डियों में जैविक कृषि उत्पाद के लिए विशेष स्थान प्रावधान करना।

2.15.2. जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित नारे बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार एवं कार्यक्रम को प्रदर्शित करना।

2.16. उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था :

2.16.1. जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण हेतु कृषक डायरी का रूप पत्र तैयार करना, एवं सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना।

2.16.2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शीघ्र कियान्वित करना।

2.16.3. जैविक कृषकों एवं जैविक कृषि उत्पाद का लेखा जोखा से सम्बन्धित रिकार्ड रखना।

जैविक कृषि कैसे अपनायें – कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

भारत में हरित क्रान्ति के आगमन के पूर्व लगभग सर्म, कृषक एक तरह के जैविक कृषि कार्य प्रणाली में ही अपने विभिन्न कृषि कार्य कलापों को सम्पन्न करते थे। उत्तरांचल जैसे अन्य असिंचित प्रदेश के क्षेत्रों में अभी भी जैविक पद्वति (विना रसायन के प्रयोग) से कृषि कार्य किया जाता है परन्तु आधुनिक काल में जैविक कृषि की परिभाषा के अनुसार केवल रसायनों के प्रयोग को निषेध करना मात्र जैविक कृषि नहीं कहलाता हैं। रसायनों के प्रयोग को पूर्णत' प्रतिबन्धित कर अन्य कई कार्य जो हर प्रकार से संतुलित रखते हैं जैसे पशुओं का रख रखाव, फसल चक्र, सहभागी फसल, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, कृषि में उद्यान, पशुपालन, महिला वर्ग की सहभागिता, भण्डारण व विपणन में पारदर्शक गतिविधियां आदि समस्त कार्यो के संयुक्त सम्मिलन से जैविक कृषि मानी गई हैं।

पौराणिक काल में शायद यहीं कृषि अपनाई जाती थी जब कृषि मात्र खाद्यान पैदा करने के लिए नहीं, एक संस्कृति के रूप में अपनाई जाती थी।

ठीक इसी प्रकार विश्व में खाद्यान उत्पादन के स्रोत की जानकारी से उपभोक्ता को अवगत कराना भी जैविक कृषि विपणन का महत्वपूर्ण अंग है। डिब्बा बन्द खादय पदार्थो के इस युग में यह जानना संभव नहीं कि प्रातः का भोजन विश्व के किस कोने से है तथा रात्रि का भोजन कहां से प्रकट हुआ हैं। इस प्रकार स्थानीय बाजार में खाद्यान की उपलब्धता व उपभोक्ता हेतु ताजे उत्पादों की उपलब्धता भी जैविक कृषि विपणन का एक अंग हैं।

एक आम छोटा कृषक शीघ्र व कम कष्ट से जैविक में रूपांतरित हो सकता हैं अव्वल यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैविक बाजार के लिए पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि संरक्षण, पशु प्रबन्धन एवं पर्यावरण संतुलन को सुधारना हैं। जब कृषक दो–तीन फसल चक्रों को जैविक पद्धति से पूर्ण कर लेते हैं तब प्रमाणीकरण की औपचारिक को पूर्ण करने के पश्चात् बाजार में अपना उत्पाद सरल हो जाता हैं।

जैविक कृषि का प्रबन्धन अवशेष प्रबन्धन है जब कृषक को जैविक अवशेष से खाद बनाने की तकनीकों का ज्ञान हो तो उसे स्थानीय रूप से प्राप्त कृषि अवशेष, गोबर, जंगल के पत्ते आदि के बेहतर उपयोग से कम्पोस्ट में प्रयोग करने से लागत धीरे–धीरे कम होती चली जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में यह रूपांतरण समयावली की कुछ संस्तुतियों से संभव है जिन क्षेत्रों में पूर्व में रसायनों में अत्याधिक प्रयोग हो रहा है वहां 2 से 3 वर्ष की अवधि में बिना उत्पादन क्षमता में गिरावट के जैविक उत्पाद लिया जाना संभव हैं।

एक आम कृषक को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष का उचित प्रबन्धन कृषि उपयोग हेतु करता है तो बिना रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का प्रयोग किये ही स्थायी उत्पाद प्राप्त कर सकता है जैविक कृषि कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि कृषि क्षेत्र में कृषक को स्वाबलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय जो कि हमारी पर्वतीय कृषि के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा।

पारम्परिक रूप से कृषि करने वाला कृषक एवम् वह कृषक जो नाम मात्र की मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते है, उनके लिए जैविक कृषि में रूपान्तरण आसान है परन्तु प्रमाणीकरण हेतु कृषि की दैनिक गतिविधियां का लेखा रखने के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता हैं। यहां पर यह बताना भी आवश्यक है कि पारम्परिक कृषि पद्धति, जैविक कृषि प्रमाणीकरण हेतु मान्य है परन्तु पारम्परिक कृषि को बिना रसायनों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकी से बेहतर बनाया जा सकता हैं।

उदाहरणतः हम उत्तरांचल में फसल उत्पादन व भरण पोषण के परिप्रेक्ष्य में पारम्परिक अनाजों के उत्पादन को ले तो हम देखते है कि इनका उत्पादन इतना नहीं है जिससे कृषक अपना भरण पोषण भी करें और अतिरिक्त अनाज को बाजार में विकय कर आय का साधन भी जुटा सकें। इन क्षेत्रों में यदि पारम्परिक अनाज का उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो तो असिंचित क्षेत्र की भूमि पर रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है और अवैज्ञानिक भी हैं। इस कृषि कार्य में उन्नत जैविक निवेशों का प्रयोग कर अच्छे उत्पाद लेना सम्भव हैं। जैविक कृषि निवेश स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करके किया जा सकता हैं। ये निवेश बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये पारम्परिक पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र है और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं हैं। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियों के कहज एक सुधार मात्र हैं और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं है। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियां, असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिये आधुनिक जैविक कृषि का रूप ले लेती है।

<u>इस प्रकार जैविक कृषि में रूपान्तरण हेतु सबसे पहले</u>

कृषक वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों को अपनाएं। इन्हें अपनी दिनचर्या व सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में लाएं।

उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों के निम्नलिखित लाभ जानें–

(1) परम्परागत रूप से उपलब्ध कृषि अवशेषों, पत्तों गोबर, इत्यादि में पोषक तत्वों का संतुलित विधियों से सुधार होता हैं।

(2) पौधों को पूर्णतया सड़ी खाद उपलब्ध होती हैं।

(3) पूर्ण रूप से सड़ी खाद का प्रयोग करने से अपूर्ण रूप से सड़ी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पन्न अनेकों प्रकार की बीमारियों, कीटों से खेत बचे रहते हैं।

(4) पूर्ण रूप से सड़ी खादें हल्की होती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता हैं।

(5) कृषि अवशेष, गोबर जैसे अनमोल प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से उचित प्रबन्धन होता हैं।

(6) पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा से पारम्परिक फसलों, फल, सब्जियों में अधिक उत्पादकता मिलती हैं।

(7) भूमि में पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता से पौधों में भी संतुलन आता हैं तथा उनमें रोग व कीटों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता का भी विकास होता हैं।

(8) नाईट्रोजन (नत्रजन), फास्फोरस (स्फुर) तथा पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम व्यय में कृषि अवशेष, खरपतवार के कम्पोस्ट में प्रयोग से खेत तक पहुंचाय जा सकता हैं।

(9) निर्देशित उचित फसल चक्र, हरी खादों का प्रयोग, परम्परागत कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें कम खर्चीली होने के साथ–साथ पर्यावरण के लिए हानिरहित भी होती हैं।

(10) आलू, गोभी जैसी उच्च पोषक तत्व मांग वाली फसलों को खेत में उगाते समय उचित फसल चक्र व अन्तरवर्तीय फसलों को उगाने का प्रयास करें।

(11) कम्पोस्ट खाद बनाने को कृषक अपने लिए "खाद उद्योग" का दर्जा दे सकता है। कम्पोस्ट खाद का निर्माण करते समय विभिन्न पदार्थ जैसे हड्डी का चूरा, नीम की खली, हरा पदार्थ इत्यादि मिलाने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती हैं।

इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कृषक नीम, बकैन, सिसुणा, लैण्टाना, अखरोट आदि के पत्ते, सड़ा मट्ठा गौ–मूत्र जैसे पदार्थ के प्रयोग से मित्र कीटों को हानि पहुंचाए बिना शत्रु कीटों को दूर भगाते हैं और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे कृषक विभिन्न जैविक किया कलापों को अपनाते जाते हैं वैसे वह संतुलित कृषि की ओर बढ़ते जाते हैं।

जैविक कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पशु भी हैं। पशु को उचित चारा, उचित रख रखाव तथा प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे मुक्त भ्रमण दिया जाना चाहिए। पशु सदन में स्वच्छ वायु संचार, सूर्य की रोशनी, बन्धन की उन्नत विधियां, अनावश्यक रूप से कार्य दोहन पर रोक व मानवीय अत्याचार से मुक्ति आदि सभी जैविक कृषि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि गतिविधियों का सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण। प्रमाणीकरण की जटिल प्रकिया की चुनौती व सुविधापूर्ण रूप से सामना करने के लिये कृषक यदि प्रारम्भ से ही एक छोटी सी पुस्तिका में अपने कृषि कार्यो की समस्त गतिविधियों को जिनमें बीज का स्रोत, बोने की तिथि, कम्पोस्ट निर्माण व खेत में फसल की तिथि व विधि, निवेश का लेखा जोखा, फसल कटान की जानकारियां, भण्डारण का लेखा जोखा इत्यादि शामिल हैं को सरल भाषा में लिखते जाएं तो प्रमाणीकरण की प्रकिया अत्यन्त सरल हो जाती हैं।

<u>जैविक कृषि अपनाते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता हैं।</u>
<u>जो निम्न प्रकार से हैं–</u>

1. ग्राम के समस्त कृषक सामूहिक तरीके से एक जुट होकर चयनित जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाकर जैविक कृषि करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1–1.50 हेक्टेयर तक की बड़ी जोत मिलाने का प्रयास करे। इससे जैविक उत्पादन भी बढ़ेगा तथा जैविक प्रक्षेत्र को पारम्परिक व रसायनिक कृषि प्रक्षेत्रों से अलग रखने हेतु बफर जोन बनाने में सरलता रहती है फलस्वरूप पानी के स्रोत, वायु, पशु, आवागमन इत्यादि से संकमण कम हो जाती हैं।
2. सामूहिक रूप से छिड़काव यंत्रों, प्रसंस्करण यंत्रों यथा थ्रैशर अत्यादि का प्रयोग करें जिससे व्यय में कमी होगी और कार्य में सरलता रहेगी इन यंत्रों को रसायनों हेतु कदापि प्रयोग न करें और चिन्हित अवश्य करें।
3. सामान्तर उत्पादन के लिय प्रमाणीकरण संस्थाएं सदैव से ही संवेदनशील रहती हैं। कृषक एक प्रकार की फसल को जैविक तथा रसायनिक दोनों पद्धतियों से एक साथ न उगाएं। इस सावधानी को अपनाने से समानान्तर उत्पादन सम्बन्धित आपत्ति जैविक प्रमाणीकरण में रूकावट नहीं बनती हैं।

इस प्रकार कृषक, जैविक कृषि की पद्धतियों व विभिन्न कियाकलापों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर एवं लघु कृषक डायरी में लेखा जोखा रखकर अत्यन्त सरलता से सफल जैविक कृषक बन सकता हैं।
यथा फसल की कटाई, छटनी, प्रसंस्करण, भण्डारण इत्यादि प्रत्येक अवस्था में इस बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि जैविक उत्पाद में किसी भी प्रकार से अन्य उत्पादों का सम्मिश्रण न हों।

जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण अति आवश्यक है यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता

को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद रसायनमुक्त व जैविक है साथ ही साथ यह सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में भी सहायक होता है।

लघु व सीमान्त कृषकों के लिए यूँ तो प्रमाणीकरण प्रकिया काफी मंहगी है परन्तु वे सभी जैविक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करके एवं समूह में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लागू कर प्रमाणीकरण की प्रकिया को काफी सस्ता एवं सुलभ बना सकते हैं।

पर्वतीय कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करने लिए जैविक कृषि कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं तथा जैविक गुणवत्ता उत्पाद के निर्यात की भी व्यापक संभावनाऐं विद्यमान हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे खेतों में जैविक गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पर्वतीय कृषि बाजारोन्मुखी बनाया जा सकता हैं। जिसमें कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र पर उत्पादित जैविक खाद कम्पोस्ट तरल खाद, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता उत्पाद का उत्पादन ले सकता है जिससे हमारी कृषि लागत एवं कृषकों की दूसरों पर निर्भरता घटेगी तथा हमारे राज्य का पर्यावरण भी अच्छा होगा।

अध्याय / मैनुअल–09

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून के अधीन कार्यरत कार्मिकों का विवरण

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	पता	ई–मेल	अभ्युक्ति
1	श्रीमती लतिका सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी	8979270239	कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, द्वितीय तल, किसान भवन, रिंग रोड, देहरादून।	cao.deh.uk@gmail.com	
2	श्रीमती शशि बाला जुयाल	कृषि रक्षा अधिकारी	8057660876			
3	श्री सतीश चन्द जोशी	मु0प्र0अ0	8864974093			
4	श्री अरूण कमार राणा	व0प्र0अ0	9412026724			
5	श्रीमती गरिमा पुनेठा	स0कृ0अ0 वर्ग–1	9690553798			
6	श्री राकेश जोशी वर्ग–1	स0कृ0अ0 वर्ग–1	8057990234			
7	डा0 भावना बिष्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–1	9410920578			
8	श्रीमती अनीता पेटवाल	स0कृ0अ0 वर्ग–1	9997618357			
9	सुश्री शिवानी हाण्डा	सहायक लेखाकार	9897600105			
10	श्री सोमपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	8006595294			
11	श्री भानू प्रताप सिंह	चतुर्थ श्रेणी	9411161907			
12	श्री उमरदीन	चतुर्थ श्रेणी	7579084816			
13	श्री जिशान अली	चतुर्थ श्रेणी	8909604834			
14	श्री देवेन्द दत्त सकलानी	प्लांट चालक	9412932859			
15	श्री दीपक गुसाई	वरिष्ट सहायक	8433115967			
16	श्री वीरेन्दकुमार,	स0कृ0अ0, वर्ग–1	8273249233			
17	श्री बालेश्वर कुमार	स0कृ0अ0, वर्ग–2	8057253408			
18	श्री अमृतपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	8954236972			
19	श्री जनार्दन प्रसाद डोभाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	9412114194			
20	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	अपर सहा0अभि0	9412363768			
21	श्री बलवीर सिंह रावत	वरिष्ठ वैय0 सहा0	9410728133			
22	श्री संजय चंदोला	स0कृ0अ0वर्ग–2	9456120358			
23	श्री मनीष चौधरी	कनिष्ट सहायक	7310800151			
24	श्री ललितमोहन उनियाल	वाहन चालक	8126763140			
25	श्री अमर सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	9027849233			
26	श्रीमती हेमलता थपलियाल	चतुर्थ श्रेणी	9557429197			
27	श्री अजय लाल	चतुर्थ श्रेणी	7536836504			
28	श्री आनन्द सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	7017368345			
29	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	च0श्रे0	9760941881			
30	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	कृषि वि0सहा0	8126210271			
31	श्री महिपाल सिंह	कृ0र0 यान्त्रिक	8057414923			
32	श्रीमती शशीबाला रावत	च0श्रेणी	9927753223			
33	श्री नीरज कुमार	उप परि0 निदे0	9897862305			
34	श्रीमती नीलम पाण्डे	लेखाकार	7895054460			
35	कु0 इन्दू लटवाल	तकनीकी सहायक	798312035			सविदा
36	श्री शैलेन्द्र उनियाल	तकनीकी सहायक	9997417337			सविदा
37	श्रीमती भारती नेगी	डाटा एन्ट्री आपरेटर	9458901505			सविदा

38	श्रीमती शीला देवी	चतुर्थ श्रेणी	9927220330			संविदा
39	श्रीमती संतोष उनियाल	चतुर्थ श्रेणी	9627015556			संविदा
40	श्री साकेत गुप्ता	चतुर्थ श्रेणी	9627029628			संविदा
41	कु0 काजल	चतुर्थ श्रेणी	9639306752			संविदा
42	श्री विनीत कुकसाल	चतुर्थ श्रेणी	7900272350			संविदा
43	श्री जितेन्द्र प्रसाद	चतुर्थ श्रेणी	7895873551			संविदा
44	श्री अजय कुमार	चतुर्थ श्रेणी	9119000801			संविदा
45	श्री ओमबीर	चतुर्थ श्रेणी	9412052243			संविदा
46	श्री प्रवीण	चतुर्थ श्रेणी	6397802522			संविदा

–:: मैनुअल–9 ::–

(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)

क्र० सं०	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं०		फैक्स नं०	पता	अभ्यु०
			कार्यालय	आवास			
1	डा०राजदेव पंवार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी		8171199655		कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन देहरादून।	–
2	श्रीमती मयूरी अग्रवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1		9411004184			–
3	श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ट	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		7830839048			–
4	श्रीमती इन्दु गोदियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1		8077480543			–
5	श्री देवेन्द्र सिह असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		9412962766			–
6	श्री चन्द्रवीर सिह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		9411030304			–
7	श्री सोहनलाल पोखरियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		9917356877			–
8	श्री विनोद कुमार धस्माना	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1		7906549445			–
9	श्री प्रेमप्रकाश शैली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		7983054103			–
10	श्री विजयपाल सिह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		9411101421			
11	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		7983206304			–
12	श्री नरेश कुमार नौटियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2		9412965841			–
13	श्री गुलजारी लाल	अनुरेखक		9411576889			–
14	श्री मनोज कुमार	प्रधान सहायक		8923089326			–
15	श्री अर्जुनसिह नेगी	वरि०सहायक		7895881660			–
16	श्री लक्खूराम	कनिष्ट सहायक		9897613327			–
17	कु०सोनाली वर्मा	कनिष्ट सहायक		8979862510			–
18	श्री सब्बलसिह	चतुर्थ श्रेणी		9410873837			–
19	श्रीमती रामादेवी	चतुर्थ श्रेणी		9359641585			–
20	श्रीमती सरस्वती देवी	चतुर्थ श्रेणी		9456560731			–
21	श्री रघुवीरसिह	चतुर्थ श्रेणी		9720888511			–
22	विमल कुमार	वाहन चालक		9411531484			

अध्याय / मैनुअल–09

क्र0सं0	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष नम्बर	पता	ई0मेल	अभिव्यक्ति
1	श्री आशाराम वर्मा	कृ0भू0सं0अ0	7376681661	कृ0अ0सं0अ0सहसपुर	ascosahaspur1234@gmail.com	
2	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	9458962054			संविदा
3	श्री अन्शु कम्बोज	सहा0 लेखाकार	9997487412			
4	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	9456163381			अवकाश
5	श्री आशीष जखमोला	वरि0सहा0	9897912439			
6	श्री विजय कुमार	कनिष्ट सहायक	7456967652			
7	श्री हरीश लाल	कनिष्ट सहायक	7895371821			मेडिकल
8	श्री सुभाष चन्द	चतुर्थ श्रेणी	9758510299			
9	श्री गंगाधरण	चतुर्थ श्रेणी	9760327594			
10	श्री श्रीदेव सिह	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	9410448731			
11	श्री दिनेश कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	9536771953			
12	श्री केदार सिह रावत	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	9997427959			
13	श्री प्रमोद कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	9897590316			
14	श्री धीरज रावत	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	7060477758			
15	श्री नरेन्द्र कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	7599028102			
16	श्री मोहनराम	चतुर्थ श्रेणी	8755186974			
17	श्री सुरेन्द्रपाल सिह	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	9412970706			
18	श्री विजयपाल सिह	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	9412368708			
19	श्री आनन्द कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	9627201214			

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
सहसपुर देहरादून।

अध्याय –9

निर्णय लेने की प्रक्रिया

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया–

विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अधीन कियान्वित किया जाता है। क्रियान्वित कार्यक्रमों का समय–समय पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी के साथ–साथ उच्चाधिकारियों द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के आय–व्ययक सम्बन्धी कार्यो को भी समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों/व्यवस्थाओं के अनुरूप सम्पादित किया जाता है। यदि किसी स्तर पर नियमानुसार कार्य सम्पादन नहीं किया जाता है अथवा किसी प्रकार का गतिरोध प्रकाश में आता है तो ऐसे उत्तरदायी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध शासकीय नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही प्राविधानित की जाती है।

यदि किसी स्तर पर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो इसके निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर निदेशक महोदय से कार्यवाही हेतु निवेदन की प्रक्रिया शासनादेश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार प्रक्रिया अमल में लायी जाती है।

विभाग द्वारा अपने निर्णय से कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है। राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित/चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को ही विभाग द्वारा कियान्वित किया जाता है।

अध्याय / मैनुअल–10

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून के अधीन कार्यरत कार्मिकों को प्राप्त वेतन

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	परितोषिक / पारिश्रमिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो	अभ्युक्ति
1	श्रीमती लतिका सिंह	मुख्य कृषि अधिकारी	93800 / –	–	समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप मूलवेतन पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य	
2	श्रीमती शशि बाला जुयाल	कृषि रक्षा अधिकारी	63100 / –			
3	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान	अपर सहा0अभि0	109100 / –			
4	श्री सतीश चन्द्र जोशी	मु0प्र0अ0	61300 / –			
5	श्री अरूण कमार राणा	व0प्र0अ0	55200 / –	–		
6	श्रीमती गरिमा पुनेठा	स0कृ0अ0 वर्ग–1	60400 / –	–		
7	श्री राकेश जोशी वर्ग–1	स0कृ0अ0 वर्ग–1	60400 / –	–		
8	डा0 भावना बिष्ट	स0कृ0अ0 वर्ग–1	60400 / –	–		
9	श्रीमती अनीता पेटवाल	स0कृ0अ0 वर्ग–1	60400 / –	–		
10	सुश्री शिवानी हाण्डा	सहायक लेखाकार	36500 / –	–		
11	श्री सोमपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	38600 / –	–		
12	श्री भानू प्रताप सिंह	चतुर्थ श्रेणी	37500 / –	–		
13	श्री उमरदीन	चतुर्थ श्रेणी	37500 / –	–		
14	श्री जिशान अली	चतुर्थ श्रेणी	23500 / –	–		
15	श्री देवेन्द दत्त सकलानी	प्लांट चालक	38600 / –	–		
16	श्री दीपक गुसाई	वरिष्ट सहायक	29200 / –	–		
17	श्री वीरेन्दकुमार,	स0कृ0अ0, वर्ग–1	78500 / –	–		
18	श्री बालेश्वर कुमार	स0कृ0अ0, वर्ग–2	69000 / –	–		
19	श्री अमृतपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	38600 / –	–		
20	श्री जनार्दन प्रसाद डोभाल	स0कृ0अ0 वर्ग–2	56900 / –	–		
21	श्री बलबीर सिंह रावत	वरिष्ठ वैय0 सहा0	49000 / –	–		
22	श्री संजय चंदोला	स0कृ0अ0वर्ग–2	69000 / –	–		
23	श्री मनीष चौधरी	कनिष्ट सहायक	28400 / –	–		
24	श्री ललितमोहन उनियाल	वाहन चालक	58600 / –	–		
25	श्री अमर सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	36400 / –	–		
26	श्रीमती हेमलता थपलियाल	चतुर्थ श्रेणी	36400 / –	–		
27	श्री अजय लाल	चतुर्थ श्रेणी	20300 / –	–		
28	श्री आनन्द सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	58600 / –	–		
29	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	च0श्रे0	22800 / –	–		
30	श्री महेन्द्र प्रताप यादव	कृषि वि0सहा0	40400 / –	–		
31	श्री महिपाल सिंह	कृ0र0 यान्त्रिक	58600 / –	–		
32	श्रीमती शशीबाला रावत	च0श्रेणी	31100 / –	–		

अध्याय / मैनुअल–10

क्र०सं०	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो	अभ्युक्ति
1	श्री आशाराम वर्मा	कृ०भू०सं०अ०	76200	–	समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शासनादेशों मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य	–
2	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहा०कृ०अ०वर्ग–1	60400	–		–
3	श्री अन्शु काम्बोज	सहा० लेखाकार	19036	–		संविदा
5	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	43600	–		–
6	श्री आशीष जखमोला	वरि०सहा०	30100	–		–
7	श्री विजय कुमार	वरिष्ठ सहायक	38600	–		–
8	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	37500	–		–
12	श्री सुभाष चन्द	चतुर्थ श्रेणी	35300	–		–
13	श्री गंगाचरण	चतुर्थ श्रेणी	37500	–		–
14	श्री श्रीदेव सिंह	सहा०कृ०अ०वर्ग–1	71100	–		–
15	श्री दिनेश कुमार	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	69000	–		–
16	श्री केदार सिंह रावत	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	69000	–		–
17	श्री प्रमोद कुमार	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	69000	–		–
18	श्री धीरज रावत	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	71100	–		–
19	श्री नरेन्द्र कुमार	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	71100	–		–
20	श्री मोहनराम	चतुर्थ श्रेणी	34000	–		–
21	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	सहा०कृ०अ०वर्ग–1	69000	–		–
22	श्री विजयपाल सिंह	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	69000	–		–
23	श्री आनन्द कुमार	सहा०कृ०अ०वर्ग–2	69000	–		–

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
सहसपुर देहरादून।

अध्याय–10

कार्यालय–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के दूरभाष नं0 विवरण।

क्र0 सं0	नाम सर्व श्री	पदनाम	एस0 टी0 डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई0मेल	पता
1	श्री अरविन्द कुमार गौतम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	–	–	8318290597		bsa.chakrata@gmail.com	कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी
2	श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–1	–	–	9627598004	–	–	तदैव
3	श्री मित्तीलाल	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–1	–	–	9058728460	–	–	तदैव
4	श्रीमती रिंकी रावत	प्रशासनिक अधिकारी	–	–	9758656922	–	–	तदैव
5	श्री हिमांशु पाण्डेय	प्रधान सहायक	–	–	81266374759	–	–	तदैव
6	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	–	–	7895371821	–	–	तदैव
7	श्री बाबूराम यादव	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–2	–	–	8650376745	–	–	तदैव
8	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	–	–	–	तदैव
9	श्री सारुन हसन	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9719467189	–	–	तदैव
10	श्री रणवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9720729720	–	–	तदैव
11	कु0 प्रियंका थपलियाल	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	8394906115	–	–	तदैव
12	कु0 सोनिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9997775660	–	–	तदैव
13	कु0 प्राची पुरोहित	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9557073874	–	–	तदैव

अध्याय / मैनुअल–10

क्र0सं0	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो	अभ्युक्ति
1	श्री आशाराम वर्मा	कृ0भू0सं0अ0	76200	–	समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य	–
2	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	60400	–		–
3	श्री अन्शु काम्बोज	सहा0 लेखाकार	19036	–		संविदा
5	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	43600	–		–
6	श्री आशीष जखमोला	वरि0सहा0	30100	–		–
7	श्री विजय कुमार	वरिष्ठ सहायक	38600	–		–
8	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	37500	–		–
12	श्री सुभाष चन्द	चतुर्थ श्रेणी	35300	–		–
13	श्री गंगाचरण	चतुर्थ श्रेणी	37500	–		–
14	श्री श्रीदेव सिंह	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	71100	–		–
15	श्री दिनेश कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
16	श्री केदार सिंह रावत	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
17	श्री प्रमोद कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
18	श्री धीरज रावत	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	71100	–		–
19	श्री नरेन्द्र कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	71100	–		–
20	श्री मोहनराम	चतुर्थ श्रेणी	34000	–		–
21	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	69000	–		–
22	श्री विजयपाल सिंह	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
23	श्री आनन्द कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
सहसपुर देहरादून।

–:: मैनुअल–10 ::–

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं)

क्र0 सं0	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार)			पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो	अभ्युक्ति
				वेतन बैण्ड	मूल वेतन	लेवल		
1	डा0राजदेव पंवार	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कार्यालय	56100-177500	63100	10	समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते	–
2	श्रीमती मयूरी अग्रवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	कार्यालय	44900-142400	60400	7		–
3	श्रीमती इन्दु गोदियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	वि0ख0डोईवाला	44900-142400	60400	7		–
4	श्री देवेन्द्र सिंह असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	वि0ख0डोईवाला	56100-177500	69000	10		–
5	श्री चन्द्रवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0 मारखमग्रान्ट	56100-177500	69000	10		–
6	श्री सोहनलाल पोखरियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0 रानीपोखरी	44900-142400	55200	8		
7	श्री विनोद कुमार घस्माना	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0 मियावाला	56100-177500	69000	10		
8	श्री विजयपाल सिंह चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	भण्डार रायपुर	56100-177500	69000	10		–
9	श्री प्रेमप्रकाश शैली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0 रायपुर	56100-177500	69000	10		–
10	श्री बाबूराम यादव	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0 थानो	56100-177500	69000	10		–
11	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0 सरोना	56100-177500	69000	10		–
12	श्री नरेश कुमार नौटियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचा0अजबपुरकलां	56100-177500	69000	10		–
13	श्रीमती नीलम बडवाल	अ0सहा0अभि0	कार्यालय	45600-151100	60400	08		–
14	श्री गुलजारी लाल	अनुरेखक	कार्यालय	47600-151100	66000	8		–
15	श्री मनोज कुमार	प्रधान सहायक	कार्यालय	35400-112400	41100	6		–
16	श्री अर्जुनसिंह नेगी	वरि0सहायक	कार्यालय	29200-92300	39200	5		
17	श्री लक्खुराम	कनिष्ट सहायक	कार्यालय	25500-81100	38600	4		–
18	कु0सोनाली वर्मा	कनिष्ट सहायक	कार्यालय	21700-69100	25200	3		–
19	श्रीमती रामादेवी	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	25500-81100	34300	4		–
20	श्रीमती सरस्वती देवी	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	25500-81100	37500	4		–
21	श्री रघुवीरसिंह	चतुर्थ श्रेणी	कार्यालय	29200-92300	41600	5		–
22	विमल कुमार	वाहन चालक	कार्यालय	25500-81100	41600	4		–

अध्याय–10

कार्यालय–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के दूरभाष नं0 विवरण।

क्र0 सं0	नाम सर्व श्री	पदनाम	एस0 टी0 डी0 कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई0मेल	पता
1	श्री अरविन्द कुमार गौतम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	–	–	8318290597		bsa.chakrata@gmail.com	कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी
2	श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–1	–	–	9627598004	–	–	तदैव
3	श्री मितीलाल	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–1	–	–	9058728460	–	–	तदैव
4	श्रीमती रिकी रावत	प्रशासनिक अधिकारी	–	–	9758656922	–	–	तदैव
5	श्री हिमांशु पाण्डेय	प्रधान सहायक	–	–	81266374759	–	–	तदैव
6	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	–	–	7895371821	–	–	तदैव
7	श्री बाबूराम यादव	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–2	–	–	8650378745	–	–	तदैव
8	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	–	–	–	तदैव
9	श्री सालून हसन	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9719467189	–	–	तदैव
10	श्री रणबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9720729720	–	–	तदैव
11	कु0 प्रियंका थपलियाल	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	8394906115	–	–	तदैव
12	कु0 सोनिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9997775660	–	–	तदैव
13	कु0 प्राची पुरोहित	सहायक कृषि अधिकारी,वर्ग–3	–	–	9557073874	–	–	तदैव

अध्याय / मैनुअल–10

क्र0सं0	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्दति जो नियमावली में दी गयी हो	अभ्युक्ति
1	श्री आशाराम वर्मा	कृ0भू0र0अ0	76200	–	समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों मूल वेतन पर देय महगाई भत्ता एवं अन्य	–
2	श्री ललित मोहन पाण्डेय	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	60400	–		–
3	श्री अन्शु काम्बोज	सहा0 लेखाकार	19036	–		संविदा
5	श्री मनोज बिजल्वाण	प्रधान सहायक	43600	–		–
6	श्री आशीष जखमोला	वरि0सहा0	30100	–		–
7	श्री विजय कुमार	वरिष्ठ सहायक	38600	–		–
8	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	37500	–		–
12	श्री सुभाष चन्द	चतुर्थ श्रेणी	35300	–		–
13	श्री गगाचरण	चतुर्थ श्रेणी	37500	–		–
14	श्री श्रीदेव सिह	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	71100	–		–
15	श्री दिनेश कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
16	श्री केदार सिह रावत	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
17	श्री प्रमोद कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
18	श्री धीरज रावत	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	71100	–		–
19	श्री नरेन्द्र कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	71100	–		–
20	श्री मोहनराम	चतुर्थ श्रेणी	34000	–		–
21	श्री सुरेन्द्रपाल सिह	सहा0कृ0अ0वर्ग–1	69000	–		–
22	श्री विजयपाल सिह	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–
23	श्री आनन्द कुमार	सहा0कृ0अ0वर्ग–2	69000	–		–

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
सहसपुर देहरादून।

अध्याय / मैनुअल–11

क्र0 सं0	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय
1	स्थापना	17755830.00	17755830.00	चार किस्त	17755434.00
2	राज्य सेक्टर	1876000.00	1876000.00	तीन किस्त	1874000.00
3	रा0कृ0वि0यो0	973000.00	973000.00	तीन किस्त	942000.00
4	रा0खा0सु0मि0	2123000.00	2123000.00	दो किस्त	2123000.00
5	बीजग्राम योजना	751000.00	751000.00	एक किस्त	749000.00
6	रा0सं0कृ0मि0यो0	4333000.00	4333000.00	दो किस्त	4333000.00
7	पी0के0वी0वाई0	4465000.00	4465000.00	दो किस्त	4462000.00
8	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन	40005000.00	40005000.00	चार किस्त	31815000.00
9	पी0एम0के0एस0वाई0	8899000.00	8899000.00	तीन किस्त	8899000.00

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
सहसपुर देहरादून।

—:: मैनुअल–11 ::—

(सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितर्णो पर रिर्पोट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)

वर्ष 2021–22 में निम्नानुसार प्राप्त बजट का विवरण निम्नानुसार हैं तथा इस इकाई को विभिन्न योजनाओं में आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम् से भी बजट प्राप्त हुआ हैं।

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	मानक मद	अनुदान संख्या 17			अनुदान संख्या 30			अनुदान संख्या 31			कुल योग			अभ्युक्ति
				आवंटन	व्यय	अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर–देहरादून	सामान्य अधिष्ठान	01–वेतन	21694422	21694422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			03–महंगाई भत्ता													कोषागार
			06–अन्य भत्ता													कोषागार
			04–यात्रा भत्ता/ स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	20000	13682	6318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार कोषागार
			08–पारिश्रमिक व्यय	143000	129826	13174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			09–चिकि0प्रतिपूर्ति	250000	21886	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			20–लेखन सामग्री	20000	19553	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			21– कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			22–कार्यालय व्यय	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			23– किराया उपशुल्क	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			24–विज्ञापन	15000	11659	3341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार
			25–उपयोगिता बिलो का भुगतान	123471	123471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	कोषागार

अध्याय–11

कर्मचारियों/अधिकारियों के पारिश्रमिक निर्धारण

क्र0सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक अन्य मत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	श्री अरविन्द कुमार गौतम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	76200	23622	
2	श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	58600	18166	
3	श्री भित्तीलाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	69000	22041	
4	श्रीमती रिंकी रावत	प्रशासनिक अधिकारी	49000	15190	
5	श्री हिमांशु पाण्डेय	प्रधान सहायक	41100	12741	
6	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	37500	11625	
7	श्री बाबू राम यादव	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	69000	21390	
8	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	69000	21390	
9	श्री सारून हसन	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
10	श्री रणवीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
11	कु0 प्रियंका थपलियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
12	कु0 सोनिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
13	कु0 प्राची पुरोहित	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
14	कु0 वर्षा रौथाण	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
15	कु0 अपूर्वा पैन्यूली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
16	श्री अखिलेश नैथानी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
17	श्री अविनाश चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
18	श्री गौरव चौधरी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
19	कु0 शिल्पी नायक	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
20	श्रीमती पूनम खरबन्दा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
21	कु0 ज्योति चमोली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	

अध्याय–11

कर्मचारियों/अधिकारियों के पारिश्रमिक निर्धारण

क्रमसं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक अन्य भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	श्री अरविन्द कुमार गौतम	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	76200	23622	
2	श्री सत्येन्द्र सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	58600	18166	
3	श्री मित्तीलाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	69000	22041	
4	श्रीमती रिंकी रावत	प्रशासनिक अधिकारी	49000	15190	
5	श्री हिमांशु पाण्डेय	प्रधान सहायक	41100	12741	
6	श्री हरीश लाल	वरिष्ठ सहायक	37500	11625	
7	श्री बाबू राम यादव	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	69000	21390	
8	श्री प्रेम सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	69000	21390	
9	श्री सारून हसन	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
10	श्री रणबीर सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
11	कु0 प्रियंका थपलियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
12	कु0 सोनिया चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
13	कु0 प्राची पुरोहित	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
14	कु0 वर्षा रौथाण	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
15	कु0 अपूर्वा पैन्यूली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
16	श्री अखिलेश नैथानी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
17	श्री अविनाश चौहान	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
18	श्री गौरव चौधरी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
19	कु0 शिल्पी नायक	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	
20	श्रीमती पूनम खरबन्दा	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	28700	8897	
21	कु0 ज्योति चमोली	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	25500	7905	

22	श्री योगेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	23100	7161	
23	श्री ओमप्रकाश	चतुर्थ श्रेणी	40400	6868	
24	श्री हर्ष थापा	चतुर्थ श्रेणी	18500	5735	

क्र0 सं0	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय
1	स्थापना	17755830.00	17755830.00	चार किस्त	17755434.00
2	राज्य सेक्टर	1876000.00	1876000.00	तीन किस्त	1874000.00
3	रा0कृ0वि0यो0	973000.00	973000.00	तीन किस्त	942000.00
4	रा0खा0सु0मि0	2123000.00	2123000.00	दो किस्त	2123000.00
5	बीजग्राम योजना	751000.00	751000.00	एक किस्त	749000.00
6	रा0सं0कृ0मि0यो0	4333000.00	4333000.00	दो किस्त	4333000.00
7	पी0के0वी0वाई0	4465000.00	4465000.00	दो किस्त	4462000.00
8	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन	40005000.00	40005000.00	चार किस्त	31815000.00
9	पी0एम0के0एस0वाई0	8899000.00	8899000.00	तीन किस्त	8899000.00

लोक सूचना अधिकारी /
कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,
सहसपुर देहरादून।

–:: मैनुअल–12 ::–

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)

1–जिला योजना– जिला योजना के तहत वर्ष 2018–19 में निम्न कार्यकमों के अन्तर्गत कृषकों को लाभॉवित किया गया।

(अ)–बीज उत्पादन/सीड मिनिकिट कार्यकम– इस कार्यकम के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर/डोईवाला के लगभग 300 किसानो को लाभॉवित करते हुये 1.50 लाख रुपये अनुदान वितरीत किया गया।

(ब)–कृषि रक्षा कार्यकम के सुदृढ़ीकरण तथा कीट रोग नियंत्रण योजना– इस योजना के अन्तर्गत कृषि यन्त्रों यथा पावर वीडर, पावर ट्रिलर, वाटर लिफ्टिंग पम्प आदि यन्त्रों पर समतुल्य अनुदान वितरित कर जनपद के कुल 1260 कृषकों को लाभॉवित करते हुये कुल धनराशि रू0 5.00 लाख (रुपये बारह लाख) मात्र व्यय किया गया।

(स)–सूक्ष्म तत्व/जैव उर्वरक/जैव रसायन योजना– इस योजना के अन्तर्गत जनपद के कुल 600 कृषकों को लाभॉवित करते हुये कुल धनराशि रू0 1.25 लाख (रुपये तीन लाख) मात्र व्यय किया गया।

2–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)– केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर/डोईवाला को आवंटित धनराशि रू0 1270000.00 (बारह लाख सत्तर हजार मात्र) कार्य योजना के अनुसार कलस्टर, फसल चक आधारित प्रर्दशन दलहन बीज वितरण पौध सुरक्षा कार्यकम, रसायन इत्यदि वितरण, मानव चालित स्प्रेयर एवं कृषि यंत्रो का वितरण, कृषक प्रशिक्षण पर 5,36 लाख की धनराशि व्यय की गई।

3– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहू)– केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर/डोईवाला के लिये आवंटित धनराशि रू0 9,16,000 (नौ लाख सोलह हजार मात्र) मात्र में से 8,38,000.00 रुपये को कार्य योजना के अनुसार गेहूँ बीज वितरण/मृदा प्रबन्धन/फलैक्सी फण्ड/ पर व्यय की गई।

4–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेसन (एस0एम0ए0एम0)– केन्द्रपोषित योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेसन (एस0एम0ए0एम0) के अन्तर्गत प्रशासनिक, फार्म मशीनरी बैक, ट्रक्टर चालित यत्रो, एवं कृषि रक्षा यंत्रो पर व्यय करते हुये धनराशि रू0 124.06 लाख (रुपये एक करोड चौबीस लाख छ हजार मात्र) व्यय करते हुये किसानो का लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:– केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत धान समूह प्रर्दशन, उन्नतशील धान प्रजातियो का वितरण एवं कृषि रक्षा रसायन, सूक्ष्म पोषक तत्व का वितरण कृषको को अनुदान पर किया गया है जिसमें प्राप्त आवंटित बजट 12.46 लाख में 6.71 लाख रुपये व्यय किया गया है।

6–नमसा– राष्ट्रीय सम्पोषिणय मिशन योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड रायपुर के खैरीमानसिह एवं डोईवाला के श्यामपर कलस्टरो में उधान आधारित दुग्ध उत्पादन आधारित, फसल प्रणाली एवं मूल्यवर्धन एवं संशाधन संग्रण का कार्य किया गया है जिसमें प्राप्त आवंटित लगभग बजट 30.00 लाख रुपये के सापेक्ष 19.50 लाख रुपये व्यय किया गया है।

अध्याय / मैनुअल–12

(सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं)

1. जिला योजना–जिला योजना के तहत वर्ष–2021–22 में निम्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को लाभान्वित किया गया।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 315 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 9.42 लाख मात्र व्यय किया गया।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 402 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 21.23 लाख मात्र व्यय किया गया।

4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 86 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 55.09 लाख मात्र व्यय किया गया।

5. परम्परागत कृषि विकास योजना– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 240 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 44.62 लाख मात्र व्यय किया गया।

6 नमसा– रेड योजना– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 156 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 43.33 लाख मात्र व्यय किया गया।

7. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 703 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 318.15 लाख मात्र व्यय किया गया।

8. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजना– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 367 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 6.46 लाख मात्र व्यय किया गया।

9. बीज उत्पादन / सीड मिनीकिट कार्यक्रम– इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्थित समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत दोनो विकासखण्डों के 37 किसानों को लाभान्वित करते हुए धनराशि रू0 1.87 लाख मात्र व्यय किया गया।

अध्याय–12

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट (सभी योजनाओं,व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2020–21

क्र0 सं0	मद	प्रस्तावित बजट (लाख रू0 में)	स्वीकृत बजट (लाख रू में)	शासन / जिला स्तर से प्रदत्त (किश्तों में) (लाख रू में)	कुल व्यय (लाख रू में)
1.	स्थापना सम्बन्धी बजट		–	–	–
2.	कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण		17.18	17.18	11.79
3.	आई0डब्लू0डी0योजना हरियाली योजना		–	–	–
4.	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिक मिशन				
	बीज ग्राम योजना		11.36	11.36	0.60
	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (एस0एम0ए0एम0)		134.00	134.00	2.64
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)		15.92	15.92	5.17
6.	राष्ट्रीय आयल सीड एवं आयल पॉम मिशन (एन0एम0ओ0ओ0पी0)		–	–	–
7.	अनुसूचित जन जाति उपयुक्त ग्राम योजना टी0सी0पी0)		25.24	25.24	4.75
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
	जल सम्भरण		–	–	–
	धान्य उत्पादन कार्यक्रम		8.15	8.15	2.06
	पशु सुरक्षा घेरबाढ़		–	–	–
	दैवीय आपदा		–	–	–
	फार्म मैकेनाइजेशन (यंत्रीकरण)		–	–	–
	जैविक योजना		6.02	2.82	1.76
9.	कृषि यंत्रीकरण		–	–	–
10.	जिला योजना		–	–	–
11.	परम्परागत कृषि विकास योजना		61.90	61.90	24.48

–:: मैनुअल–12 ::–

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)

जिला/राज्य/केन्द्रपोषित योजनाओं की वित्तीय प्रगति

जनपद–देहरादून। माह– मार्च 2022 इकाई का नाम–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर (देहरादून)

क्र0सं0	योजना का नाम		इकाई का नाम	01.04.2021 को अवशेष	2021–22 में प्राप्त/आवंटन	कुल उपलब्ध	विगत माह तक व्यय	माह में व्यय	कुल व्यय	अवशेष	अभ्युक्ति/समर्पण/स्थानान्तरित
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जिला योजना		रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
			सहसपुर						-		
			चकराता						-		
			मु0क्षे0						-		
			योग				0	0	0	0	
2	राज्य सैक्टर	(i) अनु0जा0,जनजा0 बाहुल्य ग्रामों में भू0वि0कार्य0यो0	रायपुर	0	1475000	1475000	0	0	1475000	0	
			सहसपुर			-			-	-	
			चकराता			-			-	-	
			योग	0	1475000	1475000	0	0	1475000	0	
		(ii) जैविक कृषि प्रक्षेत्र	मु0क्षे0			-			-	-	
		(iii) विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन	मु0क्षे0			-					

		(iv) कृषि निवेश भण्डारों का सुदृणीकरण	रायपुर	0	200000	200000	0	0	200000	0	0
			सहसपुर			-			-	-	
			चकराता			-			-	-	
			मु0कु0अ0			-			-	-	
			योग	0	25.32	25.32	0	0	0	0	
		(v) जल पम्प/स्प्रिंकलर सैट	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	
			सहसपुर	-		-			-	-	
			चकराता	-		-			-	-	
			योग	-	-	-			-	-	
		(vi) रसायन क्रय	मु0कु0अ0	-		-			-	-	
3	केन्द्र पोषित योजना	1- RKVY				-			-	-	
		(i) बीज प्रोक्यूरमेन्ट- धान	रायपुर	0	0.69	0.69	0	0	0.69	0	
			सहसपुर			-			-	-	
			चकराता			-			-	-	
			मु0कु0अ0	0	0.69	0.69	0	0	0.69	0	
			योग	0	1.90	1.90	0	0	1.90	0	
		(ii) जैविक कार्यक्रम	रायपुर	0	11.36	11.36	11.36	0	11.36	0	
		नमामि गंगे	रायपुर						-	-	
			सहसपुर			-			-	-	
			चकराता			-					

2.8.6. जनपद स्तर पर जैविक कृषि पर कार्यशाला, गोष्ठी/मेलों इत्यादि का आयोजन करना।
2.8.7. जनपद स्तर पर "जैविक कृषि पण्डित" के पुरस्कार हेतु मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्नतिशील जैविक कृषकों को सूचीबद्ध करते हुए नियमानुसार चयन करना।
2.8.8. विकास खण्डों से कार्यक्रम की "सफलता की कहानी का संकलन एवं प्रेषण।
2.8.9. कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव।

2.9 खण्ड विकास अधिकारी :

2.9.1. जैविक कृषि कार्यक्रमों को तत्काल अन्य योजनाओं को साथ संयोजित करते हुए महत्वपूर्ण स्थान देना।
2.9.2. विकास खण्ड के अर्न्तगत संचालित जैविक कृषि कार्यक्रमों का समयबद्ध रूप से निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को आख्या/रिपोर्ट प्रेषित करना।
2.9.3. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए गतिशीलता प्रदान करना।
2.9.4. जैविक कृषि कार्यक्रमों की ग्राम स्तरीय बैठकों में समीक्षा करना।
2.9.5. जैविक ग्रामों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को संकलित कर उच्चाधिकारियों का प्रेषित करना।
2.9.6. जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यशाला, गोष्ठी/मेला, प्रचार–प्रसार आदि हेतु भरपूर सहयोग प्रदान करना।
2.9.7. जनपद स्तरीय "जैविक कृषि पण्डित" के पुरस्कार हेतु उन्नतशील जैविक कृषकों के प्रस्ताव को प्रेषित करना।
2.9.8. कार्यक्रम के विभिन्न विधायों के अच्छे कार्यो की सफलता की कहानियों को संकलित कर प्रेषित करना।

2.10 सहायक कृषि अधिकारी–

2.10.1 जैविक ग्रामों का मानक के अनुसार चयन करना।
2.10.2 जैविक कृषि कार्याक्रमों के अर्न्तगत निर्धारित प्रशिक्षण, अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2.10.3. कृषकों के पंजीकरण में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
2.10.4. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना एवं जैविक ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना।
2.10.5. मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देना, उनका प्रोत्साहन तथा समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
2.10.6. कार्यक्रम हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार करना एवं रखरखाव।
2.10.7. सफलता की कहानियां, फोटोग्राफी आदि का संकलन एवं प्रेषण।

2.11. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी :

2.11.1. जैविक कृषकों का सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं मास्टर ट्रेनर के सहयोग से पंजीकरण करना।
2.11.2. निर्धारित पंजीकरण शुल्क कृषकों से प्राप्त कर उन्हें रूपपत्र–7 प्रदान करना।
2.11.3. पंजीकरण शुल्क को ग्राम पंचायत कोष में जमा करना।

2.12. बी0टी0एम0/जैविक कृषि कार्यकर्ता :

2.12.1. जैविक कृषकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जैविक कृषि कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
2.12.2. जैविक कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना।
2.12.3. विभिन्न जैविक प्रयोगों को कृषकों के साथ मिलकर कियान्वित करना।
2.12.4. सहायक कृषि विकास अधिकारी के साथ मिलकर कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यो को समयान्तर्गत सम्पादित करना।
2.12.5. जैविक कृषकों, आच्छादित क्षेत्रफल, जैविक उत्पाद आदि का लेखा जोखा रखना। जैविक कृषकों की डायरी, जैविक ग्राम की डयरी एवं अभिलेखन पुस्तिका का अवलम्बन करना।

	योग	0	13.56	13.56			13.56		
(iii) कृषक महोत्सव	मु0कृ0अ0	0	0	0	0	0	0	0	
(iv) कृषि यंत्रीकरण	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	धकराता			-			-	-	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	
v) बीज उत्पादन कार्यक्रम	रायपुर	0	2.155	2.155	0	2.155	2.1555	0	
(v) भूमि संरक्षण (दैवीय आपदा)	रायपुर	0	115.00	115.00	12.460	45.89	108.350	6.65	
	सहसपुर			-			-	-	
	धकराता			-			-	-	
	योग								
2-NFSM गेहूँ-	रायपुर	0	11.80	11.80	6.95	3.28	10.24	1.56	
	सहसपुर			-			-	-	
	धकराता			-			-	-	
	योग	0	11.80	11.80	6.95	3.28	10.24	1.56	
दलहन	रायपुर	0	4.33	4.33	1.00	2.98	2.98	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	धकराता			-			-	-	
	मु0कृ0अ0			-			-	-	
	योग	0	4.33	4.33	1.00	2.98	2.98	0	
तिलहन	रायपुर	0	0.786	0.786	0	0.786	0.786	0	
	सहसपुर			-			-	-	

	चकराता			-			-	-	
	योग	0	0.786	0.786	0	0.786	0.786	0	
मोटा अनाज	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	
3- NMSA-				-			-	-	
(i) RAD	रायपुर		12.99	12.99	9.06	3.93	12.99	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग		12.99	12.99	9.06	3.93	12.99		
(ii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड-	रायपुर		0.17	6.29	6.46	5.67	0.79	6.46	
(ii) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	मृ0क0प्र0						-	-	
(iv) PKVY	रायपुर	1.50	16.775	18.275	12.00	14.773	18.275	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग								
4-NMAET- (i) SPSPM -बीज ग्राम योजना	रायपुर	0	2.50	2.50	2.19	0.16	2.35	0.150	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	0							

(ii) आतमा परियोजना– जनपद				-			-	-	
(iii)–SMAM -	रायपुर	20.00	218.16	238.16	27.40	201.46	228.86	9.30	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	20.00	218.16	238.16	27.40	201.46	228.86	9.30	
	योग			-			-	-	
5- PMKSY- (i) स्प्रिंकलर	रायपुर	0	16.60	16.60	11.13	5.47	16.60	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	0	16.60	16.60	11.13	5.47	16.60	0	
(ii) आतमा				-			-	-	
(iii) डी०आई०पी०	रायपुर			-			-	-	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग			-			-	-	
(iv) अदर इन्टरवेन्सन	रायपुर	9.33	4.00	13.33	4.33	0	4.33	0	9.00 लाख रु० चकराता स्थानान्तरित
	सहसपुर			-			-	-	

	चकराता			-			-	-	
	योग	0	0.786	0.786	0	0.786	0.786	0	
मोटा अनाज	रायपुर	0	0	0	0	0	0	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	
3- NMSA-				-			-	-	
(i) RAD	रायपुर		12.99	12.99	9.06	3.93	12.99	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग		12.99	12.99	9.06	3.93	12.99		
(ii) मृदा स्वास्थ्य कार्ड–	रायपुर		0.17	6.29	6.46	5.67	0.79	6.46	
							-	-	
(ii) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	मृ0स्व0प्र0							0	
(iv) PKVY	रायपुर	1.50	16.775	18.275	12.00	14.773	18.275		
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग								
4-NMAET- (i) SPSPM -बीज ग्राम योजना	रायपुर	0	2.50	2.50	2.19	0.16	2.35	0.150	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	0							

(ii) आत्मा परियोजना- जनपद				-			-	-	
(iii)-SMAM -	रायपुर	20.00	218.16	238.16	27.40	201.46	228.86	9.30	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	20.00	218.16	238.16	27.40	201.46	228.86	9.30	
	योग			-			-	-	-
5- PMKSY- (i) स्प्रिंकलर	रायपुर	0	16.60	16.60	11.13	5.47	16.60	0	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग	0	16.60	16.60	11.13	5.47	16.60	0	
(ii) आत्मा				-			-	-	
(iii) सी०आई०पी०	रायपुर			-			-	-	
	सहसपुर			-			-	-	
	चकराता			-			-	-	
	योग			-			-	-	
(iv) अदर इन्टरवेन्शन	रायपुर	9.33	4.00	13.33	4.33	0	4.33	0	9.00 लाख रु0 चकराता स्थानान्तरित
	सहसपुर			-			-	-	

		[illegible]			-			-	-	
		[illegible]	9.33	4.00	13.33	4.33	0	4.33	0	9.00 [illegible]

–:: मैनुअल–13 ::–

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विषिश्टियां)

1– कार्यकम का नाम– बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विकय अनुज्ञापत्र निर्गमन।

2– प्रकार – अनुज्ञापत्र।

3– उद्देश्य– कृषकों को उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता।

4– लक्ष्य (विगत वर्षो में)– शून्य

5– पात्रता– बीज निबन्धन हेतु वैक्षिक योग्यता कम से कम उत्तीर्ण उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र हेतु बी0एस0–सी0 कृषि अथवा बी0एस0–सी0 रसायन विज्ञान या एक वर्षिय कृषि डिप्लोमा से सम्बन्धित कार्यो में रूचि रखता हो।

6– पात्रता का आधार– पूर्व अनुभव, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी हो।

7– पूर्व अपेक्षाए– अनुभव का विस्तार।

8– प्राप्त करने की प्रकिया– कीटनाशी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा प्रारूप 6 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। मद 0401008001400 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपया 1500/– एवं बहरी क्षेत्र हेतु रु0–7500/– कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं रसायन आपूर्ति कर्ता फर्मो के अधिकार पत्र, कीटनाशी भण्डाराण एवं विकय स्थल का मानचित्र, सम्बन्धित विकासखण्ड स्थित प्रभारी कृशि रक्षा इकाई की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप 8 में अनुज्ञाप पत्र निर्गत किया जाता है।

उर्वरक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित व्यवसायी को प्रारूप ए–1, में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। मद 0401008001400 में रूपया 627.00 कोषागार में जमा कर चालान की मूल प्रति एवं उर्वरक आपूर्ति कर्ता फर्मो के अधिकार पत्र, विकय स्थल का मानचित्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी, की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रारूप बी. में अनुज्ञापत्र निर्गत किया जाता है।

9– निर्धारित समय सीमा – पत्रावली पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर।

10– आवेदन शुल्क– कीटनाशी विकय हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क रूपया 1500 ग्रामीण रु0–7500 शहरी क्षेत्र के लिए)।

उर्वरक अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 627.00 समस्त के लिए

बीज अनुज्ञापन पत्र हेतु षुल्क रूपया 52.00 समस्त के लिए

11– आवेदन पत्र का प्रारूप– कीटनाशी हेतु प्रारूप–6 ।

उर्वरक हेतु – प्रारूप ए–1

बीज हेतु – प्रारूप–ए (प्रतीक क)

12– संलग्नों की सूची–

- लाइसैन्स शुल्क चालान की मूल प्रति
- आपूर्ति कर्ता फर्मो के अधिकार पत्र
- भण्डारण एवं विकय स्थल का मानचित्र।
- सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी/सहायक कृषि रक्षा अधिकारी की संस्तुति ।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।

13– संलग्नको का प्रारूप – विभिन्न निर्धारित प्रारूप।

14– प्राप्ति कर्ताओ की सूची – सूची संलग्न है–

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी-फर्मों की सूची

जनपद– देहरादून

विकासखण्ड–रायपुर

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,सरोना	न्याय पं0– सरोना, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–290	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, गुजराड़ा	न्याय पं0– गुंजराड़ा, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–291	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, अजबपुरखुर्द	न्याय पं0– गुंजराड़ा, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–292	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, सेवलाकला	न्याय पं0– सेवलाकला, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–293	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, थानों	न्याय पं0– थानों, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–294	07.09.2018	06.09.2021		
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, रायपुर	न्याय पं0– रायपुर, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–295	07.09.2018	06.09.2021		
7	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, अजबपुरकलां	बिक्री केन्द्र– जोगीवाला रिंग रोड, निकट साधी वैडिंग प्वाईट, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–208	21.09.2020	20.09.2025	9719030824	
8	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, सरोना	बिक्री केन्द्र–सहस्त्रधारा बाजार, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–160	16.07.2014	15.07.2025		
9	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, गुजराड़ा	गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–180	06.02.2015	05.02.2025		
10	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, सेवलाकलां	सेवलाकलां, सहारनपुर रोड, माजरा, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–117	28.06.2019	27.06.2022		
11	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, मियांवाला	मियांवाला, रायपुर रोड, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	न.ध्मल.209	09.07.2019	08.07.2022		
12	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, थानों	कन्हीगाल, थानों, रायपुर	यू0के0एफ0ई0आर–151	06.09.2017	06.10.2025	7579079832	
13	बादलघाटी स्वायत्त सहकारिता, मालदेवता	मालदेवता, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–343	12.06.2019	11.06.2022	8057451476	
14	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–186	10.05.2018	09.05.2021		
15	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–187	10.05.2019	09.05.2022		
16	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून	45, सुभाष रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–188	10.05.2020	09.05.2023		
17	सुमाडी कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि0	180, डोभालवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–334	24.01.2019	23.01.2022		

18	शिवम कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि0	201, अजबपुरकलां, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–335	24.01.2019	23.01.2022	
19	दूनघाटी कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि0	60, अजबपुरकलां, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–337	24.01.2019	23.01.2020	
20	सचिव महिला उपभोक्ता साधन सहकारी समिति लि0	बंगाली लाइब्रेरी रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–339	12.02.2019	11.02.2022	9956391353
21	सचिव श्री गणपति श्रम संविदा सहकारी समिति लि0	50, गांधी रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–340	12.02.2019	11.02.2022	9956391353
22	सचिव पर्वतीय परिवहन सहकारी समिति लि0	41 सी0 12, राजपुर रोड	यू0के0एफ0ई0आर–341	12.02.2019	11.02.2022	9956391353
23	राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको	राज्य कार्यालय–2/10 काली मन्दिर इन्क्लेव, जी0एम0एस0रोड,देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–162	[illegible]2017	[illegible]2020	9956391353
24	प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0	जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–174	15.03.2017	[illegible]2025	9456220605
25	सचिव द्रोण कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	मोहकमपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–271	18.05.2018	17.05.2021	
26	सचिव दून कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	41–सी0 राजपुर रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–272	18.05.2018	17.05.2021	
27	सचिव आसन कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	50, गांधी रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–273	18.05.2018	17.05.2021	
28	सचिव माजरा कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	वैस्ट कैनाल रोड, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–274	18.05.2018	17.05.2021	
29	सचिव सांई कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	कांवली, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–275	18.05.2018	17.05.2021	
30	सचिव कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	61 सी0, राजपुर रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–276	18.05.2018	17.05.2021	
31	सचिव सांई कृषि उत्पादन एवं उर्वरक विपणन सहकारी समिति लि0	मोहकमपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–277	18.05.2018	17.05.2021	
32	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समीति लि0	मियांवाला उपकेन्द्र गुजरोवाली	यू0के0एफ0ई0आर–354	14.01.2020	13.01.2025	
33	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, भगवानतपुर	भगवानतपुर, रानीखेत	यू0के0एफ0ई0आर–152	07.09.2017	06.10.2025	7579079832
		निजी विक्रेता फर्म				
1	निवेदता इण्टरप्राईजेस	आफिस पता– श्री राम कम्प्यूटर, नियर विधान सभा चौक, एम0आई0जी0–83,एम0डी0डी0ए0 कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–282	18.06.2018	17.06.2021	9997277573
2	इनरजी सिस्टम	एम0आई0जी0–83,एम0डी0डी0ए0 कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–280	02.06.2018	01.06.2021	9997277573
3	निधी इण्टरप्राईजेस	35, सहारनपुर चौक, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–158	27.03.2017	26.03.2020	9412972132

4	सारांश एग्रो सॉल्यूशन	64 गांधी रोड, लक्ष्मी प्लाजा, 116, देहरादून आर्केडिट अग्रवाल धर्मशाला	यू0के0एफ0ई0आर–253	27.09.2016	26.09.2019	9412555355	
5	अर्जुन इण्टरप्राईजेस	14–ए, मोहनी रोड, धुमकाल चौक के पास,देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–252	27.09.2019	26.09.2024	9412998109	
6	सुनिता एग्रीकेयर	डिजिटल जंक्शन, 364 जी ग्राउंड फ्लोर, निरंजनपुर	यू0के0एफ0ई0आर–262	30.05.2020	29.05.2025	9411177163	
7	भूमि ट्रेडर्स	446, इन्दिरा नगर कालोनी,देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–231	30.12.2017	29.12.2020	9412056173	
8	मैना ट्रेडिंग कम्पनी	ऑफिस पता–420/1 निरंजनपुर मण्डी, स्टोर–446,इंदिरा कालोनी, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–263	30.05.2020	29.05.2025	9412056173	
9	सुधा इण्टरप्राईजेस	33 चित्रकूट एन्क्लेव, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–279	02.06.2018	01.06.2021	7017878413	
10	श्री इण्टर प्राईजेज	820 नियर रितु चैम्बर, सिरमौर प्लाजा, कौलागढ़ रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–267	12.09.2017	11.09.2020	8171556969	
11	मै0 केशोराम एग्री केयर प्रा0लि0	259/237 ईस्ट पटेल नगर, गुरू रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–201	14.01.2020	13.01.2025	9319818923	होलसेल
12	मै0 केशोराम एग्री केयर प्रा0लि1	259/237 ईस्ट पटेल नगर,गुरू रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–106	10.04.2018	09.04.2021	9319818923	रिटेल
13	एस0के0एशोसियेटस	855, सांई बाबा एनक्लेव, टी.एच.डी.सी., देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–348	26.11.2019	25.11.2024	8755729904	
14	मै0 मन्दाकिनी ट्रेडर्स	948,इन्दिरा नगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–351	20.12.2019	19.12.2024	9412054348	
15	एडवांस क्राप केयर इण्डिया प्रा0लि0	ए–58, ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–349	18.12.2019	17.12.2024	8006339757	
16	वरूण फर्टिलाईजर्स प्रा0लि0	ए–58 बेसमेंट, ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–350	18.12.2019	17.12.2024		
17	नर्मदा बायो कैम लि0	382, चाणक्य रोड, सुभाष नगर, क्लेमनटाऊन, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–352	08.01.2020	07.01.2025		
18	रिचफिल्ड फर्टिलाईजर प्रा0लि0	162 लोअर नेहरूग्राम, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–257	30.01.2017	29.01.2020		
19	गुप्ता खाद भण्डार	रायपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–258	30.05.2020	29.05.2025	8279398180	
20	वैस्टीज मार्केटिंग प्रा0लि0	102, मिएशन टॉवर, चकराता रोड, बल्लूपुर	यू0के0एफ0ई0आर–270	05.03.2018	04.03.2021	9557822515	
21	मै0 वैस्टिज प्रा0लि0	बत्रा कम्पाउड, सब्जिमण्डी के पीछे, निरंजनपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–353	14.01.2020	13.01.2025	9557822515	
22	एल0बी0एम0एशोसिएट	ग्राम–हरबंसवाला, तेलपुर, पी0ओ0–मेहूवाला,देहरादून,	यू0के0एफ0ई0आर–269	19.01.2018	18.01.2021	8755729904	

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

विकासखण्ड–डोईवाला

जनपद– देहरादून

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अनुमति
			सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, श्यामपुर	ग्राम पं0– श्यामपुर, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर0– 292	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भानियावाला	ग्राम पं0– भानियावाला, वि0ख0–डोईवाला, , देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–296	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, रानीपोखरी	ग्राम पं0–रानीपोखरी, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–297	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मारखमघाट	ग्राम पं0–मारखमघाट, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर0–299	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, नियांवाला	ग्राम पं0–नियांवाला, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर0–300	07.09.2018	06.09.2021		
6	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, डोईवाला	डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–207	21.07.2019	20.07.2022	7055520709	
7	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, रानीपोखरी	रानीपोखरी, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–154	04.02.2020	03.02.2025	9193538450	
8	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, ऋषिकेश	ऋषिकेश, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0– 94	27.11.2018	26.11.2021	8979162074	
9	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, भानियावाला	भानियावाला, डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–126	01.08.2019	31.07.2022	7055520708	
10	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, भोगपुर	भोगपुर, डोईवाला	यू0के0एफ0ई0आर0–157	05.07.2017	15.09.2025	9411393025	
11	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0, गढ़ूल	गढ़ूल, डोईवाला	यू0के0एफ0ई0आर0–156	05.07.2017	15.09.2025	9411393025	
12	किसान सेवा सहकारी समिति लि0 मियावाला	मियावाला देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–209	05.07.2016	04.07.2019		
13	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला (बिक्री केन्द्र–रायवाला)	डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–136	19.09.2019	18.09.2024		
14	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला (बिक्री केन्द्र–डोईवाला)	डोइवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–137	19.09.2019	18.09.2024		
15	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला (बिक्री केन्द्र–माजरी)	डोइवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–138	19.09.2019	18.09.2024		
16	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला (बिक्री केन्द्र–दूधली)	डोइवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–139	19.09.2019	18.09.2024		

17	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, मियावाला– उपकेन्द्र, गुजरोवाली	मियावाला, गुजरोवाली	यू0के0एफ0ई0आर0–354	14.01.2020	13.01.2025	9084818488
18	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, श्यामपुर,	केन्द्र छिद्दरवाला	यू0के0एफ0ई0आर0–365	1.10.2020	30.09.2025	9997454593
19	त्रिवेणी कृषि उत्पादन उर्वरक एवं रसायन विपणन सहकारी समिति लि0	ऋषिकेश, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–333	24.01.2019	23.01.2022	
		निजी विक्रेता फर्म				
1	देवभूमि किसान केन्द्र	रेशम माजरी, (हरिद्वार रोड़ पर रेशम माजरी चौक से अन्दर रोड़ पर), डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–342	16.02.2019	15.02.2022	7830908062
2	संतोष किसान केन्द्र	ग्राम व पो0–रेशम माजरी,डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–344	13.06.2019	12.06.2022	9520101723
3	भावेश ट्रेडर्स	प्रेमनगर बाजार, (नियर रेलवे फाटक), डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–336	01.12.2018	30.11.2021	9520101724
4	किसान सेवा केन्द्र	छिद्दरवाला, डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–285	25.07.2018	24.07.2021	
5	किसान सेवा भण्डार	भानियावाला, हरिद्वार रोड़, (निकट श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल), देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–287	14.08.2018	13.08.2021	707868918
6	एस0एफ0इण्टरप्राईजेस	नेपाली फार्म (निकट कल्पतरू आश्रम), ऋषिकेश, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–277	30.12.2017	29.11.2021	735164401
7	एग्रो एजेन्सीज	श्यामपुर, ऋषिकेश	यू0के0एफ0ई0आर0–221	11.08.2017	10.08.2020	9882204002
8	एग्रो केयर इण्टरप्राईजेस	पौली प्लाण्ट, निकट शिवा कालोनी, भानियावाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–265	08.08.2017	27.08.2020	
9	बिष्ट खाद भण्डार	डोईवाला,(निकट ब्लाक आफिस) देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–104	03.09.2018	02.09.2021	9897845189
10	सिमरन बीज भण्डार	मेन रोड़ बाईपास श्यामपुर, रोड, ऋषिकेश, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–102	10.05.2018	09.05.2021	9997313142
11	चौहान खाद भण्डार	प्रतीतनगर, रायवाला, ऋषिकेश,देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–105	10.05.2018	09.05.2021	8449102556
12	माँ पार्वती एग्रो कैमिकल्स,	श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–214	15.02.2018	14.02.2021	
13	श्री कालिका एग्रो	नकरौंदा,डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–330	27.08.2018	26.08.2021	9820216412
14	स्वाति किसान केन्द्र	निकट शुगरमिल, प्रेमनगर बाजार, डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–257	3?2112017	3?2012020	9720284355
15	किसान एग्री जंक्शन	आर्य नगर, भानियावाला, डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–358	24.06.2020	23.06.2025	8077901863
16	कृषि खाद बीज भण्डार	छिद्दरवाला डोईवाला	यू0के0एफ0ई0आर0–359	7.9.2020	7.082025	8171493484
17	मै0 एस0एस0 बिष्ट खाद भण्डार	भानियावाला डोईवाला देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–360	14.08.2020	13.08.2025	9634712494
18	मै0 दिशा किसान सेवा केन्द्र	रेशममाजरी डोईवाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–368	10.06.2020	10.02.2025	8859473610

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी-समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद- देहरादून

विकासखण्ड-सहसपुर

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,सहसपुर	न्याय पं०-सहसपुर, वि०ख०-सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-301	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,आमवाला	न्याय पं०-आमवाला, वि०ख०-सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-302	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,भगवंतपुर	न्याय पं०-भगवंतपुर, वि०ख०-सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-303	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,झाझरा	न्याय पं०-झाझरा, वि०ख०-सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-304	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, ईस्टहोपटाऊन	न्याय पं०-ईस्टहोपटाऊन,वि०ख०-सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-305	07.09.2018	06.09.2021		
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,भाऊवाला	न्याय पं०-भाऊवाला, वि०ख०-सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-306	07.09.2018	06.09.2021		
7	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, नाथुवाला, पोलियो	नाथुवाला, पोलियो, वि०ख०-सहसपुर, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर०-211	28.02.2018	27.02.2021	7055520714	
8	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, पंडितवाडी (बिक्री केन्द्र-बनियावाला, प्रेमनगर)	बनियावाला, प्रेमनगर, सहसपुर,	यू०के०एफ०ई०आर०-222	05.01.2019	04.01.2022	9058525581	
9	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०,सहसपुर	सहसपुर, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर०-120	06.05.2019	05.05.2022	7055520721	
10	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, देहरादून, (बिक्री केन्द्र-तिपरपुर)	45, सुभाष रोड, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर०-190	10.05.2018	09.05.2021	9411191243	
11	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, देहरादून, (बिक्री केन्द्र-रामपुर)	45, सुभाष रोड, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर०-188	10.05.2018	09.05.2021	9411191243	
12	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, झाझरा	झाझरा, सहसपुर	यू०के०एफ०ई०आर०-225	08.12.2017	07.12.2020		
13	बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि०, झाझरा (बिक्री केन्द्र- सिहनीवाला)	झाझरा, सहसपुर	यू०के०एफ०ई०आर०-226	08.12.2017	07.12.2020	9917204822	
14	साधन सहकारी समिति लि०, झाझरा	भाऊवाला सहसपुर	यू०के०एफ०ई०आर०-147	23.01.2020	22.01.2025	8941939495	
		निजी विक्रेता फर्म					
1	देहरादून वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि०	ग्रा०-शीशमबाड़ा, पो०ऑ०-शेरपुर, नियर जी० हिमगिरी यूनिवर्सिटी	यू०के०एफ०ई०आर०-331	07.12.2018	06.12.2021	8859723855	

2	देहरादून वेस्ट मैनेजमेंट प्रा०लि०	ग्रा०-शीशमबाड़ा, पो०ऑ०-सेलाकुई, निकट जी० हिमगिरी यूनिवर्सिटी	यू०के०एफ०ई०आर०-302	07.12.2018	06.12.2021	
3	एल्पाईन हर्बल हब	ग्राम-बड़ोवाला, शिमला बाईपास रोड,देहरादून,	यू०के०एफ०ई०आर०-283	10.07.2018	09.07.2021	6396922616
4	एगरीन बायो इनफ्रा इण्डिया प्रा०लि०	16-A सांईलोक फेज-1, जी०एम०एस० रोड	यू०के०एफ०ई०आर०-16	27.05.2015	26.05.2018	
5	ओम कृष्णा खाद भण्डार	मेन रोड,सहसपुर, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर०-212	04.06.2018	03.06.2021	9627346315
6	गुप्ता बीज भण्डार,	तिपरपुर, समावाला	यू०के०एफ०ई०आर०-286	03.08.2018	02.08.2021	8630695581
7	दून फर्टिलाइजर एण्ड पेस्टीसाइड स्टोर	3, मेन मार्किट, प्रेमनगर,देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर०-113	31.12.2019	30.12.2024	
8	निर्मला ट्रेडर्स	मेन मार्किट निकट एस०बी०आई० सहसपुर	यू०के०एफ०ई०आर०-369	28.10.2020	27.10.2025	7455055050
9	चौधरी पेस्टिसाइड	मेनरोड सहसपुर	यू०के०एफ०ई०आर०-370	11.11.2020	10.11.2025	9410102110
10	बी० राम बायो फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन	निकट एकता भवन, ठाकुरपुर, प्रेमनगर	यू०के०एफ०ई०आर०-281	6/8/2018	07.08.2021	8059079135

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

विकासखण्ड–विकासनगर

जनपद– देहरादून

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,सोरना	न्याय पं०-सोरना, वि०ख०-विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-307	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र,लांघा	न्याय पं०-लांघा, वि०ख०-विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-308	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, एनफिल्ड	न्याय पं०-एनफिल्ड, वि०ख०-विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-309	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, धर्मावाला	न्याय पं०-धर्मावाला, वि०ख०-विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-310	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2, कृषि निवेश केंद्र, समावाला	न्याय पं०-समावाला, वि०ख०-विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर०-311	07.09.2018	06.09.2021		

6	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, देहरादून, (बिक्री केन्द्र–हरबर्टपुर)	45, एम्पाष रोड, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–189	10.05.2018	09.05.2021	9411191243
7	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, हरबर्टपुर	हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–125	12.03.2019	11.03.2022	
8	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0,विकासनगर	विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–143	24.08.2019	23.08.2022	7830961494
9	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लि0, विकासनगर (बिक्री केन्द्र–बरोटीवाला)	विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–268	06.07.2020	05.07.2025	9837161065
10	किसान सेवा सहकारी समिति लि0,	छरबाला, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–155	25.09.2017	04.10.2025	8755167999
			निजी विक्रेता फर्म			
1	एग्रो पैस्टीसाईड एण्ड सीडस	वार्ड न0–4, आसनबाग, हरबर्टपुर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–266	11.04.2017	10.04.2020	
2	बालाजी फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टिसाईड	मण्डी रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–255	27.01.2020	26.01.2025	7830251166
3	पी0आर0इण्टर प्राईजेस	जीवनगढ़, चकराता रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–250	19.11.2019	18.11.2024	9557481000
4	मिलन पैस्टीसाईड	सभावाला, विकासनगर	241/2015	17.06.2020	16.06.2025	8218693960
5	बाबूमल ज्ञान प्रकाश जैन	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–126	21.07.2019	20.07.2022	9412050496
6	आकाश पैस्टीसाईड एवं खाद बीज भण्डार	लक्ष्मीपुर चौक, बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–116	14.01.2020	13.01.2025	9412974438
7	ओम पैस्टीसाईड	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–212	04.06.2018	03.06.2021	
8	चौहान खाद भण्डार	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–161	30.12.2017	29.12.2020	9411139025
9	उत्तराखण्ड पैस्टीसाईड	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–97	07.05.2018	06.05.2021	9412974913
10	श्री ओम पैस्टीसाईड खाद व बीज भण्डार	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–261	18.08.2020	17.08.2025	8057453010
11	उत्तराखण्ड खाद एण्ड बीज स्टोर	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर0–98	07.05.2018	06.05.2021	9411753923
12	शर्मा खाद बीज भण्डार	अम्बाड़ी, विकासनगर	यू0के0एफ0ई0आर0–246	03.07.2018	02.07.2021	
13	हरिओम खाद भण्डार	बरोटीवाला, विकासनगर	यू0के0एफ0ई0आर0–217	22.01.2020	21.01.2025	7895602506
14	आसन वैली फारमर्स प्रोडयूसर	बद्रीपुर, पो0–धर्मावाला, विकासनगर, दे0दून	यू0के0डी0डी0एन0–357	6.1.2020	5.31.2025	8756037735
15	सैनी खाद एवं बीज भण्डार	धर्मावाला, देहरादून	यू0के0डी0डी0एन0–363	9.2.2020	9.1.2025	9720209218
16	चंचल पैस्टीसाईड	सभावाला, विकासनगर, देहरादून	यू0के0डी0डी0एन0–362	25.08.2020	24.08.2025	9557603057
17	मै0 पल्लवी ट्रेडर्स	धर्मावाला, विकासनगर, देहरादून	यू0के0डी0डी0एन0–361	17.08.2020	16.08.2025	9760753435

18	मै० सिंह पैस्टीसाईड फर्टीलाइजर एण्ड सीड	ग्राम पो० रामावाला, शिमला बाईपास रोड, देहरादून।	यू०के०डी०डी०एन०-364	28.09.2020	27.09.2025	8755569696
19	मै० जगत सिंह भगवन्त सिंह	मेन बाजार विकासनगर	यू०के०डी०डी०एन०-371	27.11.2020	26.11.2025	7017878443

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद– देहरादून

विकासखण्ड–कालसी

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कालसी	न्याय पं०–कालसी, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–312	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कोटी	न्याय पं०–कोटी, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–313	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, खाड़ी	न्याय पं०– खाड़ी, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–314	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, नराया	न्याय पं०–नराया, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–315	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मंजरा	न्याय पं०–मंजरा, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–316	07.09.2018	06.09.2021		
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, उत्पाल्टा	न्याय पं०–उत्पाल्टा, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–317	07.09.2018	06.09.2021		
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कोरूवा	न्याय पं०–कोरूवा, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–318	07.09.2018	06.09.2021		
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मुन्धान	न्याय पं०–मुन्धान, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–319	07.09.2018	06.09.2021		
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, डागुरा	न्याय पं०– डागुरा, वि०ख०–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू०के०एफ०ई०आर–320	07.09.2018	06.09.2021		
10	बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति लि०, कालसी	कालसी, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर–223	29.03.2018	28.03.2021	7055520714	
11	बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति लि०, कोटी	कोटी, कालसी, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर–177	14.08.2021	13.08.2018	9410506930	
12	बहुउद्देशीय दीर्घाकार सहकारी समिति लि०, साहिया	साहिया, कालसी, देहरादून	यू०के०एफ०ई०आर–347	01.08.2019	31.07.2022	7579065061	
13	उन्नत जौनसार आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत सहकारिता	डियुडलानी लक्सयार, कालसी	यू०के०एफ०ई०आर–264	03.08.2017	02.08.2020	9634375353	

निजी विक्रेता फर्म

1	पारसनाथ ट्रेडर्स	साहिया, कालसी, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–284	25.07.2018	24.05.2021	8958856979

उर्वरक लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद– देहरादून

विकासखण्ड–चकराता

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, दसऊ	न्याय पं0–दसऊ, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–321	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मिण्डाल	न्याय पं0–मिण्डाल, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–322	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,रंगेऊ	न्याय पं0–रंगेऊ, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–323	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, काण्डोई बोन्दर	न्याय पं0–काण्डोई बोन्दर, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–324	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, जाड़ी	न्याय पं0–जाड़ी, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–325	07.09.2018	06.09.2021		
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, बेगी	न्याय पं0–बेगी, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–326	07.09.2018	06.09.2021		
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भंद्रौली	न्याय पं0–भंद्रौली, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–327	07.09.2018	06.09.2021		
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भुनाड़	न्याय पं0–भुनाड़, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–328	07.09.2018	06.09.2021		
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, बृनाड़	न्याय पं0–बृनाड़, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0के0एफ0ई0आर–329	07.09.2018	06.09.2021		
10	जनशक्ति आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता	अटाल, तहसील त्यूनी	यू0के0एफ0ई0आर–288	23.06.2018	22.06.2021	9760524077	
11	खत देवघर आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता	तहसील त्यूनी,देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–200	05.07.2017	04.07.2020		
		निजी विक्रेता फर्म					
1	चौहान फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टिसाईड	शिमला रोड़, त्यूनी, देहरादून	यू0के0एफ0ई0आर–259	01.03.2017	29.02.2020		
2	राणा कीटनाशी बीज भण्डार	ग्राम व पो0–कोटी कनासर, चकराता, देहरादून	यू0के0डी0ई0एन0–278	04.01.2016	3.01.2021	9410767607	
6	चौहान इण्टरप्राईजेस	मेन मार्केट त्यूनी, तहसील त्यूनी, देहरादून	यू0के0डी0ई0एन0–254 (अ)	10.11.2020	09.11.2025	9756993536	
7	चौहान सन्स इण्टर प्राईजेस	रोहटाखड़ड, त्यूनी, देहरादून	यू0के0डी0ई0एन0–356	19.11.2019	18.11.2024	8979843633	

8	कामधार फर्टीलाईजर्स	कोटी कनासर, चकराता, देहरादून	यू0के0डीडी0एन0–355	2.3.2020	2.2.2025	7351077555
9	मै0 राणा कीटनाशक केन्द्र	ग्राम –दारागाढ़(बाणाधार) तहसील– त्यूनी देहरादून	यूकेडीडीएन–एफ0ई0आर0 –357	12.10.2020	11.10.2025	7895286245

कीटनाशी लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद– देहरादून

विकासखण्ड–रायपुर

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
	सरकारी संस्था/सहकारी समिति						
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,सरोना	न्याय पं0– सरोना, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–753	07.09.2018			
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, गुजराडा	न्याय पं0– गुजराडा, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–754	07.09.2018			
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, अजबपुरखुर्द	न्याय पं0– गुजराडा, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–219	07.09.2018			
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, सेवलाकला	न्याय पं0– सेवलाकला, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–755	07.09.2018			
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, थानों	न्याय पं0– थानों, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–756	01.01.2018			
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, रायपुर	न्याय पं0– रायपुर, वि0ख0–रायपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–757	07.09.2020			
7	सहकारी गन्ना विकास समिति लि0	45, सुभाष रोड,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–83	27.12.2001			
8	बादलघाटी स्वायत्त सहकारिता, मालदेवता	मालदेवता, वि0ख0–रायपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–773	12.06.2019			
	निजी विक्रेता फर्म						
9	बी0केयर पैस्ट कंट्रोल, प्रोफेशनल	नेशविला रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–703	10.03.2016		9997918187	पैस्ट कंट्रोल,
10	आर0वी0पैस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सर्विस	म0न0–959, इंदिरा नगर, सीमा द्वार,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–731	09.06.2017		9568776153	पैस्ट कंट्रोल,
11	यूनिपैक इण्टरप्राइजेज	72 केशव विहार, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–732	25.07.2017			
12	अम्बिका स्टोर	पल्टन बाजार, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–339	27.12.2002			
13	लाल ब्रदर्स	36 आढ़त बाजार, सहारनपुर चौक	यू0ए0डी0डी0एन0–132	26.12.2002			
14	निधि इण्टर प्राईजेस	36 आढ़त बाजार, सहारनपुर चौक	यू0ए0डी0डी0एन0–449	31.12.2001			
15	मुरलीमल रामदास शाह	123 पल्टन बाजार,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–266	31.03.2003			
16	नवभारत ट्रेडर्स	आढ़त बाजार, सहारनपुर रोड	यू0ए0डी0डी0एन0–726	31.12.2002			
17	कृषि सेवा	सब्जी मण्डी चौक, 34 निरंजनपुर	यू0ए0डी0डी0एन0–650	26.12.2002			
18	मै0कानू एजेन्सी पैस्ट कंट्रोल सर्विस	नारायण विहार, कारगी रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–702	29.02.2016		9997367417	निरस्त

74	एस0सी0जोनसन प्रोडक्टस प्रा0लि0	ए/24/1 ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–105	02.01.2008		हाउस होल्ड प्रो
75	गोदरेज कन्ज्यूमर प्रोडक्टस लि0	C/D श्रीश लॉजिस्टिक, एराईज कम्पाउंड, मोहब्बेवाला, इण्डस्ट्रियल एरिया, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–175	14.02.2012		हाउस होल्ड प्रो
76	एवरेक्स ट्रेडर्स	टर्नर रोड, लेन0–1, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–238	22.08.2015		हाउस होल्ड प्रो
77	रिलाईंस रिटेल लि0	नियर रोहन मोटर्स, जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–240–	24.09.2015		हाउस होल्ड प्रो
78	आर0के0 एजेन्सीज	58, मैन बाजार, विकासनगर,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–744	27.12.2017		हाउस होल्ड प्रो
79	शिवम पैस्ट कंट्रोल	संगम विहार, कांवली, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–63	15.09.2006	9411728373	हाउस होल्ड प्रो
80	एल0डी0एम0 एशोसियेट	हरबंसवाला, सैलपुर, पो0ऑ0–मेहूँवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–743	19.01.2018		
81	श्री श्याम इन्टरप्राईजेस	60–ए अंसारी मार्ग, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–761	18.09.2018		हाउस होल्ड प्रो
82	डिवाईन एग्री क्लीनिक एण्ड एग्री बिजनेस सेंटर	मनुयोग विला, जैतनवाला, पो0ऑ0–पंपोड़ा, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–719	17.01.2017		पैस्ट कंट्रोल,
83	श्री इण्टरप्राईजेस	820, सिरमौर प्लाजा, कौलागढ़ रोड	यू0ए0डी0डी0एन0–738	12.09.2017		
84	कैशोराम एग्री केयर प्रा0लि0	259/237 ईस्ट पटेल नगर,गुरू रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–77	30.05.2006		
85	दून फर्टीलाईजर एण्ड पैस्टी साईड	त्यागी मार्केट, प्रेमनगर	यू0ए0डी0डी0एन0–457	30.01.2002		
86	एलपाईन हर्बल हब,	बड़ोवाला, आरकेडिया ग्रांट, शिमला बाईपास रोड, नियर पैट्रोल पम्प	यू0ए0डी0डी0एन0–749	10.07.2018	6396922616	
87	मेडिका हाउस	22/1, धामावाला मौहल्ला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–761	13.12.2018	9897062531	हाउस होल्ड प्रो
88	विशाल इण्टरप्राईजेस	लेन0–06, 10–आर्शीवाद एन्कलेव, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–750	31.07.2018		
89	अग्रवाल ट्रेडर्स	541, इन्दिरा नगर कालोनी, बसंत विहार, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–759	10.09.2018		
90	एडवांस क्राप केयर इण्डिया प्रा0लि0	ए–58, ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–763	18.12.2019		
91	मंदाकनी ट्रेडर्स	948 इंदिरा नगर, पो0– न्यू फारेस्ट कालोनी	यू0ए0डी0डी0एन0–765	22.01.2020		
92	अविस्तारी इण्टरप्राईजेस	76 अकाशदीप कालोनी, बल्लूपुर चौक	यू0ए0डी0डी0एन0–949	12.02.2020		
		विकासखण्ड– डोईवाला				
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
93	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, श्यामपुर	न्याय पं0– श्यामपुर, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–224	07.09.2018		
94	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भानियावाला	न्याय पं0– भानियावाला, वि0ख0–डोईवाला, , देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–223	07.09.2018		
95	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, रानीपोखरी	न्याय पं0–रानीपोखरी, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–222	07.09.2018		
96	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मारखमग्रांट	न्याय पं0–मारखमग्रांट, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–220	01.01.2018		

48	पी०सी०आई० पैस्ट कंट्रोल प्रा०लि०	शॉप न०–12, फेडल हाउसिंग को–ऑपरेटिव सोसाईटी, गुजराड़ा मानसिंह, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	यू०ए०डी०डी०एन०–68	08.08.2005		गोदाम
49	पी०सी०आई० पैस्ट कंट्रोल प्रा०लि०	शॉप न०–04, एलाईड मार्केट, सेलाकुई, देहरादून।	यू०ए०डी०डी०एन०–721	10.04.2013		गोदाम
50	यश इण्टरप्राईजेस	141, संजय कोलोनी, पटेल नगर, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–741	04.01.2018		पैस्ट कंट्रोल
51	यश इण्टरप्राईजेस	141, संजय कोलोनी, पटेल नगर, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–742	04.01.2018		
52	पैस्ट कंट्रोल कन्सलटैंट एण्ड सर्विसेस	8 चकराता रोड देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–745	10.04.2018	9456177108	पैस्ट कंट्रोल
53	सफल पैस्ट कंट्रोल	242,ऋषिनगर, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–241	01.01.2016		पैस्ट कंट्रोल
54	अवध एग्रो पैस्ट कंट्रोल	नई बस्ती, दौड़वाला, मोथरोवाला, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–726	06.05.2017	9548934051	पैस्ट कंट्रोल
55	नार्दन पैस्ट कंट्रोल	शॉप न०–33, शिवा काम्पलेक्स, दोनाली चौक, नथुवावाला, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–755	30.07.2018	9818954066	पैस्ट कंट्रोल
56	पैस्ट कंट्रोल इनिशियल	शॉप न०–04, एकजोट प्लाजा, मेन रोड, सेलाकुई,देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–775	24.07.2019	6399990700	पैस्ट कंट्रोल
57	ईजी केयर इण्टरनैशनल सॉल्यूशनस प्रा०लि०	शॉप न०–36, विडलास शॉपिंग काम्प्लैक्स,11–ए, राजपुर रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–776	27.05.19	7895101314	पैस्ट कंट्रोल
58	बिनसर इण्टरप्राईजेस	अवंतिका विहार, कारगी रोड, गोदाम–प्लॉट न०–549, बंजारावाला, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–768	14.08.2020		हाउस होल्ड प्रो०
59	फॉर्चून इण्टरप्राईजेज	दारा कॉम्प्लैक्स	यू०ए०डी०डी०एन०–767	12.03.2019		हाउस होल्ड प्रो०
60	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	जाखन, राजपुर रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–705	17.03.2016		हाउस होल्ड प्रो०
61	फ्यूचर रिटेल लि०(बिग बजार)	नियर आइ०एस०बी०टी बस स्टेशन मॉल में स्थापित बिग बाजार स्टौर	यू०ए०डी०डी०एन०–212	17.05.2014		हाउस होल्ड प्रो०
62	फ्यूचर रिटेल लि०(बिग बजार)	कपूर टॉवर, राजपुर रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–700	22.01.2016		हाउस होल्ड प्रो०
63	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	इम्पीरियल प्लाजा, वैस्ट कैनाल रोड, नियर सिनर्जी हॉस्पिटल	यू०ए०डी०डी०एन०–183	28.04.2012		हाउस होल्ड प्रो०
64	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	प्लाट न०–04, सपदेवा काम्प्लैक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–171	03.09.2011		हाउस होल्ड प्रो०
65	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	जी०एम०एस० रोड,देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–156	30.06.2010		हाउस होल्ड प्रो०
66	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	अधोईवाला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–155	14.07.2010		हाउस होल्ड प्रो०
67	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	सेवलाकलां, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–717	15.12.2016		हाउस होल्ड प्रो०
68	फ्यूचर रिटेल लि०(ईजी डे स्टोर)	प्रेमनगर, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–245	03.02.2016		हाउस होल्ड प्रो०
69	पार्थ एजेन्सी	196, इन्दिरा नगर कालोनी, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–739	12.12.2017		हाउस होल्ड प्रो०
70	नरेन्द्र स्वरूप मित्तल एण्ड सन्स	32, लक्खी बाग, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–741	12.12.2017		हाउस होल्ड प्रो०
71	नैशनल एजेन्सी	लेन न०–06, 282, राजेन्द्र नगर, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–532	20.12.2002		हाउस होल्ड प्रो०
72	रैकेट बेन्कोजर इण्डिया लि०	बतरा कम्पाउंड, नियर सब्जी मण्डी, निरंजनपुर, देहरादून	यू०ए०डी०डी०एन०–653	31.12.2002		हाउस होल्ड प्रो०
73	यादवा मार्केटिंग एजेन्सी	109, अंसारी मार्ग	यू०ए०डी०डी०एन०–69	21.12.2005		हाउस होल्ड प्रो०

19	एशियन पेन्ट्स लि0	एच.सी.एल. काम्पांऊड, निरंजनपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–734	28.08.2017		निरस्त
20	रावत ट्रेडिंग कम्पनी	513, न्यू कैंट रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–711	18.10.2016		
21	क्वालटी हार्डवेयर	12 गांधी रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–553	31.12.2002		
22	मै0 हिम ट्रेडर्स	लेन0–2, विष्णुपुरम, मोथरोवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–712	18.10.2016		
23	सनी इण्टरनैशनल	55, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–748	25.07.2018		
24	हुरला हार्डवेयर	190, धर्मपुर	यू0ए0डी0डी0एन0–574	01.01.2004		
25	महावर सैल्स कारपोरेशन	शास्त्रीनगर,हरिद्वार रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–587	01.01.2004		
26	पुनीत महावर हार्डवेयर	पंडितवाडी, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–658	15.05.2002		
27	शुभम इण्टरप्राईजेज	जोगीवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–09	01.05.2003		
28	भूमि ट्रेडर्स	446, इंदिरा नगर कालोनी, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–746	02.06.2018		
29	इण्डोजर्मन साईंटिफिक रिसर्च इंसटीयूट	19 उत्तराखण्ड कॉम्पलेक्स, नियर विधान सभा चौक, हरिद्वार रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–638	01.01.2003		
30	सैवन गोल्ड स्टोन(पैस्ट वॉरियर्स)	7–सी, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–639	01.01.2004	8909727272	पैस्ट कंट्रोल
31	पैस्ट कंट्रोल सॉल्यूशन एण्ड मैनेजमैंट	34 राजीव गांधी कालोनी, लेन0–9, विजय पार्क, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–760	18.09.2018	9368540100	पैस्ट कंट्रोल
32	दीमक नाशक केन्द्र	30, आढ़त बाजार, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–109	04.03.2008		पैस्ट कंट्रोल
33	एक्सपर्ट पैस्ट कंट्रोल	300–डी वीर गब्बर सिंह मार्ग	यू0ए0डी0डी0एन0–779	04.03.2009	8449987654	पैस्ट कंट्रोल
34	पैस्ट कंट्रोल कैमिकल्स एण्ड सर्विस	38, आढ़त बाजार, सहारनपुर चौक	यू0ए0डी0डी0एन0–88	25.10.2006	9411154147	पैस्ट कंट्रोल
35	पैस्ट कंट्रोल आप्टीमा	बल्लीवाला चौक, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–87	25.10.2006	9412303988	पैस्ट कंट्रोल
36	पैस्ट कंट्रोल सर्विस	किशननगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–86	25.10.2006	9411364164	पैस्ट कंट्रोल
37	स्वीटी पैस्ट कंट्रोल	नया गांव, हरीपुर, कांवली	यू0ए0डी0डी0एन0–85	13.09.2006	9897918986	पैस्ट कंट्रोल
38	बालाजी पैस्ट कंट्रोल	1/8, नेशविला रोड, देहरादून रोड	यू0ए0डी0डी0एन0–84	08.09.2006	9412075114	पैस्ट कंट्रोल
39	एरन वाटर प्रोफिंग एंड पैस्ट कंट्रोल	274,शक्ति विहार, गोविन्दगढ़, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–82	04.09.2006	9897410699	पैस्ट कंट्रोल
40	दून पैस्ट कंट्रोल कम्पनी	डिमरी निवास, तरूण विहार, लेन न0–2, बंजारावाला	यू0ए0डी0डी0एन0–231	16.02.2015	9410190402	पैस्ट कंट्रोल
41	पैस्ट केंट्रोल प्रोफेशनल	165 ए आकाशदीप कालोनी, नवीन फर्नीचर के पास, चकराता रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–228	30.01.2015	889954321	पैस्ट कंट्रोल
42	सनी इण्टरनैशनल	96/1, पटेल नगर, सहारनपुर रोड,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–747	25.07.2018	9997091500	पैस्ट कंट्रोल
43	ग्रीन अर्थ पैस्ट कंट्रोल सर्विस	लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–234	24.03.2015	9412035010	पैस्ट कंट्रोल
44	ई.सी.सी. हाईकेयर पैस्ट कंट्रोल	224, ग्राऊड फ्लोर, निलकंठ आरकेड, 43 राजपुर रोड	यू0ए0डी0डी0एन0–736	27.10.2017	8126938396	पैस्ट कंट्रोल
45	इको सॉल्यूशन	सोसायटी एरिया, सुभाष नगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–715	15.12.2016	8191843333	पैस्ट कंट्रोल
46	पी0सी0आई0 पैस्ट कंट्रोल प्रा0लि0	537, सत्य विहार,विजय पार्क, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–122	27.11.2008	7533939222	स्टोर/रिटेल
47	पी0सी0आई0 पैस्ट कंट्रोल प्रा0लि0	64,विजय पार्क, बल्लूपुर चौक, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–720	30.01.2017		पैस्ट कंट्रोल

97	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मियांवाला	न्याय पं0–मियांवाला, वि0ख0–डोईवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–221	01.01.2018		
98	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति ,डोईवाला	डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–78	24.01.2002		
99	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति ,माजरी स्टोर	माजरी स्टोर, डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–81	24.01.2002		
100	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी लि0	भानियावाला	यू0ए0डी0डी0एन0–772	01.06.2019		
		निजी विक्रेता फर्म				
101	देवभूमि किसान केन्द्र	रेशम माजरी, (हरिद्वार रोड पर रेशम माजरी चौक से अन्दर रोड पर), डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–764	16.02.2019		
102	संतोष किसान केन्द्र	ग्रा0 व पो0–रेशम माजरी,डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–774	13.06.2019	8057130153	
103	नावेश ट्रेडर्स	प्रेमनगर बाजार, (नियर रेलवे फाटक), डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–762	01.12.2018	9520101724	
104	किसान सेवा भण्डार	भानियावाला, हरिद्वार रोड, (निकट श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल), देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–756	14.08.2018		
105	किसान सेवा केन्द्र	छिद्दरवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–752	25.07.2018		
106	हिमालयन इलेक्ट्रीकल एण्ड सिविल इंजिनियर्स	कमला सदन, मनीराम रोड, ऋषिकेश, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–733	11.06.2017 03.06.2017		
107	श्री महालक्ष्मी खाद व बीज भण्डार	मिल रोड बाजार, डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–563	01.01.2002		
108	बिष्ट खाद भण्डार	डोईवाला,(निकट ब्लाक आफिस) देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–195	28.02.2013		
109	एस0एस0 बिष्ट भण्डार	भानियावाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–130	01.08.2009	9997313142	
110	सिमरन बीज भण्डार	मेन रोड बाईपास श्यामपुर, रोड, ऋषिकेश, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–107	04.03.2008	8909514721	
111	चौहान खाद भण्डार	प्रतीतनगर, रायवाला, ऋषिकेश,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–60	22.07.2014	9997979799	
112	माँ पार्वती एग्रो कैमिकल्स,	श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–758	27.08.2018		
113	श्री कालिका एग्रो	नकरौंदा,डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–725	3.21.2017		
114	स्वाती किसान केन्द्र	डोईवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–112	2.6.2018	9412056125	
115	के0के0एजेन्सी	74, एस0बी0एम0 काम्प्लेक्स, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश	यू0ए0डी0डी0एन0–727	11.04.2017		हाउस होल्ड पे0
116	परमेश्वर मार्केटिंग	निकट प्रसाद हॉस्पिटल, ऋषिकेश, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–755	30.07.2018		पेस्ट कंट्रोल
117	नॉर्दन पैस्ट कंट्रोल	33 शिवा कॉम्प्लैक्स, दोनाली चौक, नथुवावाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–771	01.06.2019		हाउस होल्ड पे0
118	प्रतीक एजेन्सी	ऋषिकेश, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–784	1.10.2020		
119	किसान एग्रा0 जंक्शन आर्यनगर, भानियावाला,	आर्यनगर, भानियावाला, डोईवाला				
		विकासखण्ड– सहसपुर				
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
120	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,सहसपुर	न्याय पं0–सहसपुर, वि0ख0–सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–759	07.09.2018		

121	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,आमवाला	न्याय पं0–आमवाला, वि0ख0–सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–759	07.09.2018	
122	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,भगवंतपुर	न्याय पं0–भगवंतपुर, वि0ख0–सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–760	07.09.2018	
123	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,झाझरा	न्याय पं0–झाझरा, वि0ख0–सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–761	07.09.2018	
124	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, ईस्टहोपटाऊन	न्याय पं0–ईस्टहोपटाऊन,वि0ख0–सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–762	07.09.2018	
125	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,भाऊवाला	न्याय पं0–भाऊवाला, वि0ख0–सहसपुर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–763	07.09.2018	
		निजी विक्रेता फर्म			
126	शिवालिक रसायन लि0	कुल्लूपानी, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर	यू0ए0डी0डी0ए0–721	16.12.2002	9837410902
127	दून फर्टीलाईजर एण्ड पैस्टी साईड	त्यागी मार्केट, प्रेमनगर	यू0ए0डी0डी0ए0–457	30.01.2002	
128	एल्पाईन हर्बल हब	ग्राम–बड़ोवाला, शिमला बाईपास चौक, पैट्रोल पम्प के सामने, देहरादून	यू0ए0डी0डी0ए0–749	10.07.2018	6396922616
129	एल0बी0एन0एशोसिएट	ग्राम–हरबंसवाला, तेलपुर, पो0ओ0–मेहुवाला,देहरादून,			8755729904
130	ओम कृष्णा पैस्टीसाईड	मेन रोड,सहसपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0ए0–48	07.01.2004	9627348315
131	मिलन पैस्टीसाईड	सभावाला,देहरादून	यू0ए0डी0डी0ए0–169	03.09.2011	
132	रिलाईबल पैस्ट कंट्रोल सर्विसेज	सभावाला,देहरादून	यू0ए0डी0डी0ए0–132		निरस्त
133	गुप्ता बीज भण्डार	तिपरपुर, सभावाला	यू0ए0डी0डी0ए0–754	3.6.2016	
134	एस.एस.डी. एण्ड कम्पन्नी	विग न0–08, म0न0–15/3, प्रेमनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0ए0–766	27.12.2019	
135	साई सैल्स कॉरपोरेशन	डाकी, सहसपुर	यू0ए0डी0डी0ए0–769	1.6.2019	
136	पैस्ट कंट्रोल इनिशियल	शॉप न0–4,एकजोट प्लाजा, मेन रोड, रोलाकुई,देहरादून	यू0ए0डी0डी0ए0–775	24.07.2019	पैस्ट कंट्रोल
		विकासखण्ड– विकासनगर			
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति			
137	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,सोरना	न्याय पं0–सोरना, वि0ख0–विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–764	07.09.2018	
138	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,लांघा	न्याय पं0–लांघा, वि0ख0–विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–765	07.09.2018	
139	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, एनफिल्ड	न्याय पं0–एनफिल्ड, वि0ख0–विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–766	07.09.2018	
140	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, धर्मावाला	न्याय पं0–धर्मावाला, वि0ख0–विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0ए0–767	07.09.2018	

141	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, समायवाला	न्याय पं0–समायवाला, वि0ख0–विकासनगर, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–768	07.09.2018	——	
142	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिक्री केन्द्र–फतेहपुर	फतेहपुर, विकासनगर	यू0ए0डी0डी0एन0–106	27.12.2001	——	
143	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिक्री केन्द्र–तिपरपुर	तिपरपुर, विकासनगर	यू0ए0डी0डी0एन0–620	27.12.2001	——	
144	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बिक्री केन्द्र–रामपुर	रामपुर, विकासनगर	यू0ए0डी0डी0एन0–404	27.12.2001		
		निजी विक्रेता फर्म				
145	एग्रो पैस्टीसाईड एण्ड सीडस	वार्ड न0–4, आसनबाग, हरबर्टपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–735	11.04.2017		
146	बालाजी फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टिसाईड	मण्डी रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–718	17.01.2017	7830251166	
147	पी0आर0इण्टर प्राईजेस	जीवनगढ़, चकराता रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–701	16.02.2016	9568358888	
148	मिलन पैस्टीसाईड	समायवाला, विकासनगर	यू0ए0डी0डी0एन0–169	03.09.2011		
149	बारूमल ज्ञान प्रकाश जैन	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–634	01.01.2003		
150	जगत सिंह भगवंत सिंह	मेन रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–306	08.01.2003		
151	अकाश पैस्टीसाईड एवं खाद बीज भण्डार	लक्ष्मीपुर चौक, बरोटीवाला, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–154	11.06.2010		
152	चौहान बीज भण्डार	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–617	01.01.2003	9411139025	
153	उत्तराखण्ड पैस्टीसाईड	मण्डी गेट रोड, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–666	08.08.2002	9412974913	
154	श्री ओम पैस्टीसाईड खाद व बीज भण्डार	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–730	22.06.2017	8057453010	
155	उत्तराखण्ड खाद एण्ड बीज स्टोर	सहारनपुर रोड, हरबर्टपुर, विकासनगर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–665	09.08.2002	9411753923	
156	हरिओम खाद भण्डार	बरोटीवाला, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–207	24.01.2014		
157	आर0के0 एजेन्सीज	58, मेन बाजार, विकासनगर,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–744	27.12.2017		हाउस होल्ड प्रो0
158	लक्ष्मी पैस्टीसाईड	हर्बटपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–603	05.06.2002		
159	सैनी खाद एवं बीज भण्डार	धर्मावाला,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–111	09.04.2008		
160	संगीता पैस्ट कंट्रोल	हर्बटपुर, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–765	22.02.2019		पैस्ट कंट्रोल
161	विकास इण्टरप्राईजेज	डोमरी, विकासनगर,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–760	18.11.2019		पैस्ट कंट्रोल
162	विकास इण्टरप्राईजेज	डोमरी, विकासनगर,देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–761	18.11.2020		रिटेल
		विकासखण्ड– कालसी				
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति				
163	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश कैंद्र, कालसी	न्याय पं0–कालसी, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–769	07.09.2018		

164	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कोटी	न्याय पं0–कोटी, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–770	07.09.2018
165	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, खाड़ी	न्याय पं0– खाड़ी, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–771	07.09.2018
166	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, नराया	न्याय पं0–नराया, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–772	07.09.2018
167	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भंजरा	न्याय पं0–भंजरा, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–773	07.09.2018
168	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, उत्पाल्टा	न्याय पं0–उत्पाल्टा, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–774	07.09.2018
169	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कोरुवा	न्याय पं0–कोरुवा, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–775	07.09.2018
170	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मुन्धान	न्याय पं0–मुन्धान, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–776	07.09.2018
171	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, डागुरा	न्याय पं0– डागुरा, वि0ख0–कालसी, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–777	07.09.2018
		निजी विक्रेता फर्म		
172	पारसनाथ ट्रैडर्स	सहिया, कालसी, देहरादून	यू0ए0डी0डी0एन0–751	25.07.2018
		विकासखण्ड– चकराता		
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति		
173	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, दसऊ	न्याय पं0–दसऊ, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–778	07.09.2018
174	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मिण्डाल	न्याय पं0–मिण्डाल, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–779	07.09.2018
175	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,रंगेऊ	न्याय पं0–रंगेऊ, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–780	07.09.2018
176	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, काण्डोई बोन्दर	न्याय पं0–काण्डोई बोन्दर, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–781	07.09.2018
177	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, जाड़ी	न्याय पं0–जाड़ी, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–782	07.09.2018
178	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, बेगी	न्याय पं0–बेगी, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–783	07.09.2018
179	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भंद्रौली	न्याय पं0–भंद्रौली, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–784	07.09.2018
180	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भुनाड़	न्याय पं0–भुनाड़, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–785	07.09.2018
181	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, बृनाड़	न्याय पं0–बृनाड़, वि0ख0–चकराता, देहरादून,उत्तराखण्ड	यू0ए0डी0डी0एन0–786	07.09.2018
182	जनशक्ति आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता	ग्रा0व0पो0–अटाल, चकराता	यू0ए0डी0डी0एन0–753	01.09.2018

13	मै0 आसन वैली फारमर्स प्रोडयूसर	ग्राम बद्रीपुर, विकासनगर, देहरादून	यूके0डीडीएन/सीड –230	06.07.2020	05.07.2025	8755037735
14	सैनी खाद एवं बीज भण्डार	धर्मावाला, देहरादून	यूके0डीडीएन/सीड –233	14.08.2020	13.08.2025	9720209218
15	मै0 रॉयल पैस्टीसाईड	ग्राम पोस्ट सभावाला देहरादून	यूके0डीडीएन/सीड –235	25.08.2020	24.08.2025	9557603057
16	मै0 पल्लवी ट्रेडर्स	धर्मावाला, विकासनगर देहरादून	यूके0डीडीएन/सीड –234	17.08.2020	16.08.2025	9760753435
17	मै0 आकाश पैस्टीसाईड	लक्ष्मीपुर, विकासनगर, देहरादून	यूके0डीडीएन/सीड –232	04.07.2020	03.07.2025	9412974436
18	मै0 सिंह पैस्टीसाई फर्टीलाइजर एण्ड सीडस	ग्राम पो0 सभावाला, शिमला बाईपास रोड, देहरादून।	यूके0डीडीएन/सीड –238	28.09.2020	27.09.2025	8755689686
19	मै0 गुप्ता बीज भण्डार	ग्राम पो0 तिपरपुरा, सभावाला, विकासनगर देहरादून।	यूके0डीडीएन/सीड –161	03.08.2018	02.08.2021	8650092719
20	मै0 न्यू शविता ट्रेडर्स	चकराता रोड, लाईन जीवनगढ, विकासनगर, देहरादून।	यूके0डीडीएन –24211	30.01.2021	30.01.2026	7252977735

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद– देहरादून

विकासखण्ड–कालसी

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अम्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कालसी	न्याय पं0–कालसी, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –184	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कोटी	न्याय पं0–कोटी, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –185	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, खाड़ी	न्याय पं0– खाड़ी, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –186	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, नराया	न्याय पं0–नराया, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –187	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भंजरा	न्याय पं0–भंजरा, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –188	07.09.2018	06.09.2021		
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, उत्पाल्टा	न्याय पं0–उत्पाल्टा, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –189	07.09.2018	06.09.2021		
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, कोलवा	न्याय पं0–कोलवा, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –190	07.09.2018	06.09.2021		
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मुन्धान	न्याय पं0–मुन्धान, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –191	07.09.2018	06.09.2021		
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, डागुरा	न्याय पं0– डागुरा, वि0ख0–कालसी, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –192	07.09.2018	06.09.2021		

बीज लाईसेंस सरकारी संस्था/सहकारी समितियों/निजी फर्मों की सूची

जनपद– देहरादून

विकासखण्ड–चकराता

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	लाईसेंस नम्बर	जारी करने की तिथी	वैधता तिथी	मोबाईल नम्बर	अभ्युक्ति
		सरकारी संस्था/सहकारी समिति					
1	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, दसऊ	न्याय पं0–दसऊ, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –193	07.09.2018	06.09.2021		
2	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मिण्डाल	न्याय पं0–मिण्डाल, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –194	07.09.2018	06.09.2021		
3	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र,रंगेऊ	न्याय पं0–रंगेऊ, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –195	07.09.2018	06.09.2021		
4	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, काण्डोई बोन्दर	न्याय पं0–काण्डोई बोन्दर, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –196	07.09.2018	06.09.2021		
5	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, जाड़ी	न्याय पं0–जाड़ी, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –197	07.09.2018	06.09.2021		
6	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, बैगी	न्याय पं0–बैगी, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –198	07.09.2018	06.09.2021		
7	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, मंद्रौली	न्याय पं0–मंद्रौली, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –199	07.09.2018	06.09.2021		
8	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, भुनाड़	न्याय पं0–भुनाड़, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –200	07.09.2018	06.09.2021		
9	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2, कृषि निवेश केंद्र, बृनाड़	न्याय पं0–बृनाड़, वि0ख0–चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड	यूके0डीडीएन/सीड –201	07.09.2018	06.09.2021		
		निजी विक्रेता फर्म					
1	चौहान फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टिसाईड	शिमला रोड, त्यूनी, देहरादून	यूके0डीडीएन/सीड –139	01.03.2017	29.02.2020		
2	राणा कीटनाशी बीज भण्डार	ग्रा0 व पो0–कोटी कनासर, त्यूणी, देहरादून	यूके0डीडीएन –133	20.10.2016	19.10.2019	9410767867	
3	चौहान इण्टरप्राईजेस	मेन बाजार, त्यूनी, देहरादून	यूके0डीडीएन –71	20.01.2020	19.01.2025	9756993536	
4	चौहान सन्स इंण्टर प्राईजेस	रोहटाखड, त्यूनी, देहरादून	यूके0डीडीएन –221	19.11.2019	18.11.2024		
5	कनासर फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टीसाईड	ग्रा0 व पो0– कोटीकनासर, तहसील–चकराता	यूके0डीडीएन/सीड –227	03.02.2020	02.02.2025	7351077888	
6	मै0 क्षेत्री सीड्स फर्टिलाईजर एण्ड पैस्टीसाईड	ग्राम –पेनुवा, रावना तहसील–चकराता, दे0दून	यूके0डीडीएन/सीड –239	29.09.2020	28.09.2025	8979115456	

इकाई स्तर पर:-

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर स्थित किसान भवन।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां)

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं है, जिनमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों का दिया जाना प्राविधानित हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रतिपादित की गई है।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सहसपुर।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां)

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं है, जिनमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों को दिये जाने का प्राविधान हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी।

विभाग में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम प्रचलित नहीं हैं, जिसमें किसी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों आदि का दिया जाना प्राविधानित हो तथा न ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था विभाग में प्रतिपादित की गयी है।

अध्याय–12

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट (सभी योजनाओं,व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2020–21

क्र0 सं0	मद	प्रस्तावित बजट (लाख रू0 में)	स्वीकृत बजट (लाख रू में)	शासन/ जिला स्तर से प्रदत्त (किश्तों में) (लाख रू में)	*कुल व्यय* (लाख रू में)
1.	स्थापना सम्बन्धी बजट		–	–	–
2.	कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण		17.18	17.18	11.79
3.	आई0डब्लू0डी0योजना हरियाली योजना		–	–	–
4.	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिक मिशन				
	बीज ग्राम योजना		11.36	11.36	0.60
	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (एस0एम0ए0एम0)		134.00	134.00	2.64
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)		15.92	15.92	5.17
6.	राष्ट्रीय आयल सीड एवं आयल पॉम मिशन (एन0एम0ओ0ओ0पी0)		–	–	–
7.	अनुसूचित जन जाति बाहुल्य ग्राम योजना टी0सी0पी0)		25.24	25.24	4.75
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
	जल सम्भरण		–	–	–
	धान्य उत्पादन कार्यक्रम		8.15	8.15	2.06
	मधु सुरक्षा घरबाढ़		–	–	–
	दैवीय आपदा		–	–	–
	फार्म मेकनाइजेशन (यंत्रीकरण)		–	–	–
	जैविक योजना		6.02	2.82	1.76
9.	कृषि यंत्रीकरण		–	–	–
10.	जिला योजना		–	–	–
11.	परम्परागत कृषि विकास योजना		61.90	61.90	24.48

अध्याय–13

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति

13.1 कार्यक्रम का नाम	मृदा एवं जल संरक्षण/जल संभरण
कार्यक्रम के प्रभावी रहने की समय सीमा	केन्द्रपोषित योजना हेतु 5 वर्ष एवं अन्य हेतु एक वर्ष
कार्यक्रम का उद्देश्य	मृदा एव जल संरक्षण/जल संभरण
कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार

उपरोक्त कार्य पर वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का अनुदान दिये जाने का प्राविधान नही है। सामूहिक रूप से जो भी अनुदान होता है वह निर्माण कार्य के रूप में ही होता है नकद रूप में या छूट के रूप में अनुदान दिये जाने का विभाग में कोई प्राविधान नहीं है। विभाग में नियमानुसार प्रभावी क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनता ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना का चयन कर सामूहिक रूप से निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाते है। प्रभावी क्षेत्र का चयन करने के उपरान्त न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तर के कर्मचारियों द्वारा उस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कर आगणन तैयार किया जाता है, जिसका पर्यवेक्षण सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1, अपर सहायक अभियन्ता, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी तथा मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा आगणन को अन्तिम रूप देकर कार्य सम्पादन की कार्यवाही की जाती है। निर्मित कार्यो के सम्पादन में उसी क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों (कुशल/अकुशल) को कार्य पर लगाया जाता है। निर्माण कार्यो में मुख्यतः मृदा एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यो को सम्पादित किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया से सामूहिक रूप से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलता है। प्राप्त बजट का पूर्ण विवरण अध्याय 12 में अंकित किया जाता है।

सम्पूर्ण सम्पादित कार्यो का विवरण एवं कार्यो के व्यय पर हुए व्यय की सूचना लिखित आवेदन करने एवं शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कृषि निवेशों का समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कृषकों को अनुदान के रूप में निवेश वितरण किया जाता है। अनुदान की राशि को कृषक के बैंक खातें में जमा किये जाने का प्राविधान है।

–:: मैनुअल–15 ::–

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।–

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता हैं।

क0सं0	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाश सं0/मोबाईल नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाश सं0/मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सतीश चन्द जोशी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	7060587423	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	श्रीमती.ललिका सिंह मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून। श्री राजदेव पंवार श्री आशाराम वर्मा श्री अरविन्द कुमार गौतम	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकअ 6 नं0 पुलिया, देहरादून	89792702
2	श्री राजदेव पंवार	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8171199655	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन			
3	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	7376681661	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर			
4	श्री अरविन्दकुमार गौतम	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8316290597	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी			

—:: मैनुअल—14 ::—

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो)

विभागीय मासिक त्रैमासिक, वार्षिक सूचनायें एवं अन्य सामान्य सूचनायें एवं पत्र व्यवहार कम्प्यूटर में संकलित की जाती है। जनपद के अन्तर्गत विभाग की ई—मेल आई०डी० cao.deh.uk@gmail.com है।

–:: मैनुअल–15 ::–

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता हैं।

क0सं0	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाश सं0/मोबाईल नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाश सं0/मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सतीश चन्द जोशी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	7060587423	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	श्रीमती,लतिका सिंह मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून। श्री राजदेव पंवार श्री आशाराम वर्मा श्री अरविन्द कुमार गौतम	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकअ 6 नं0 पुलिया, देहरादून	89792702
2	श्री राजदेव पंवार	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8171199655	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन			
3	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	7376681661	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर			
4	श्री अरविन्दकुमार गौतम	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8318290597	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी			

–:: मैनुअल–16 ::–

मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून।

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता हैं।

क्र0सं0	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाश सं0/मोबाईल नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाश सं0/मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सतीश जोशी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	7060587423	श्रीमती लतिका सिंह मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून। श्री राजदेव पंवार श्री आशाराम वर्मा	मुख्य कृषि अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन, निकअ 6 नं0 पुलिया, देहरादून	89792702
2	श्री राजदेव पंवार	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर स्थित किसान भवन	8171199655			
3	श्री आशाराम वर्मा	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर	7376681661			
4	श्री अरविन्द कुमार गौतम	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एंवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी	8318290597			

–:: मैनुअल–17 ::–

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जायं)

इस अधिष्ठान में मैनुअल संख्या– 01 से 16 तक अध्यावधिक रूप से तैयार किये गये हैं जिसमें अधिक से अधिक विभागीय देय सुविधाओं/योजनाओं आदि का उल्लेख पूर्ण सावधानी से किया गया हैं तथा विभाग अन्य किसी भी राजकीय ढाचें, व्यवस्था के त्वरित बदलाव के साथ–साथ कार्य करने के लिए तत्पर हैं।

ह0

(श्रीमती लतिका सिंह)
मुख्य कृषि अधिकारी
देहरादून।